राजस्थान विधान सभा

४७वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक—११ मई, सन् १६५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.२५ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६१७

भीलवाड़ा में केंद्रीय तथा राज्य सरकार के श्रम अधिकारियों के कार्य तथा अधिकार

रावत श्री शम्भुसिंह—क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीलवाड़ा में केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कौन कौन से श्रम अधिकारी नियुक्त हैं तथा उनके क्या क्या कार्य तथा अधिकार हैं ?

(ख) उपरोक्त भिन्न भिन्न अधिकारी श्रम विषयक किस किस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं ?

(ग) विगत तीन वर्षों में उपरोक्त अधिकारियों के पास कहां कहां के किस किस प्रकार के मामले दायर और फैसल हुए व इनमें पार्टी कौन कौन थे व क्या निर्णय हुआ ?

(घ) उपरोक्त अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में किस किस उद्योग की कौन कौन सी मजदूरों की ट्रेड यूनियन्स रजिस्टर्ड हैं व इनके पदाधिकारी कौन कौन हैं तथा इनके दफ्तर कहां कहां हैं ?

(ङ) क्या उपरोक्त ट्रेड यूनियन्स का काम नियमित तथा संतोषजनक है ?

Page No 2

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री)—(क) भीलवाड़ा में केंद्रीय सरकार की ओर से एक श्रम निरीक्षक (लेबर इन्सपेक्टर) नियुक्त है जो माइन्स, क्वारीज़ एवं बैंकों में उपस्थित औद्योगिक झगड़ों का निपटारा करवाने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त वह कुल केंद्रीय श्रम कानूनों का पालन करवाता है।

केंद्र की ओर से भीलवाड़ा में सेक्रेटरी माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फंड भी नियुक्त है, जिसका कार्य माइन्स में काम करने वाले समस्त मजदूरों के कल्याण की देखरेख करने का है।

राज्य सरकार की ओर से भीलवाड़ा में निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त हैं, उनके कार्य तथा अधिकार निम्न प्रकार हैं :

१. श्रम अधिकारी भीलवाड़ा—

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, १९४७ के अन्तर्गत मालिक मजदूरों के बीच उपस्थित झगड़े का निपटारा करवाने तथा मालिक मजदूरों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने का कार्य श्रम अधिकारी के सुपुर्द है।

२. कारखाना निरीक्षक, उदयपुर व कोटा डिवीजन, भीलवाड़ा—

इंडियन फैक्टरीज़ एक्ट की धाराओं के अनुसार कारखानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा, काम के घंटे, छुट्टियें इत्यादि के पालन करवाने व उल्लंघन की दशा में अपराधी के विपक्ष काननी कार्यवाही करना कारखाना निरीक्षक के अधिकार में निहित है।

३. न्यूनतम मजदूरी निरीक्षक, भीलवाड़ा—

मिनिमम वेजेज़ एक्ट, १९४८ के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों को उन काम दिलाऊ धंधों में जो कानून के अंतर्गत आते हैं, लागू करवाने अथवा उल्लंघन होने की दशा में कानून द्वारा चढ़े वेतन को दिलवाना तथा उल्लंघन करने वाले मालिकों को सजा दिलवाने इत्यादि कार्य न्यूनतम मजदूरी निरीक्षक के अधिकार में निहित हैं।

४. बॉयलर निरीक्षक, राजस्थान, जयपुर—

इंडियन बायलर एक्ट की क्लॉज़ेज़ के अनुसार बॉयलरों का निरीक्षण तथा उनको चलाये जाने की स्वीकृति और कानून के उल्लंघन की दशा में उपयुक्त काननी कार्यवाही बॉयलर निरीक्षक के अधिकार में निहित है।

(ख) इसका उत्तर (क) में दिया जा चुका है।

[श्री ब्रजसुन्दरशर्मा]

(ग) गत दो वर्षों में इन अधिकारियों के पास निम्न प्रकार के मामले दायर हुए और फैसले हुए मामले जो दायर हुए उनका विवरण :

वर्ष	मजदूर व बोनस संबंधी	रोजगार व बेरोजगार	वर्किंग कंडीशन	औद्योगिक संबंधी	व्यक्तिगत संबंधी	योग
१९५४-५५	४३	३३	२६	१७	७	१४५
१९५५-५६	६४	३६	२५	३९	६	१७०

मामले जो फैसले हुए उनका विस्तृत विवरण

वर्ष	पक्ष में	विपक्ष में	रिजेक्टेड	ट्रान्सफर्ड	पैंडिंग रहे	खारिज हुए	योग
५४-५५	४५	४३	३०	११	१५	१	१४५
५५-५६	८०	३१	२६	१९	२७	२	१८५

(घ) उपरोक्त अधिकारियों की अधिकार सीमा उदयपुर डिवीजन की ट्रेड यूनियन संबंधी सूचना निम्न प्रकार है :

ट्रेड यूनियन का नाम जो रजिस्टर्ड हैं मय ओफिस	उद्योग का नाम जिससे संबंध है	ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के नाम
१. मिल मजदूर संघ, भीलवाड़ा	मेवाड़ टेक्सटाइल मिल लि. भीलवाड़ा	श्री रामेशचंद्र व्यास, प्रधान व श्री रामस्वरूप, सेक्रेटरी
२. मोटर वर्क्स यूनियन, भीलवाड़ा	मोटर ट्रान्सपोर्ट सर्विस	,, माधोसिंह, प्रधान श्री मोतीलाल, सेक्रेटरी
३. मजदूर संघ, भीलवाड़ा	टैक्सटाइल इंडस्ट्री	,, रूपलाल, प्रधान, श्री सोहनलाल सेक्रेटरी
४. पोवर हाउस मजदूर यूनियन, भीलवाड़ा	पोवर हाउस	,, श्री कानूराम, प्रधान, श्री परमानंद सेक्रेटरी

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

५. पोवरहाउस कर्मचारी संघ, उदयपुर	पोवर हाउस, उदयपुर	,, गुलाम मोहम्मद, प्रधान, श्री रामचंद्र सेक्रेटरी
६. पोवरहाउस कर्मचारी संघ, शाहपुरा	शाहपुरा	,, सोहनलाल, प्र. श्री मोहनलाल सेक्रेटरी
७. राजस्थान औद्योगिक कर्मचारी संघ, भीलवाड़ा	टैक्सटाइल इंडस्ट्री	,, शिवसिंह, प्र., श्री बसंतीलाल सेक्रेटरी
८. एम. खान मजदूर कांग्रेस, भीलवाड़ा	माइका माइन्स	,, रमेशचद्र, प्रधान, श्री गोकुल प्रसाद, सेक्रेटरी
९. बीडी मजदूर यूनियन, उदयपुर	बीड़ी इन्डस्ट्री	,, मलदास, प्रधान, श्री भाईभगवान सेक्रेटरी
१०. केमिकल वर्कर्स यूनियन, उदयपुर	केमिकल	,, उदयलाल, प्रधान, श्री बाबूलाल सेक्रेटरी
११. मोटर ड्राइवर्स मेकेनेरी यूनियन, उदयपुर	मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस	,, अजीत बरुग, प्रधान, श्री भाई भगवान, सेक्रेटरी
१२. सिनेमा एम्लॉइज़ यूनियन, उदयपुर	सिनेमा उद्योग	,, भैरूसिंह, प्रधान, श्री श्यामलाल सेक्रेटरी
१३. मोटर लेबर यूनियन, राजसमन्द	मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस	,, देवीलाल, प्रधान, श्री नरेंद्रकुमार ,, सेक्रेटरी
१४. राजस्थान मोटर मजदूर यूनियन नाथद्वारा	,, ,, ,,	,, जगन्नभाई, प्रधान, श्री मनोहर सेक्रेटरी
१५. राजस्थान मिनरल वर्क्स यूनियन, भीलवाड़ा	माइन्स इंडस्ट्रीज़	,, दुर्गादास, प्रधान, श्री दुशयन्त सेक्रेटरी
१६. म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन, राजसमन्द	म्युनिसिपल बोर्ड	,, गुलजी, प्रधान, श्री नरेंद्रकुमार सेक्रेटरी

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

१७. मेवाडा शुगर मिल्स मजदूर यूनियन, भूपाल सागर	शक्कर उद्योग	श्री मथुरालाल, प्रधान, श्री राजेंद्रसिंह, सेक्रेटरी
१८. राजस्थान माइन्स मेनेजर्स यूनियन, भूपाल सागर	माइन्स उद्योग	,, के. वी. राय, प्रधान, श्री चांद्रत सेक्रेटरी
१९. जावर माइन्स मजदूरसंघ, उदयपुर	,, ,,	,, दुर्गाशंकर, प्रधान, श्री गुलाबसिंह सेक्रेटरी।
२०. उदयपुर कत्थ कला संघ, उदयपुर		,, आचार्य रतनलाल, प्रधान, श्री शंकर लाल, सेक्रेटरी
२१. म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन, शाहपुरा	म्युनिसिपल बोर्ड	,, चंदालाल प्रधान, श्री दुष्यन्त, सेक्रेटरी
२२. मोटर वर्क्स मजदूर यूनियन, उदयपुर	मोटर ट्रांसपोर्ट	,, हुकुमराज, प्रधान, श्री नारायन पुरी सेक्रेटरी।
२३. जावर माइन्स कर्मचारी संघ, उदयपुर	माइन्स उद्योग	,, एम. त्रिपाठी, प्रधान, श्री मान्यराज सेक्रेटरी
२४. सूती मिल मजदूर संघ, भीलवाडा	टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज	,, मदनलाल शर्मा, प्रधान, श्री भंवरलाल शर्मा, सेक्रेटरी
२५. म्युनिसिपल कर्मचारी संघ, भीलवाडा	म्युनिसिपल बोर्ड	,, सांवरलाल, प्रधान, श्री राममोहन, सेक्रेटरी

नोट:—क्रम संख्या २,४,६,१०,११,१३,१४,१६ व १६ पर अंकित ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रेशन विभागीय आज्ञा दिनांक ३-१-५६ द्वारा वार्षिक ब्यौरा नहीं भेजने के कारण रद्द कर दिया गया है।

(ङ) हां।

रावत श्री शम्भूसिंह—(ग) के अन्तर्गत यह पूछा गया था कि इनमें पार्टीज़ कौन कौन थी, इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा– माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न के उत्तर में कि कौन कौन पार्टीज़ थीं बतलाया जाय तो एक पूरी रिपोर्ट छप जाय, मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि इस तरह की एक रिपोर्ट छप जाय कि सारे प्रान्त में किस किस उद्योग में कहां कहां कैसी २ ट्रेड यूनियन्स हैं। यह प्रश्न ही इतना बड़ा था।

रावत श्री शम्भू सिंह—यूनियन्स जो चन्दा लेते हैं वह किस हिसाब से वसूल करते हैं ? क्या उन्होंने अनियमित रूप से चन्दा वसूल किया मजदूरों से ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—यूनियन्स अपने विधान के अनुसार यह चीज कर रही हैं और उस चन्दे का उपयोग भी अपने विधान के अनुसार करती हैं। कोई शिकायत आती है तो जांच की जाती है। हमारे पास इसके मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं है।

रावतश्री शम्भूसिंह—माइका माइन्स लेबर वेलफेयर्स सेन्टर्स कहां कहां हैं ? आपने फरमाया था कि माइका माइन्स लेबर वेलफेयर सेन्टर्स हैं।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फन्ड का सेक्रेटरी नियुक्त किया है केन्द्रीय सरकार ने। सेन्टर कहां कहां हैं यह अलग सवाल पूछें तो उसका जवाब दे दूं।

रावत श्री शम्भुसिंह – वे किस किस सेन्टर की देखभाल करते हैं ?

श्री ब्रजसुन्दरशर्मा—जहां जहां माइका माइन्स हैं।

रावत श्री शम्भु सिंह—किस किस जगह माइका माइन्स हैं ?

श्री बृजसुन्दरशर्मा—जहां जहां इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट बतलायें।

श्री अध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या ६१८

जिला जैसलमेर में शराब के ठेके व शराब बन्द बोतलों में न बिककर खुली बिकना

श्री हनवन्तसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जिला जैसलमेर में किस किस जगह शराब के ठेके हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि इन ठेकों में अब भी शराब बन्द बोतल में न बिक कर खुली बिकती है ? यदि हां, तो क्यों ?

[श्री हनवन्तसिंह]

(ग) इस जिले में अफीम के ठेके कहां कहां हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि एस. डी. ओ. पोकरन के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि अफीम के ठेकेदार अफीम ठीक तौर से तोल कर नहीं देते हैं ?

(ङ) क्या सरकार इस की जांच करावेगी ?

श्री अध्यक्ष—(सरकार की ओर से किसी के उत्तर देने के लिए न खडे होने पर) पृथक राजस्व मंत्री के कौन उत्तर देंगे और वेट कर लिया जाय।

श्री कुम्भाराम आर्य ।

(अनुपस्थित)

श्री भैंरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह मैं पूछ रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न बडे सार्वजनिक हित का है।

श्री अध्यक्ष—यह सार्वजनिक इम्पार्टेन्स के प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार करेंगे तो आप पूछ सकते हैं।

प्रश्न संख्या ६१६

राजगढ़ सालू सड़क पर पिछले पांच वर्षों में व्यय हुई धनराशि एंव उसे पक्की बनाने सम्बन्धी योजना

श्री भैंरूंसिंह(वि० सं० १६)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजगढ़ सालू सड़क पर पिछले पांच वर्षों में कितना रुपया खर्च हुआ है !

(२) क्या आज भी यह सड़क ऐसी खराब है कि इस पर गाड़िया नहीं चल सकती हैं ?

(३) सरकार का अब इसको कब तक पक्की सड़क बनाने का विचार है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(१) २, ३३, ३७३ रुपये १२आ.

(ख) जी हां गाडियां नहीं चल सकती हैं।

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भैरूंसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष में यह काम सरकार पूरा करने का विचार करती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—कुछ न कुछ होगा हरसाल।

श्री भैरूंसिंह—कितना रुपया खर्च होगा हर साल ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जरूरत के मुताबिक होगा।

श्री भैरूंसिंह—उसकी धनराशि के वितरण के अनुसार उस सड़क की मरम्मत का कब होने की आशा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।

श्री भैरूंसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में से किस वर्ष में ?

श्री प्रभुदयाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल कर लिया गया है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—कर लिया गया है।

श्री भैरूंसिंह—मेरा प्रश्न बाकी रह गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजन के पांच वर्षों में से कौनसे वर्ष में यह काम होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—हर साल कुछ कुछ होगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या इसके लिए हर साल धनराशि खर्च करने के लिए ब्रेक अप तैयार कर लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—कुछ फण्ड्स एलॉट करते हैं हर साल।

श्री रामचन्द्र चौधरी—अभी फाइनेलाइज़ नहीं हुआ है लेकिन इस सड़क की मरम्मत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जल्दी से जल्दी कराने का विचार है।

श्री अध्यक्ष—श्री हनवन्त सिंह।

प्रश्न संख्या ६२०

जिला जैसलमेर में सन् १६४९ से कस्टम विभाग में जागीरदारों की जमा रकम

श्री हनुवन्तसिंह—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १६४९ से जिला जैसलमेर के जागीरदारों की कितनी रकम कस्टम विभाग में जमा है तथा यह रकम अब तक किन कारणों से जागीरदारों को नहीं दी गई है ?

(ख) क्या सरकार यह रकम शीघ्र ही देने का इरादा रखती है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री)—तलाश कर रहे हैं इसको अगले टर्न पर लेलिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगला टर्न कब आयेगा पता नहीं।

श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या ६२१

ग्राम पवेसुरा, तहसील बाडी के हरिजनों (जाटवों) द्वारा रूंध रंजोरा खुर्द की भूमि कृषि हेतु देने के आवेदन पत्र

श्री हंसराज जटिया—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सच है कि ग्राम पवेसुरा तहसील बाडी के हरिजनों (जाटवों) के पास कृषि के लिये भूमि कम है ?

(२) क्या यह सच है कि इस ग्राम के हरिजनों (जाटवों) ने उपरोक्त तहसील के रूंध रंजोरा खुर्द की भूमि को कृषि के लिए दिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है ?

(३) यदि हां, तो उपरोक्त विषय में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) संबन्धित भूमि वन विभाग के अधिकार में है इसको डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर, भरतपुर, राजस्व विभाग को देने के बारे में विचार कर रहे हैं।

Page No 10

श्री हंसराज जटिया—प्रार्थनापत्र कब आया था ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—इस वक्त तारीख नहीं है। वह वहां भेज दिया गया है, डिविजनल फोरेस्ट आफिसर के यहां।

श्री हंसराज जटिया—कागजात इस वक्त कौन से कार्यलय में हैं ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—उसी में रखे होंगे। ऐसा सर्क्यूलर जारी किया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहां जहां वन विभाग के अन्दर जो जमीन कृषि योग्य हो और उसको भूमिहीन या और किसी तरह के व्यक्तियों को दिये जाने के लायक हो तो कलेक्टर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मिलकर हरेक जिले का नक्शा तैयार कर के भेजेंगे और भेज कर मन्जूरी हांसिल करेंगे। और बाद में डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे। इस सिलसिले में सब जिलों के नक्शे तैयार हो रहे हैं और वहां भी इस प्रकार के नक्शे तैयार हो जायेंगे।

श्री हंसराज जटिया—फाइनली कब तक तय हो जायेंगे ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—यह तो क्या अर्ज कर सकता हूँ। टाइम के लिए अर्ज नहीं कर सकता हूं। ज्योंहीं नक्शे तैयार होकर सेक्रेटेरियेट में आयेंगे जल्दी से जल्दी आज्ञा दे दी जायगी।

प्रश्न संख्या ६२२

जिला जैसलमेर में बनने वाले प्रशासनिक भवनों के विभिन्न स्थान

श्री हनवन्तसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने कृपा करेंगे:

(क) जिला जैसलमेर में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स कहां कहां बन रही हैं व कहां २ बन चुकी हैं ?

(ख) उपरोक्त बिल्डिंग्स के बनने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जो बन रही हैं :

१. एस. डी. ओ. की कचहरी, पोकरण।

२. पुलिस थाना, पोकरण।

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

३. तहसील भवन, सोम ;

४. तहसील भवन, नाचना ।

एडमिनिस्ट्रेटिव भवन जो बन चुके हैं:

१. तहसील भवन, रामगढ़ ;

२. जिलाधीश का कार्यालय जिसमें कुछ रद्दोबदल सम्बन्धी कार्य हुआ ।

(ख) कोई विलम्ब नहीं हुआ है इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हनवन्तसिंह—तहसील नाचना में तो अभी नींव ही नहीं खोदी गई है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—नाचना में बिल्डिंग बन रही है, तहसील भवन बन रहा है ।

श्री हनवन्तसिंह—वहां कुछ नहीं बन रहा है और आप कह रहे हैं कि बन रहा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—५० हजार की सैंक्शन हुई है और जिसका काम शुरू है ।

श्री हनवन्तसिंह—५० हजार की मन्जूरी तो हुई मगर काम कुछ नहीं हो रहा है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—काम हो रहा होगा आप जाकर देखिये ।

श्री हनवन्तसिंह—देखकर आया हूं तभी तो अर्ज किया है कि वहां कुछ नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—दो क्वेश्चन बच गये हैं उनका जवाब देंगे पृथक राजस्व मन्त्री खतम हो गई है लिस्ट हमारे पास ।

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय, पृथक राजस्व मन्त्री का यहां उपस्थित नहीं होना मैं समझता हूं ...

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—बीमारी का द्योतक है ।

श्री भैरूंसिंह—यह केवल बीमारी का द्योतक नहीं है बल्कि हाउस का अपमान है । वही मंत्री जिनका कि प्रश्न पूछा जाने वाला हो वह मंत्री हाजिर नहीं हो और सदन के सदस्य उनके इन्तजार में बैठे रहें, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी को इस विशेष परिस्थिति के लिए आप तगड़ी से तगड़ी हिदायत देंगे ताकि आयन्दा इस प्रकार का अपमान करने की वे चेष्टा न करें ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, अपमान करने की कोई चेष्टा नहीं की है और न की जा सकती है; लेकिन खेद इस बात का है कि वैसे उन्होंने लिखकर यहां सेक्रेटरी के पास भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने की असमर्थता के लिए पत्र आया है, लेकिन फिर भी चूंकि इस लिस्ट में ये क्वेश्चन्स आगये हैं, इसलिए सदन के माननीय सदस्य इस बात के अधिकारी हैं कि उनको मंत्रीगण में से कोई भी मन्त्री उत्तर दें कि इन प्रश्नों के उत्तर तैयार नहीं होने की वजह से नहीं दिये जा सकते हैं। उसके लिए तैयारी पहले से रहे।

एक माननीय सदस्य—जवाब कब दिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष—next week.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रघुराज सिंह ने दिनांक १ मई, १९५६ से सत्र के अंत तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

विधायी कार्य

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी के अल्पकाल सूचना प्रश्न लेने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री बी. एन. जोशी—On a point of information, Sir, two of my short notice questions were admitted and they were placed for today. Now I learn that they have not been included in the agenda for today. I just wish to know when next my guestions would be taken.

श्री अध्यक्ष—The member concerned gave the information to this office that the Minister concerned has agreed to reply to the question today but when this office enquired of the minister he was not prepared to answer it today. So

[श्री अध्यक्ष]

these were not scheduled for today. They will be taken up (on the day) when the Minister agrees.

श्री बी. एन. जोशी—This may kindly be ascertained. from the Minister...

श्री अध्यक्ष—This has been ascertained. In fact this office asked the member concerned to get in writing from the minister so that he might be bound down, but when the Minister concerned has expressed his inability to give the replies to the questions today, we cannot help it.

श्री बी. एन. जोशी—But when the Hon' ble Minister had himself agreed to reply to this question today, this should be ascertained from him. . .

श्री अध्यक्ष—This is the information which the Hon' ble Member gives.

श्री बी. एन. जोशी—No, sir. I hope the Minister will not contradict it.

श्री अध्यक्ष—There may be some difficulty with him.

श्री बी. एन. जोशी—My submission is that it may be ascertained from the Minister when next he will be able to answer the question.

श्री अध्यक्ष—That is implied. He will have to reply. There is no question of ascertaining.

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित)

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फोरेस्ट(संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री व्रजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री दामोदरलाल व्यास ।

राजस्थान कृषि भू-धारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६

(पुरः स्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री दामोदरलाल व्यास ।

राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६ दिनांक १६ अप्रेल, १९५६ को इस आदेश के साथ प्रवर समिति के सुपर्द किया गया कि समिति अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करे । इस समिति के निम्नांकित सदस्य नियुक्त किए गए :

(१) श्री दामोदरलाल व्यास, प्रभारी मन्त्री ।

Page No 15

[श्री दामोदरलाल व्यास]

२. श्री चांदमल मेहता

३. श्री माधोलाल खानपुरिया

४. श्री रामजीलाल यादव

५. श्री गोपीलाल यादव

६. श्री रामरतन टिक्कीवाल

७. श्री सोहनलाल भटनागर

८. श्री कुंभाराम आर्य

९. श्री दीनबंधु

१० श्री हरिसिंह

११. श्री हंसराज जटिया

१२. श्यामलाल गोयल

१३, श्री नाथुराम मिर्धा

१४. श्री बी. एन. जोशी

१५. श्री चुन्नीलाल बिड़ला

१६. श्री गनपतसिंह

१७. श्री राजा प्रतापसिंह बीदासर

१८. श्री भैंरूसिंह बरकाना

१९. श्री भैंरूसिंह दांता-रामगढ़

२०, श्री मोहब्बतसिंह

२१. श्री रूपनारायण

२२. एडवोकेट जनरल

समिति की प्रथम बैटक १७ अप्रेल, १९५६ को बुलाई गई किन्तु उस दिन प्रभारी मंत्री एवं एक अन्य सदस्य ही उपस्थित हुए। तत्पश्चात् प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि सदन द्वारा दो माह बढ़ाई गई तथा समिति की द्वितीय बैठक दिनांक ४ मई, १९५६ को बुलाई गई किन्तु फिर भी कोरम न होने के कारण बैठक स्थगित की गई। कल दिनांक १ ८ मई,

[श्री दामोदरलाल व्यास]

१६५६ को पुनः बैठक की गई किन्तु प्रभारी मंत्री के अतिरिक्त एक अन्य सदस्य ही उपस्थित हुए।

अतः मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १२६ (३) के अंतर्गत यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से जो ओरिजनल मोशन है उसमें, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी से वापस लेने का मोशन था इसमें, तरमीम करता हूं और सिलेक्ट कमेटी की कार्यवाही अभी तक जो हुई उसको सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका ताल्लुक लाखों आदमियों से है। सिलेक्ट कमेटी पहले दिन नहीं हो सकी। दूसरे दिन काफी सदस्य आये थे, मगर माननीय मंत्री उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद इसकी बैठक ११ तारीख के लिए रखी गई थी। मगर आज के बजाय उन्होंने कल तीन बजे के लिए रख दी और इसकी सूचना लोगों को या तो मिली नहीं और मिली भी तो तीन बजे मिली। इसलिए लोग हाजिर नहीं हो सके। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल महत्वपूर्ण है। इसको सिलेक्ट कमेटी के पास ही रखा जावे और जो दो महीने की मियाद है उसके माफिक ही रहने दिया जावे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जो माननीय मंत्री जी ने डिफिकल्टी बतलाई है कि तीन दफा मीटिंग बुलाई गई और कोरम पूरा नहीं हुआ। अभी यह भी सदन में बताया गया कि सदस्यों को सूचना नहीं मिल पाई। एक मीटिंग होने की सम्भावना थी, मगर इसमें महत्वपूर्ण पर्सोनेलीटीज़ के अनुपस्थित रहने के कारण मीटिंग हो न सकी।

परिणाम यह हुआ कि कार्य कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया और जहां के तहां ही रहे। मैं यह कहूंगा कि यह मनीलेंडिंग बिल इस देश के लिए नई चीज होगी और इसके द्वारा बहुत से गरीब किसानों का भला होगा जिनके थम्ब इम्प्रेशन करा कर लोग रुपये देते हैं। उनको बहुत राहत मिलने वाली है। मगर इसके साथ साथ यह भी देखना है कि जो नया लेजिसलेशन पब्लिक को हम देना चाहते हैं वह छान बीन कर दें ताकि उसमें किसी तरह की कमी नहीं रह पाए और वह व्यावहारिक भी हो। ताकि ऐसा न हो कि कहीं अव्यावहारिक बनजाने से नीडी लोगों को जो रुपया उधार मिलता है वह नहीं मिल सके और इससे ऐसा न हो कि कहीं समाज की मशीनरी फेल हो जावे और उनको अपनी आवश्यकता को पूरा करने में बाधा आए। इसलिये मैं आपका अधिक समय न लेकर इतना ही कहूंगा कि यह कोई वकालत का धन्धा नहीं है मगर इसके पीछे

[श्री श्रीदास गोयल]

बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको एक सप्ताह के लिए सिलेक्ट कमेटी को दिया गया था और उसके पीछे हाउस की भावना यह थी कि जल्दी से जल्दी इसको सदन में अन्तिम रूप दे दिया जा सके। मगर तीन दफे मीटिंग बुलाई गई मगर एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सके और जहां के तहां ही सिलेक्ट कमेटी में यह रहा। यदि इसको हाउस के सामने अभी ले लिया जावेगा तो कई प्रकार के कोम्पलीकेशन्स पैदा होंगे और फालतू समय बरबाद होगा। सिलेक्ट कमेटी में इसको डिसकस कर लिया जाए और इससे समय बचाया जा सकता है। इसलिए मैं ज्यादा न कह कर इतना ही अर्ज करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जावे। इसके लिए माननीय मंत्री कुछ समय और ले लें। मैं निवेदन करूंगा कि जैसा इसके क्लॉजेज़ में रजिस्ट्रेशन, दावे आदि करने की बातें हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है। जिनके द्वारा यह देखना है कि डिसओनेस्टी तो नहीं हो रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास ही रहने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—आप इस बिल पर कुछ कह रहे हैं।

श्री चन्दनमल—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्व मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ....

श्री अध्यक्ष—क्या प्रस्ताव रखा है जिसका आप समर्थन कर रहे हैं?

श्री चंदनमल वैद—That the Bill be taken up for consideration.

श्री दामोदरलाल व्यास—I have not moved that so for.

श्री अध्यक्ष—The member was present in the house and not present

(हंसी)

मैं सदन की यह राय जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द रखा जावे। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि यह जो रिपोर्ट की गई है कि दो कोन्सीक्यूटिव मीटिंगों में कोरम पूरा नहीं हुआ है इसलिए सदन चाहे तो इसको सीज़ कर ले। एक मत यह हो सकता है और दूसरा यह कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द ही रखा जावे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मनी लेन्डर्स बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द इस वक्त रखने का मतलब यह होगा कि १९५७ के जनरल इलेक्शन के बाद वह आयेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको हाउस में ले लिया जाय और हम रात को भी मीट करते रहें जैसे कि रिकमिट के वक्त करते रहे हैं और फिर इसे सिलेक्ट कमेटी में आने की बात सोचते हैं तो खास फर्क नहीं पडता है। रात को सलाह कर लेंगे सभी लोगों से मिलकर और दो दिन में वह पास होगया तो बहुत ही फायदा होगा। यह ४ दिन में हो जायगा। हाउस के पास काम ज्यादा नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैंने कोई मोशन तो मूव किया नहीं है। मेरा तो मतलब यह है कि मैंने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है सदन के सामने। प्रवर समिति ऑलरेडी बनी हुई है उसके कन्सीडरेशन में रहेगा या बिल...

श्री चन्दनमल वैद—माननीय अध्यक्ष, यह समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्रीजी क्या चाहते हैं? उसका एक्सटेन्शन चाहते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष—१२६ (३) रूल में प्रोवीजन है "Where the Select Committee has been adoured in pursuance of sub-rule (2) .."

सबरूल(२) यह है:-"If at the time fixed for any meeting of the Select Committee, or if at any time during any such meeting, there is no quorum the Chairman of the Committees shall either suspend the meeting until there is a quorum or adjourn the meeting to some future day"

This is sub-rule (2). And further in sub-rule (3). "on two successive dates fixed for the meeting of the Committee, the Chairman shall report the fact to the House"

So the facts fare reported to the House that the Select Committee has not been able to form the quorum for two subsequent meetings. Now if the House agrees to this that the bill be recommitted to the Select Committee, it is already there. If the House wants to seize the bill the House can take possession of the bill and proceed."

श्री दामोदरलाल व्यास–No, Sir, I think the bill should continue in the Select Committee.

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल ठीक है। सिलेक्ट कमेटी से वापिस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिये क्यों कि यह बहुत ही अहम बिल है।

श्री चन्दनमल वैद–माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव किया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूँ। मैं समझता हूं कि इसके पहले उनकी यह मन्शा थी कि सिलेक्ट कमेटी से इस बिल को विद्ड्रॉ कर लिया जाय,और इस हाउस में इसको पास कराया जाय,लेकिन अब ऐसा मालूम पड़ता है कि किन्हीं क्वार्टर से ऐसा दबाव पड़ा है कि वे हाउस में न लेकर वह प्रस्ताव कर रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रिकमिट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—That is outside the House.

श्री चन्दनमल वैद—यस, सर। माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मेरे साथी मित्र यह फरमा रहे हैं कि यह बिल काफी महत्वपूर्ण है और इसका पास होना बहुत जरूरी है और यह किसान और मजदूर तथा दूसरे लोगों पर जो साहूकार लोग हैं जिन्हे साहूकार कहते हैं लेकिन उन्हें साहूकार कहना नहीं चाहिए, अत्याचार कर रहे हैं। उनके पीछे हैं साहूकारों के मित्र इस सदन में भी प्रभाव या रंग

[श्री चंदनमल वैद]

जमाकर यह बिल पास नहीं कराना चाहते हैं और माननीय मंत्रीजी पर जोर डाल रहे हैं कि वे इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रिकमिट करें। इसका असर यह होगा, कि सिलेक्ट कमेटी को रिकमिट करने का मतलब यह होगा कि इस सेशन में तो यह बिल आयेगा नहीं। अगला सेशन जो अक्टूबर या नवम्बर में आगामी जो सेशन होने वाला है उसमें कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग अपनी अपनी कन्स्टीटुएन्सी में फिरते होंगे और इस मूड में नहीं होंगे कि किसी तरह का कोई कानून बनाया जाय। अब इतना टाइम नहीं है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रिकमिट करके कम से कम इस असेम्बली के ड्यूरेशन में पास होने वाला नहीं है और अगली असेम्बली के लिए छोड़ देंगे तो इस तरह से इन्डाइरेक्टली साहूकारों को और लम्बी लाइन देरहे हैं कि कुछ दिन और तुम किसानों और मजदूरों को लूटो। यह बहुत ही महत्व पूर्ण बिल है इसलिए सारे सदन से प्रार्थना करूंगा और माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस को उसी सिलेक्ट कमेटी को रिकमिट नहीं किया जाय। यहां इस तरह से तैयार हैं कि चाहें तो रात दिन बैठकर इसको पास किया जाय मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमको कल भी बैठना पडे तो बैठकर इसको पास कर दें।

श्री अध्यक्ष—सेटरडे को भी एक बार बैठे थे हम लोग।

श्री चन्दनमल वैद-माननीय अध्यक्ष साहूकारों की क्लास का मैं विरोध कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी क्लास के लोग कैसे कैसे अत्याचार करते हैं (हसी) इसलिए हाउस को इसको जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिये। उदयपुर और सालूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि वे जागीरदारों और जमीदारों को समाप्त करने को उत्सुक हैं तो साहूकारों को भी समाप्त करने में उत्सुकता दिखायें।

श्री द्वारकादास पुरोहित—माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष—Now there should be no more discussion on this.

मैं इसको क्वेश्चन पर रख देता हूं। मोशन एक है और दूसरा मोशन रखना चाहते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—विचार तो सुनलें आप लोग—बागों के।

श्री चन्दनमल वैद—I move that the bill be withdrawn from the Select Committee.

Page No 20

श्री टीकाराम पालीवाल—Is there a motion before the House.

श्री अध्यक्ष—मोशन इन्होंने (राजस्व मंत्री) ने रखा है कि "The bill should be recommitted to the Select Committee. The report is there."

So we can pass on to the next agenda.

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४ [तृतीय वाचन]

श्री अध्यक्ष—[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता से] The motion was already tabled yesterday. He can move the motion today also.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता [स्वायत्त शासन मन्त्री]—मैं, प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान नगरपालिका विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शंभुसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे आज्ञा हो तो बोलूं।

श्री अध्यक्ष—थर्ड रीडिंग पर।

श्री शम्भुसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—जरूर।

श्री शम्भुसिंह—अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल बिल का आज तृतीय वाचन होने जा रहा है। राजस्थान म्युनिसिपल बिल इस सदन में प्रस्तुत हुआ और इस पर भिन्न भिन्न सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की और उस वक्त इसके ऊपर विचार प्रस्तुत किये गये। यह जो बिल इस वक्त पास किया जाने वाला है वह म्युनिसिपल कमेटीज़ या म्युनिसिपल बोर्ड को इस प्रकार के पॉवर नहीं देता है जो कि स्थानीय स्वराज्य या स्वायत्त शासन के अनुकूल हों। इस वास्ते इसमें बहुत ज्यादा तादाद में संशोधन आये, परन्तु बहुमत के आधार पर वे संशोधन अस्वीकृत कर दिये गये और जैसा सरकार इसको पास करवाना चाहती थी उसी प्रकार से इसको द्वितीय वाचन में रूपरेखा तैयार की गई। वह रूपरेखा आज ही इस सदन की मन्जूरी के वास्ते सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस युग में रह रहे हैं वह एक प्रजातन्त्र का युग है और इस युग में यह सब बिल्कुल उचित बात है कि सत्ता या पॉवर्स को अधिक से अधिक डिसेन्ट्रेलाइज़ किया जाय और जैसा कि आजकल सोशलिस्ट कन्सेप्टन आफ सोसाइटी की दुहाई दी जाती है इसके अनुसार भी यह आवश्यक है कि हम पॉवर्स का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण करें। परन्तु इस बिल में

[रावत श्री शंभूसिंह]

हम यह देखते हैं कि सब कुछ सत्ता सरकार ने अपने हाथ में रखली है । इस वास्ते इस बिल को हम प्रगतिशील बिल नहीं कह सकते । बल्कि बहुत सी जगह और खास तौर से उदयपुर में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था उसके विधान को और यह जो बिल है जिसको आज हम पास करने जा रहे हैं उसको अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो मैं यह कहूंगा कि हम अग्रसर होने के बजाय पीछे की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं । उदयपुर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक आटोनेमस संस्था है ।

श्री अध्यक्ष— इसका स्कोप है:

"The discusion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or for the rejection of the bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the bill futher than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character."

श्री शम्भुसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल केरेक्टर पर ही निवेदन करूंगा और जनरल केरेक्टर इसका यह है कि यहां जो पहले जिस प्रकार के पॉवर्स या अधिकार वहां की स्थानीय संस्थाओं को प्राप्त थे उनको भी वापिस लेने वाला यह कानून है और यह एक बिलकुल सच बात है कि उदयपुर म्यु० कॉरपोरेशन को जो ओटोनोमस पावर्स थे वह अब इस बिल के पास हो जाने से नहीं रह जावेंगे, इसलिये मैं इस बिल के पास करने के पक्ष में नहीं हूं । कानून इस प्रकार का बनाया जावे जो इस वक्त मौजूदा पॉवर्स जिन बोर्डों अथवा स्वायत्त संस्थाओं को प्राप्त हैं वे तो रहें ही परन्तु यदि ज्यादा पॉवर दे सकें तो वह भी दें । परन्तु बजाय इस के जो इस वक्त पॉवर्स हैं उनको भी हम छीन लें यह उचित नहीं होगा ।

तो अध्यक्ष महोदय, उदयपुर म्यु० कॉरपोरेशन के अधिकरों का इस बिल से इस प्रकार अपहरण होता है और मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उदयपुर से चुन कर आये सदस्य इसका किसी प्रकार का स्वागत कर सकेंगे और वहां की जनता, अगर उन्होंने इस बिल को पास हो जाने दिया, तो, उनसे क्या प्रश्न करेगी कि आप हमारे वास्ते अधिक क्या अधिकार लेकर आये हो ? अथवा जो अधिकार हमारे थे उनको भी कम करके आये हो ? तो मैं तो नहीं समझता कि उदयपुर की जनता ऐसी हालत में वहां से आने वाले सदस्यों का कोई स्वागत करेगी ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को हमने जिस रूप में मन्जूर किया है वह कदापि प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता । इसलिये मैं तृतीय वाचन पर इसे पास करवे देने के पक्ष में अपने को उद्यत नहीं पाता हूं ।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका विधेयक का तृतीय वाचन आज प्रारम्भ होता है। माननीय मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस बिलको पास किया जावे मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष, जहां तक नगरपालिका के द्वारा जनता की सेवा कराने का प्रश्न है आज राजस्थान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध करे।

माननीय अध्यक्ष, लेकिन आज के इस युग में हमें यह देखना पडेगा कि जिस प्रकार की व्यवस्था हम नगरपालिका के कानून के द्वारा बनाने जा रहे हैं वह व्यवस्था कहीं आज जो समाज की व्यवस्था है उसको बिगाड़ न दे। यदि इस प्रकार के किसी कानून से उस व्यवस्था में समाज की आज की व्यवस्था को बिगाडने की ओर थोडा बहुत भी अगर प्रयत्न है तो उस सारी चीज को दूर निकालने के लिये हमें उसे किसी कानून को पास नहीं कराना चाहिये।

राजस्थान में पहले भी नगरपालिकाएं थीं, उनके चुनाव भी होते थे। नगरपालिका के फंक्शन्स भी राजस्थान को अनेक रियासतों में अलग अलग कानूनों से अलग अलग प्रकार से डिफाइन थे। चुनाव के तरीके भी अलग अलग थे। सर्विसेज़ के प्रोटेक्शन को लेकर भी अलग व्यवस्था थी। पर जो कानून आज बनने जा रहे हैं उससे सारे राजस्थान के इस प्रकार के सभी अलग अलग कानूनों का एक रूप से एकीकरण होगा और सब पर सामूहिक रूप से लागू होगा। इस सूरत में हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम हर पहलू को अच्छी तरह देख कर बाद में किसी निर्णय पर पहुंचे कि ऐसा कानून पास करवाना है या नहीं। अगर आरम्भ से लेकर अन्त तक जिन धाराओं से इस बिल का दिग्दर्शन होता है उससे जान पड़ता है कि वास्तव में कई भयंकर भूलें इसमें की गई हैं, जो आज भले ही हमें बडी नहीं लगती हों पर आगे चलकर इन भूलों के कारण हम सबको एक धक्का पहुंचेगा। जहां तक पहले की नगरपालिकाओं का सवाल है उनके कार्यकाल को, उनके कामों को, उनके कान्स्टीट्यूशनों को हमने इस नये कानून के अन्तर्गत प्रोटेक्शन दिया है, पर इसके साथ साथ जहां हमने यह व्यवस्था की है कि हर नगरपालिका की अवधि चार साल तक की होगी वहां साथ साथ यह भी व्यवस्था कर दी है कि जो पिछले कानून के अन्तर्गत कान्स्टीट्यूट हो चुकी थीं वे भी चार वर्ष की अवधि में शुमार की जावेंगी। यह पहली आपत्ति है जिसकी बिना पर मैं इस बिल का विरोध करना चाहता हूं और जिसको लेकर इस बिल का मुझे विरोध करना है।

(श्री उपाध्यक्ष, पदासीन)

पिछले अपने अलग अलग विधानों और नियमों के अन्तर्गत जिन नगरपालिकाओं का चुनाव हुआ उनकी अवधि तीन साल की थी। वहां की जनता ने तीन साल के लिये उनको चुना था। चुनते वक्त उनको विश्वास दिलाया गया था कि हमारी अवधि तीन साल तक की है। ऐसा विश्वास प्रतिनिधियों ने जो चुने गये दिलाया था, उन्होंने कहा कि तीन वर्ष तक हम आपकी सेवा

[श्री भैरूं सिंह]

करेंगे। इसके बाद इलेक्शन का दूसरा मौका आवेगा। अगर आप हमारी सर्विसेज़, से खुश हैं तो दूसरा मौका अगले चुनाव के वक्त दीजिये नहीं तो दूसरों को भेजा जाय। लेकिन आज उन वोटरों की इच्छा के प्रतिकूल व्यवस्था इस कानून में की जाकर जिनकी अवधि तीन वर्ष के लिये थी, जिनको तीन वर्ष के लिये ही कह कर चुना गया था, उनको सारों को तीन वर्ष के स्थान पर चार वर्ष तक के लिए प्रतिनिधि मान लिया गया है। उनकी चार वर्ष तक की अवधि इस कानून की व्यवस्था के अनुसार कर दी गई और वह भी इसलिये कि सब जगह सिमिलेरिटी लानी है।

माननीय उपाध्यक्ष, दूसरे प्रान्तों में भी ऐसा देखने में आया है कि नगरपालिकाओं के चुनाव वहां भी जब होते हैं तो उनके चुनाव में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है और वह विशेष प्रकार की व्यवस्था चुनाव के तरीकों के तौर पर पहले से प्रस्काइब्ड होती है। .यू. पी. में तो जहां तक मैं ने वहां का एक्ट देखा है, ऐसी व्यवस्था है कि सब की तारीखें निश्चित की हुई हैं कि कौनसे डिविजन की, कौनसे डिस्ट्रिक्ट की नगरपालिका का, किस तारीख को, किस प्रकार से चुनाव होगा। अलग अलग चुनाव कराने में एक विशेष प्रकार की दुविधा है। कहीं कलेक्टर को फुरसत नहीं, कहीं असिस्टेन्ट कलेक्टर को फुरसत नहीं, कहीं रिटर्निंग अफसर, जिसको बनाया गया है, उसको फुरसत नहीं और इसलिये उन नगरपालिकाओं का समय २ पर एक्सटेन्शन होता जाता है और इसके जरिये से डेमोक्रेसी के मूलभूत तत्वों को ताक पर रखकर ऐसी कार्यवाही करते हैं जिसकी कोई भी जनतन्त्र प्रिय व्यक्ति कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकता। वैसी सूरत में आज इस बिल में इस बात का अभाव है कि चुनाव की प्रणाली को लेकर राजस्थान के प्रान्त में जिलेवार चुनाव होंगे, या किस तरीके से होंगे। अलग अलग म्यु० बोर्ड अलग अलग तारीखें, अलग २ रिटर्निग अफसर ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे शुद्ध वातावरण में चुनाव कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इस सूरत में यह दूसरी खामी है। इसके अलावा जहां हमने चुनाव कराने के तरीकों को लेकर सारी म्यु० एरिया को कान्स्टीट्यूएन्सीज़ में या वार्डों में बांटने की व्यवस्था की है वहां हमने सरकार को अधिकार दिया है कि सरकार "The state Government may divide each Municipality into as many wards as the state Government like." इसका मतलब यह है कि जितनी स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा है उतने वार्डों के अन्दर सारे नगरपालिका के एरिया को विभाजित किया जाय। इसमें हमारे सामने विशेष प्रकार की कठिनाई है। हमने यह अनुभव किया है कि जहां सरकार को अपने दल को जिताने के लिये विशेष प्रयत्न की आवश्यकता हो वहां सिंगल मेम्बर कान्स्टीट्यूएन्सी करके विभाजित कर देती है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सारे म्यु० ऐरिया को इस प्रकार विभाजित करने से सत्तारूढ़दल की विजय सम्भव न हो तो सारी एरिया को सिंगल कोन्स्टीट्यूएन्सी बनाकर सबके इलेक्शन लडने की व्यवस्था कर दी जाती है। इसमें जबर्दस्त दिक्कत है।

पहले तो इलेक्शन की दृष्टि से हम देखें तो इसमें एक विशेष प्रकार की दिक्कत आती है। अगर सिंगल मेम्बर कान्स्टीट्यूएन्सी होती है तो इलेक्शन हुआ और एक मेम्बर चुनने के बाद वहां से नगरपालिका में आता है तो वह एक प्रकार से जनता के प्रति

Page No 24

[श्री भैरूंसिंह]

रेस्पोन्सिबल होता है और कोई भी आदमी अपने वोटर्स को खुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन आज जयपुर शहर को अलग अलग चौकड़ियों में विभाजित कर दिया है और एक एक चौकड़ी से ३-३ मेम्बर इलेक्टेड होकर जायेंगे। एक चौकड़ी से तीन आदमी जायेंगे। यह तीनों आदमी समझेंगे कि तीनों ही उस चौकड़ी की जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल हैं। को एक काम के लिए उस चौकड़ी का आदमी किसी एक मेम्बर के पास जाता है और वह मेम्बर काम नहीं करता है और वह कहता है कि यह जिम्मेदारी तीनों की है; मैं अकेला तो नहीं हूं। मैं इस काम को करने के लिये तैयार नही हूं। वह दूसरे के पास जायगा तो दूसरा यह कहेगा कि बाकी के दोनों के पास जाकर कहो मैं नहीं कर सकता हूं। वह तीसरे के पास जायेगा तो वह भी यही कहेगा कि बाकी के दो व्यक्तियों के पास जाओ वह काम कर देते हैं तो ठीक है। यह ठीक है कि जनता के प्रति रेस्पोन्सिबल हैं। कई जगह फायदा होता है नगरपालिकाओं को। लेकिन जहां इस तरह से जनरल तरीके के आधार पर इलेक्शन हुए हैं वहां का अनुभव यह कहता है कि जनता के प्रतिनिधि जनता को वास्तविक रूप में किसी तरह से सेवा नहीं करते हैं; सेवा करने से गुरेज करते हैं।

दूसरी सूरत यह है कि इलेक्शन में ये इलेक्शन एक विशेष प्रकार को कठिनाई पैदा कर रहे हैं। वह भी इसमें है कि गरीब आदमी है वह अपनी कन्स्टीटुएन्सी यदि वह सिंगल मेम्बर कन्स्टीटुएन्सी है उसमें २०० या ५०० वोटर्स होंगे उनसे कान्टेक्ट करके वह इलेक्शन जीतने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ३, ४ कन्स्टीटुएन्सीज़ होती हैं और एक, एक में ३, ३ मेम्बर्स खड़े होते हैं। एक गरीब आदमी को भी सारे लोगों के पास जाकर केनवेसिंग दरख्वास्त करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। इतनी बड़ी कन्स्टीटुएन्सी के एरिया को वे ही कवर कर सकते हैं जो कि पैसा खर्च कर सकें। उसके मुकाबले में उस गरीब आदमी को कुछ न कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। वैसी सूरत में क्या होता है कि गरीब आदमी का वहां पर अपने लोगों पर कुछ प्रभाव होता है अगर अपने गरीब भाइयों के कारण नगरपालिका में पहुंचता है और वहां पहुंचकर वह अपने मौहल्ले के, अपने वोटर्स की बात रखना चाहता है वह नहीं रख सकेगा। वह उन लोगों के साथ में जो पैसे से अन्धाधुन्ध प्रचार करवाकर, लोगों को पैसे के बल पर खरीद कर, एक चौकडी से तीन चार आदमी इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं कैसे टिक सकेगा। वर्ना उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो व्यवस्था कर सके हैं उसके अलावा अगर अलग अलग वार्ड्स को विभाजित किया जाय तो निश्चित् रूप से कह सकता हूं कि पचास परसेन्ट कांग्रेस वालों की जमानतें जब्त हो जायं। सरकार ने जानबूझ कर बडी बडी चौकडियों में इसलिए विभाजित किया है कि कांग्रेस दल किसी न किसी प्रकार से जीत जाय। हम देखते हैं कि जयपुर की जनता के खिलाफ लोकतंत्र के सिद्धांतों को ताक में रखकर सरकार फिर चेष्टा कर रही है तो वह जयपुर की जनता भी उसके मुकाबले के लिए तैयार है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार न्यायसंगत तरीके को अपनाये और गरीबों को आगे आने का मौका दे। गरीब ही गरीब जनता का प्रतिनिधि बने इस बात का अवसर प्रदान करे। गरीबों की बात करने वाले गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले वे लोग हैं जो स्वयं धनवान हैं या धनवान होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह जो इलेक्शन का तरीका है, इलेक्शन का जो ढ़ंग है वह सारा इस बात का द्योतक होना चाहिए कि हर आदमी इलेक्शन कन्टेस्ट कर

[श्री भैरूंसिंह]

सके। मगर यह तो उनके खुद के लोगों को जितवाने का तरीका है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में चौकडी वार वार्ड्स बनाये गये हैं और अलग अलग सिंगल मेम्बर्स कन्स्टीटुएन्सी नहीं बनाई हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। यह सरकार कह सकती है कि सरकार के हाथ में ऐसे अधिकार हैं कि यदि वह चाहे तो सिंगल मेम्बर कन्स्टीटुएन्सी बना दे, या चाहे तो २, ३ मेम्बर्स कन्स्टीटुएन्सी बना दे। जहां तक चाहने का प्रश्न है यह बिल्कुल गलत तरीका है कि सरकार के हाथ में एक ऐसी सत्ता हो कि जिस सत्ता का एकमात्र वह दुरुपयोग करे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और इस बिल में स्टेट्यूटरी ऐसा प्रोवीजन हो कि हर नगरपालिका का क्षेत्र सिंगल मेम्बर वार्ड्स के अन्दर विभाजित किया जाय और उसके मुताबिक इलेक्शन हो।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष इलेक्शन के तरीके के साथ में है। इसमें आज तक जो नगरपालिकाओं के चुनाव का तरीका रखा है व बेलट पेपर बनाकर क्रॉस करने का तरीका रखा है। क्रॉस करने के सम्बन्ध में कई जगह कठिनाइयां आई हैं। कई जगह बेलट पेपर्स नहीं दिये गये हैं। कई जगह लोगों को सिम्बोल्स नहीं दिये गये। मालपुरा की नगरपालिका के चुनाव के वक्त में चीज़ की गई है। यानी यह नहीं किया कि सिम्बाल्स दिये जाय। लोगों के दरख्वास्त करने पर भी सिम्बाल्स नहीं दिये गये क्योंकि उन्हें डर था कि सिम्बॉल्स देने से कांग्रेस दल मालपुरा में हार जायगा और इससे वहां से आये हुए मन्त्री महोदय का नाम बदनाम हो जायगा। उन्होंने सिम्बॉल्स तो नहीं दिये लेकिन नाम लिख दिये गये। वे बेचारे अनपढ़ लोग क्या जाकर नाम के आगे क्रॉस लगायेंगे। वे नाम में क्रॉस नहीं लगा सके और उन्होंने रिटर्निंग ऑफीसर की मदद ली तो इसका नतीजा यह हुआ कि वे वोट देना चाहते थे किसी दूसरे व्यक्ति को और क्रॉस किया गया कोई दूसरे ही व्यक्ति के नाम के सामने। इसलिए यह तरीका हमको बदलना पड़ेगा। वह तरीका सब प्रांतों में बदल गया है नगर-पालिकाओं के चुनाव को लेकर। यू० पी० और मध्यप्रदेश ने यह तरीका बदल दिया है। पेप्सु और पंजाब ने यह तरीका बदल दिया है और उन्होंने सिंगल मेम्बर्स कन्स्टीटुएन्सी के सिस्टम को अपनाया है और क्रॉस सिस्टम को हटा दिया है। जिस तरह से पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन्स एक्ट में जो बेलट बॉक्स की प्रणाली है, वोट डालने का तरीका है उस तरीके को अपनाया है। उस तरीके से दो फायदे हैं। एक तो यह है कि उस जगह पर इतना मोलेस्टेशन नहीं होता है, लोगों को दबाया नहीं जाता है उनके विपरीत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दूसरा यह है कि लोगों को वोट देने में सुविधा हो। मैं समझता हूं कि इस बिल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है और जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो तब तक असेम्बली में इसको पास करने से कोई विशेष लाभदायक चीज़ नहीं होगी।

मैं कहना चाहते हैं कि चुनाव के तरीकों को लेकर अधिकांश में वे ही बातें स्वीकार की गई हैं जो पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में विशेष प्रकार से उल्लेख में आई हैं। माननीय उपाध्यक्ष, इस बात के लिए मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ अंशों

[श्री भैरूंसिंह]

में जो कुछ डेमोक्रेसी के प्रिन्सीपल्स के आधार पर होकर बातों को स्वीकार करके यह कार्य किया है। लेकिन साथ ही साथ मोटी मोटी चीजें जो विशेष प्रकार से पॉलिसी मेटर्स की बातें हैं उन पॉलिसी मेटर्स में कई खामियां रह गई हैं, जिन खामियों के कारण किसी भी हालत में हम यह कह सकते हैं कि पास नहीं किया जाय।

वे खामियां मेरी नजर में यह हैं कि इलेक्टेड मेम्बर्स की हालत जो सरकार के हाथ में सौंप दी गई हैं कि इलेक्टेड मेम्बर्स को हटाने का अधिकार भी है। इलेक्टेड म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड करने या डिज़ोल्व करने का अधिकार है। इलेक्टेड मेम्बर्स के जितने फन्क्शन हैं उन फन्क्शन्स में हर समय इन्टरफियर करने का अधिकार है। उनके काम में रुकावट डालने का सरकार को अधिकार है। उनके बजट में हेरफेर करने का सरकार को अधिकार है। टेक्स इम्पोज़ करने में रुकावट डालने का तथा टेक्स लगाने का सरकार को अधिकार है। तो मैं कहूंगा कि म्युनिसिपेलिटीज़ में जनता के सही सही रूप से प्रतिनिधि होकर नहीं, बल्कि सरकार के एजेन्ट होकर, सरकार चाहे जिस तरह से उस तरह से एजेन्ट का काम करें। हम चाहते हैं कि सत्ता विकेन्द्रीकरण करें, मगर केन्द्रीकरण के करने में जो आज हाउस के सामने कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों से दूर होकर विकेन्द्रीकरण को थोड़ा बहुत लो लेवल पर पहुँचा दें। विकेन्द्रीकरण करके लोगों के खर्चे में कमी करें, उनकी परेशानियों को कम करें। लोगों को सस्ता न्याय प्रदान करने की चेष्टा करें। भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वानों ने इस चीज को स्वीकार किया है कि नगरपालिकाओं में, लोकल बोडीज़ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पंचायतें या तहसील पंचायतें हैं आज वे युनिट्स हैं जिनके द्वारा हम स्टेट का विकेन्द्रीकरण कर सकते हैं। हम हर लेवल पर उस प्रकार का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। लेकिन इस एक्ट में ऐसे लेकर जेंड तक देखेंगें तो सत्ता सरकार के हाथ में है। हर काम में हस्तक्षेप करने की सत्ता, सुपरसीड करने की सत्ता, डिजॉल्व करने की सत्ता सरकार ने अपने हाथ में केन्द्रीभूत कर रखी है। आज के युग की मांग के खिलाफ म्युनिसिपेलिटीज़ में करने की व्यवस्थाओं से यह सारे का सारा एक्ट भरा पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज इसकी आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के केन्द्रीभूत करने वाले ऐसे बिल को तकाजे के अन्दर किसी प्रकार से पास कर दें।

मेम्बर्स को रिमूव करने का प्रश्न आता है। मेम्बर्स को रिमूव करने के प्रश्न को लेकर कहा यह जाता है कि उस व्यवस्था को इसके अन्दर रखने से जनता के इलेक्टेटड मेम्बर्स को हटा सकते है या नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी भी लोकल बोडीज़ हैं उनके लिए कोई तरीके से प्रोविन्शियल लेजिस्लेचर में इस तरह की बात आने की आवश्यकता नहीं है। कन्स्टीट्यूशनमें लोकल बोडीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोवीजन्स लाने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन जब वह नहीं है तो जब कोई लॉ बनता है इस तरह से लेजिस्लेटिव असेम्बली से कोई कानून बनता है तो उस कानून में ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है कि जिस व्यवस्था के आधार पर जहां २ जरूरत हो इस प्रकार का प्रोटेक्शन दिया जाय।

[श्री भैरूं सिंह]

लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह का बिल हमारे सामने प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट के साथ आया था उस रूप में यदि इसको स्वीकार किया गया होता तो यह घोर अनडेमोक्रेटिक था। लेकिन माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को इस बात का श्रेय है कि इसको उन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक बनाने का प्रयत्न किया है। लेकिन उनके इसको डेमोक्रेटिक बनाने के प्रयत्न के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं और उन चीजों के कारण से हम यह साहस नहीं कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है और इसको डेमोक्रेसी का जो सिद्धान्त है उसके अनुसार लागू किया हुआ नहीं मान सकते हैं।

सरकार ने इस बिल में यह व्यवस्था की है कि अगर किसी मेम्बर के विरुद्ध कोई शिकायत है तो उसकी सरकार इन्क्वायरी करायेगी, उसको इन्क्वायरी कराने के पश्चात् सरकार उसको सस्पेन्ड करने से पूर्व सरकार को यह अधिकार है कि उसकी इन्क्वायरी किसी इन्सपेक्टर से कराई जाय। इन्क्वायरी के पश्चात् उसको ट्रिब्यूनल में रेफर करें। हमने इसके द्वारा डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है लेकिन हमने तो इसके द्वारा यह स्वीकार कर लिया है कि अगर सरकार को यह विश्वास हो जाय कि कोई मेम्बर लायक नहीं है, मेम्बर सरकार में विश्वास नहीं करता है, हम सरकार को उस मेम्बर को हटाने के पॉवर्स देते हैं। सरकार यह उचित समझती है कि किसी मेम्बर को हटाना है, मेम्बर अपने पॉवर्स को एब्यूज़ कर रहा है या ऐसी बात हो रही है मेम्बर्स के द्वारा कि सरकार उन को बनाये नहीं रखना चाहती तो उस स्थिति में, जनता के द्वारा चुने हुए उस प्रतिनिधि को हटाने से पहले, उस जनता के मेम्बर को हटाना से पहले सरकार ने यह व्यवस्था नहीं है कि किसी प्रकार से सरकार उसके विरुद्ध जो शिकायतें हैं उनके सिलसिले में अपनी बरियत के सिलसिले में सहायता दे सके। धारा ४५ में संशोधन हुआ है। सरकार ने छूट दी है कि सरकार किसी इन्सपेक्टर के द्वारा इन्क्वायरी करा ले। यदि शिकायतें उस मेम्बर के विरुद्ध आयी हैं तो उसकी सरकार इन्क्वायरी कराये उस हद तक तो अच्छा, लेकिन एक मामूली तनख्वाह पाने वाला इन्सपेक्टर यह कह देता है कि ये शिकायतें आयी हैं, उस मेम्बर को बिना अपनी सफाई का मौका दिये, सरकार उसको सस्पेन्ड कर देगी, बिना इन्क्वायरी कराये कि इस सम्बन्ध में मेम्बर की क्या सफाई है सरकार उसको सस्पेन्ड कर देगी। मेरा निवेदन यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि सस्पेन्शन से पहले इन्क्वायरी होती है, उस मेम्बर का सस्पेन्शन उस इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर और उस इन्क्वायरी के आधार पर ही होता है। उसमें यह व्यवस्था नहीं कि वह ट्रिब्यूनल में कब जायगा। उसके कागजात को ट्रिब्यून के सामने भेजने की व्यवस्था उसी समय होनी चाहिए जबकि मेम्बर को हटाया जारहा है, उसी वक्त भेजने चाहिए जब कि उस मेम्बर को हटाया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था न रखने से होगा क्या कि मेम्बर को इन्सपेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर बिना उसको मौका दिये ही हटा दिया, सस्पेन्ड कर दिया, मेम्बर के सस्पेन्शन के, शिकायतों के कागजात ट्रिब्यूनल के पास गये नहीं उस हालत में जो कार्यकाल इसमें निश्चित किया गया है वह उसके सस्पेन्शन में ही निकल जायगा। तो इस प्रकार से अगर यह जो मौजूदा व्यवस्था इस धारा में रखी जाती है तो वह रिमूवल

[श्री भैरूंसिंह]

के जो अधिकार सरकार ने लिये हैं, उससे भी यह बुरी व्यवस्था सरकार को दे देते हैं। रिमूवल के पॉवर्स सरकार ने लिए हैं। सस्पेन्ड करने के लिए पॉवर्स सरकार को दिये गये हैं जिनका उल्लेख माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आगे करूंगा। मैं खुद, माननीय उपाध्यक्षजी, यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि किसी इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को बिना उसकी सफाई पेश किये ही इस तरह से सस्पेन्ड कर दें और उसके भविष्य का निर्णय करने के लिए उसको ट्रिब्यूनल में न भेजें और इस तरह से मामला पड़ा रहे और उससे दो तीन साल का समय निकाल दिया जाय।

किसी नगरपालिका में एक किसी पार्टी का बहुमत है, एक दो आदमियों का ही बहुमत है, उस बहुमत को गिराने की चेष्टा करें, उस बहुमत को गिराने के लिए प्रस्ताव पास करने की चेष्टा करें, क्या होता है, आज से कुछ दिनों पहले नगरपालिकाओं में धांधलियां होती थी, मिनिस्टर लेवल पर धांधलियों में भाग लिया जाता था, कोई आदमी आकर शिकायत करे, यह शिकायत करे कि जनसंघ और कांग्रेस के बीच में बहुमत के लिए १ आदमी का फर्क है, जनसंघ एक वोट से जीत रहा है और कांग्रेस एक वोट से हार रही है, तो उस बहुमत को गिराने के लिए उस एक आदमी को सस्पेन्ड कर दिया जाय और इस तरह से उस एक आदमी के बहुमत को गिराने के लिए, कांग्रेस को मेजोरिटी में लाने की चेष्टा की जाय, एक आदमी के इस प्रकार सस्पेन्ड करने से फायदा उठाया जा सकता है और जो इस प्रकार से इसके द्वारा यह फायदा उठाया जा सकता है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अगर यही भावना आप लोकल बोडीज़ में लाना चाहते हैं तो लोकल बोडीज़ का हित नहीं होगा। अगर किसी मेम्बर के विरुद्ध शिकायत है तो सस्पेन्शन के पॉवर्स सरकार ने अपने पास ले लिये हैं, जब पॉवर्स सरकार ने सस्पेन्शन के अपने पास ले लिये हैं तो उस सस्पेन्शन के साथ साथ यदि सब कागजात ट्रिब्यूनल के पास जायंगे तो और बिना मौका दिये ही मेम्बर को केवल इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर हीं सस्पेन्ड नही करेंगे तो बात समझ में आ सकती है। मुझे इसका फन्डामेन्टली विरोध है कि इस प्रकार से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार सरकार को इस प्रकार से दिया जाना चाहिए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार तो जनता को ही देना चाहिए। लेकिन सरकार यदि लेना चाहती है तो जैसा मैंने उल्लेख किया उसी प्रकार की व्यवस्था अगर लागू होगी तो मैं समझता हूं और निश्चित रूप से कहूंगा कि वह लोकल बोडीज़ के लिए लाभदायक होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी बड़ी धारा डिज़ोल्व या सस्पेन्ड करने की है। धारा ३०१ में यह व्यवस्था की है कि अगर सरकार चाहे तो किसी नगरपालिका को डिज़ोल्व कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो किसी भी नगरपालिका को सुपरसीड कर सकती है। और उस नगरपालिका को डिज़ोल्व या सुपरसीड करने के पश्चात् छः महीने में उस नगरपालिका का चुनाव करा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष, पहले यह व्यवस्था थी कि इस प्रकार से सुपरसीड या डिज़ोल्व की हुई म्युनिसिपेलिटी का एक साल में चुनाव कराया जा सकेगा और यदि एक वर्ष में वह केस चलाया जाय तो

[श्री भैरोंसिंह]

मुकदमा चले तब तक का समय भी उस अवधि में और जोड़ दिया जाय। इसका मतलब यह हुआ कि १ वर्ष से भी अधिक समय लगाया जा सके तो लगाया जा सकता है। अब ६ महीने का समय रखा है अगर किसी म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड करना है तो। अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि सरकार को सुपरसीड या डिजोल्व करने के अधिकार दे या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, जहां सुपरसेशन और डिसोल्यूशन का प्रश्न आता है तो इसमें दो चीजें हैं। जहां किसी नगरपालिका को डिजोल्व करने की आज्ञा होती है, उस नगरपालिका को डिज़ोल्व करने की आज्ञा के बाद जब तक चुनाव नहीं होते हैं, उस नगरपालिका के मेम्बर्स अपनी प्रिविलेजेज़ का उपयोग करते रहेंगे। लेकिन जहां किसी नगरपालिका को सुपरसीड किया जाता है तो जिस दिन से नगरपालिका को सुपरसीड किया जाता है, जिस दिन से जिस तारीख से नगरपालिका को सुपरसीड करने की आज्ञा दी जाती है उस दिन से नगरपालिका के मेम्बर्स के पॉवर्स और प्रिविलेजेज़ खत्म होंगे। मैं यह चाहूंगा कि यदि सरकार यह आवश्यक समझे कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड की अनियमितताओं के कारण, किसी म्युनिसिपल बोर्ड के बुरे कामों के कारण, किसी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जनता को तकलीफ पहुंचाने के कारण उस म्युनिसिपल बोर्ड को बन्द करना चाहे तो सरकार कर दे। लेकिन मैं सरकार द्वारा एक भी मेम्बर को हटाने के विरुद्ध हूं और सरकार द्वारा किसी भी नगरपालिका को भंग करने के सम्बन्ध में मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। जनता के हाथ में इसको छोड़ देना चाहिये अगर सरकार अधिकार लेना चाहती है तो वह डिसोल्यूशन के अधिकार ले, उसको सुपरसेशन के अधिकार कदापि नहीं लेना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, यदि कोई बजट पास करना है, यदि बाईलॉज़ बनाने हैं, कोई इमरजेन्सी का काम है तो सरकार को अधिकार दिये हैं कि वह म्युनिसिपेलिटी की इच्छा के विरुद्ध उन कामों को एक्जीक्युट करायेगी, उनका खर्चा म्युनिसिपेलिटी से लेगी और यदि कोई नगरपालिका खर्चा नहीं देती है तो सरकार को यह भी अधिकार है कि उस नगरपालिका के कोष पर डिग्री इश्यू करके खजाने से बाला बाला वसूल करे। यदि कोई काम का प्रश्न है इमरजेन्सी के अन्दर तो हमने सरकार को अधिकार दिये हैं कि सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, जहां काम नहीं कराने का प्रश्न आता है तो वहां अधिकार दिये हैं। कलेक्टर और कमिश्नर को अधिकार दिये हैं किसी काम का एक्जीक्युशन यदि जनता के हित में नहीं है तो वह उनको बन्द करवा दे, यह अभी अधिकार उनको दिया है कि यदि वह काम अच्छा है तो कराये और जितना खर्चा है वह उस नगरपालिका से ले। मेरी समझ में अब उनकी वह दिक्कत नहीं आती है कि फिर ऐसी कौनसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि सरकार को उस नगरपालिका को डिजोल्व करने की नौबत आ जाय। यदि किसी नगरपालिका को डिजोल्व करना या उसको सुपरसीड करना है तो वे चीजें सोचनी पड़ेंगी कि जिनके कारण से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। सरकार को अधिकार है कि यदि कोई मेम्बर गड़बड़ी करता है तो उसको वह हटा सकती है। जहां बजट के प्रोविजन्स में म्युनिसिपेलिटी और सरकार के बीच में कोई मतभेद है तो उस मतभेद की हालत में सरकार की राय ही प्रिवेल करेगी और उसी की मंशा से नगरपालिका का बजट बनेगा, जहां टेक्सेज़ का सवाल आता है उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि अगर नगरपालिका कोई टेक्स जनता पर लगाना चाहे तो "with the

[श्री भैरोंसिंह]

approval of the State Government" लगा सकती है । अगर स्टेट नहीं चाहेगी तो वह नगरपालिका टेक्स नहीं लगा सकेगी । यदि स्टेट गवर्नमेंट की यह राय है कि टेक्स माफ किया जाय तो नगरपालिका माफ करेगी । टेक्स लगाने में सरकार को अधिकार है, नियुक्ति के मामलों में सरकार को अधिकार है, काम कराना और उसको बन्द करने के बारे में सरकार को अधिकार है, फिर कौनसी चीज़ ऐसी रहती है जिसका अन्दाज लगा सकते हैं कि सारे म्युनिसिपल बोर्ड को सामूहिक रूप से विशेष बात को लेकर सरकार की आज्ञा का वह उल्लंघन करेगा । अगर कोई नगरपालिका सरकार की आज्ञा का उलंघन करती है तो उसको चौ तरफ से जकड़ दिया गया है, वह सरकार की आज्ञा के खिलाफ जा नहीं सकती । जिस तरह से जयपुर नगरपालिका को सुपरसीड किया गया, जिस तरह से जोधपुर नगरपालिका को सुपरसीड किया गया जिस तरह से कोटा बांरा की नगरपालिका का प्रश्न आया उनको सुपरसीड किया, जो काम सरकार जनता के प्रतिनिधियों से कराना चाहती है, जहां प्रतिनिधि फेल हुए वहां सरकार भी फेल हुई जितनी जम्मेदारी उनकी है उतनी ही सरकार की भी है । जयपुर म्युनिसिपिल बोर्ड को इसलिये भंग किया गया कि ओक्ट्रोय ड्यूटी वह इम्पोज़ नहीं कर सका । लेकिन बाद में सरकार भी डेढ साल तक निरंतर प्रयास करने के बाद भी ओक्ट्रोय ड्यूटी इंपोज नहीं कर सकी । सरकार भी इम्पोज़ नहीं कर सकी इसलिये सरकार को भी सुपरसीड किया जाय लेकिन सरकार को सुपरसीड करेंगे का दूसरा तरीका है । जनता सरकार को भी सुपरसीड कर सकती है । सुपरसीड करने के पोवर सरकार के पास नहीं होने चाहिये बल्कि जनता के पास होने चाहिये । यदि जनता चाहे कि किसी मेम्बर को हटाना है तो उसको पॉवर ओफ रिकॉल होना चाहिये जिससे कि वह किसी मेम्बर को हटा सके या म्युनिसिपल बोर्ड को भंग कर सके । यदि यह अधिकार सरकार के हाथ में दिया जायगा तो इस अधिकार का दुरुपयोग होगा, हुआ है और आगे चल कर भी होगा । वैसी सूरत में हमें यह सोचना पड़ेगा कि सुपरसीड करने के पोवर सरकार के हाथ में दें या नहीं । इसके बारे में निश्चित मान्यता रखता हूं कि सरकार को यह पोवर नहीं देनी चाहिये । जनता के प्रतिनिधियों को डिज़ोल्व करने का अधिकार सरकार को नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा ।

अब सवाल आता है म्युनिसिपल सर्विसेज़ के बारे में । म्युनिसिपल बोर्ड की सर्विसेज़ थोडी नहीं हैं । राजस्थान में १४६ नगरपालिकाएं हैं । यदि एक एक नगरपालिका में थोडे थोडे आदमी हों तो भी कुल मिलाकर उनकी संख्या हजारों आदमियों की होती है । उनके लिये सिलेक्ट कमेटी ने जो प्रतिवेदन किया था उसनें इसके लिये किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी लेकिन आगे चलकर जब विधान सभा में इसे विचारार्थ लिया गया तब कुछ ऐसे संशोधन आये जिनसे हमें संतोष हुआ । वाकई हमने म्युनिसिपेलिटीज़ के छोटे-छोटे कर्मचारियों के साथ जो खिलवाड की जा सकती थी उसको रोकने की व्यवस्था की है, उसनें भी कुछ लूप होल रह गये । धारा ६८ में हमने यह व्यवस्था करदी की म्युनिसिपल चेयरमेन स्केवेन्जर्स और स्वीपर्स को हटाना चाहे तो १ महीने का नोटिस देकर हटा सकता है । जहां हमने १ महीने का नोटिस कर दिया वहां एक महीने का

[श्री भैरोंसिंह]

नोटिस दिये बिना हटाना चाहते हैं तो १ महीने की तनख्वाह देनी पडेगी। लेकिन एक स्वीपर या स्कैवेन्जर बिना नोटिस दिये चला जाता है तो हमने व्यवस्था की है कि उसको १ महीने की सजा और ५० रु० तक का जुर्माना देना पड़ेगा। कम्पेरिजन किया जाय म्युनिसिपल बोर्ड साधन संपन्न संस्था है जो टेक्स इकठ्ठा करके धन रखती है उसके लिये तो यह शर्त रखी को यदि कोंटेक्ट बेसिस पर किसी स्कैवेन्जर या स्वीपर को रखा है उसको किसी कारण से निकालना है तो १ महीने का नोटिस देना होगा। इस एक महीने के नोटिस का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा ३० रुपिये लेकिन यदि एक स्वीपर चला जाता है बिना नोटिस के तो उनको १ महीने की सजा और ५० रु० का जुर्माना देना पडता है। यह मानवता का तकाजा है कि हम उनको ऐसा प्रोटेक्शन दें कि उन पर कोई अन्याय नहीं हो सके। मैं यह मानता हूं कि ऐसी धारा राजस्थान में ही नहीं है बल्कि और भी कई जगहों पर है लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस धारा का उपयोग नहीं होता है ! इसका उपयोग इस समय तो नहीं होता लेकिन जब स्वीपर्स हडताल कर देते है या स्ट्राइक कर देते हैं और काम करना नहीं चाहते हैं उस समय इस धारा का उपयोग होता है। इस धारा का उपयोग राजस्थान की राजधानी जयपुर में ५ वर्ष पहले हुआ था। भंगियों ने हडताल की तो उनको १५, १५ दिन की सजा टिका दी गई। यदि जनता को परेशान करने के लिये स्ट्राइक की जाती हो तब तो सजा दें तो कोई बात नहीं। लेकिन जब स्ट्राइक करने का मकसद यह हो कि अपने ग्रिवेन्सेज़ सरकार के सामने रखते रखते वे परेशान हो गये और उनकी सुनवाई हुई नहीं यदि उसके प्रोटेस्ट में काम रोका है तो हमें यह देखना होगा कि स्ट्राइक का कारण भिन्न है इसमें यदि हम उनको फंसा दें तो यह व्यवस्था मानवता और न्याय की दृष्टि से अनुचित है। यदि आप चाहते हैं उनको हटाया जाय और यह चाहते हैं कि बिना नोटिस हटाया जाय तो आप उनको १ महीने का नोटिस दिये बिना भी हटा सकते हैं। यदि आप किसी को बिना नोटिस हटाना चाहते है तो उनको एक महीने की तनख्वाह देकर हटा सकते हैं जो स्वीपर बिना नोटिस हट जाता है तो हम उनको १ महीने को तनख्वाह नहीं देंगे इससे उन पर जुर्माना हो जायगा। उनको नौकरी से हटाना पडा और नोटिस पे की तनख्वाह भी नहीं मिली। नोटिस पे नहीं मिलने से सरकार के रूपये भी बच जायेंगे और उनको जेब से नहीं देना पडेगा और उनको सजा भी मिल जायगा। यह एक तरह से अच्छी व्यवस्था है इसे मंजूर करने में संकोच नहीं करना चाहिये।

आगे चल कर जो सारे बिल का कलेजा है जिसकी व्यवस्था इस बिल में की गई है वह है ओब्लीगेटरी टेक्सेज़। टेक्सेज़ इम्पोज़ करने की व्यवस्था इसमें की गई है। कई टेक्सेज़ के नाम लिखे हैं मैं सारों को पोइन्ट आउट नहीं करना चाहता। उन पर काफी वाद विवाद पहले हुआ है।।३ टेक्सेज़ जो ओब्लीगेटरी रखे हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने इतना जरूर किया है कि गरीबों से ज्यादा टेक्स न लेकर उन लोगों से ज्यादा टेक्स लेने की व्यवस्था की है जो दे सकते हैं। इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन यह दिक्कत आती है कि हम उनको ओब्लीगेटरी ट्रीट करें। बद किस्मती है कि कुर्सियां रात दिन बदलती रहती

[श्री भैरूंसिंह]

हैं, सरकार बदलती रहती है । कहीं ऐसे लोगों के हाथ में न चली जाय जो धड़ाधड़, ओब्लीगेटरी के नाम पर कर इम्पोज करते रहें । इस बिल में भी अमेन्डमेंट लाकर टेक्स इम्पोज़ करने की चेष्टा करें । वैसी सूरत में मोटे रूप में ही नहीं बल्कि माइन्यूटली सोचना पड़ेगा कि सरकार को इस बारे में कोई अधिकार दें या नहीं । नगरपालिका या स्वायत शासन का मतलब है अपने विचार से जनता की जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितना धन चाहिये उतना धन जुटावें और इस रूप में जुटावें कि थोड़ा थोड़ा आकर इकठा हो जाय । लेकिन यह व्यवस्था किनके हाथ में होनी चाहिये ? यह व्यवस्था उनके हाथ में होनी चाहिये जो इस काम के लिए चुन कर आये हैं । छोटीसी नगरपालिका सीकर की है । उसके लिए कितना धन चाहिये, कितना धन वहां की जनता दे सकती है, वहां के लोगों की इकोनोमिक कंडीशन कैसी है इस बात का पता वहां के चुने हुए लोगों को अधिक है बनिस्बत सेक्रेटेरियट में बैठकर हुक्म देने वालों के । यह व्यवस्था सेक्रेटेरियट में बैठे बैठे नहीं होगी, लेकिन सीकर के चुने हुए लोगों से होगी कि कितने धन की आवश्यकता है और कैसे जुटाया जा सकता है । इस व्यवस्था को अलग करके हमने ओब्लीगेटरी प्रोविजन्स रखकर यह व्यवस्था कर दी कि नगरपालिका के पास पैसा है या नहीं, धन की आवश्यकता है या नहीं, धन खर्च करने का काम है या नहीं, इस पर बिना विचार किये हुए तीन प्रकार के टेक्स लाजमी तौर से लगाने होंगे । ये तीन टेक्स हैं ओक्ट्रोय, हाउस टेक्स और प्रोफेशन्स के ऊपर टेक्स । लेकिन जहां तक हाउस टेक्स का प्रश्न आता है बाहर गांवों में, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था टेक्स नहीं लगाना चाहिये । लेकिन हाउस टेक्स के मामले मे कुछ रियायत की है । छोटे छोटे मकानों पर जिनका किराया गांवों में ५ रु० माहवार और शहरों में १० रु० माहवार से कम आता है उस पर टेक्स नहीं लिया जायगा । जिनकी रेन्टल वेल्यू इससे अधिक है उससे वसूल किया जायगा । लेकिन बाहर गांवों में हालत ऐसी है कि कई लोग मकान किराये से अपना खर्चा निकालते हैं उनके लिए कोई जरिया मास नहीं है सिवाय किराये के । ऐसे लोगों पर टेक्स लगे तो यह ठीक नहीं है लेकिन उनको एग्ज़ेम्प्ट नहीं किया गया है । बाहर गांवों में कई बूढ़ी औरतें, कई बूढ़े आदमी ऐसे हैं जो धन्धा नहीं कर सकते । वे लोग किराये की आमदनी पर अपना गुजर बसर करते हैं । उनसे टेक्स लेकर यदि सारे नगर के लिए व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि इन गरीबों से पैसा लेकर इस प्रकार की व्यवस्था करना कभी न्याय संगत नहीं होगा । जहां हमने पांच और १० की इसमें व्यवस्था की है वह व्यवस्था अपर्याप्त है । हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिनकी आमदनी कम है, जिनके पास किराये के अलावा और कोई जरिया जीवन निर्वाह का नहीं है, उनको इस प्रकार के टेक्स से मुक्त रखा जाय । आज राजस्थान में ही नहीं भारतवर्ष में यह सिद्धान्त मोटे रूप में स्वीकार करना है कि हर आदमी की आमदनी १२०० रुपया सालाना होनी चाहिये । अगर उसकी इतनी आमदनी नहीं है फिर भी उस पर टेक्स इम्पोज़ करके उससे उसकी जो १२०० से कम की आमदनी है उसमें से भी टेक्स के रूप में अगर खींचा जाय १२०० से कम आमदनी पहले से ही है उसमें इस तरह टेक्सेज़ लेकर और कमी की जाय यह न्याय नहीं है । जो वास्तव में गरीब हैं और सरकार से इस बात की आशा रखते हैं कि उनके स्टेन्डर्ड ओफ लिविंग

[श्री भैरूंसिंह]

को बढ़ाया जाय, उनको एम्प्लोयमेन्ट और काम दिया जाय, उनको आमदनी के सोर्सेज़ को बढ़ाया जाय उन पर अगर इस किस्म के टेक्सेज़ लगाते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि यह उनके साथ सरासर अन्याय है। इसका नतीजा यह होगा कि गरीब जो है वह गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर ही रहेगा। और अगर यही व्यवस्था रही तो सोशलिस्टिक पेटर्न नाम मात्र का ही रहेगा, नाम मात्र भी नहीं बल्कि और भी विपरीत दिशा में काम करेगा और इस तरह से यह एक केपिटेलिस्ट वाद को अपनाने का तरीका होगा।

तो इस तरह हाउस टेक्स को ओब्लीगेटरी टेक्स रखने की व्यवस्था की है वह अन्याय है।

ओक्ट्राय ड्यूटी के लिये जो इसमें व्यवस्था की है उसके अनुसार हर नगरपालिका को ओक्ट्राय ड्यूटी लेनी पड़ेगी। जयपुर शहर के लिए तो यह बात मानी जा सकती है कि जयपुर शहर में कलकत्ता, बम्बई, फोरेन कन्ट्रीज़, और भारत के दूसरे शहरों से कस्बों से माल आता है, लेकिन जयपुर शहर को छोड़ कर और बाहर की जो दूसरी नगरपालिकाएं हैं उन पर इस ओक्ट्राय ड्यूटी का बुरा असर पड़ेगा, उनमें वह माल आता है जो माल काश्तकार पैदा करते हैं, जैसे काश्तकार वहां घी लाते हैं, दूध लाते हैं, चारा अनाज और अपनी उपज का और सामान लाते हैं, काश्तकारों को जो प्रोड्यूस है वह दूसरी नगरपालिकाओं में जाती है। वहां लाजिमी तौर पर यह टेक्स इम्पोज़ किया है तो जो लोग अनाज के पैदा करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उन पर भी टेक्स होगा और कन्ज्यूमर्स के ऊपर यह टैक्स जायगा। टैक्स के भार से कन्ज्यूमर्स है उनको बचाया जाय ऐसी पोलिसी नहीं है। जो व्यापार के आधार पर लोगों की मनी को स्केच करते हैं, मनी को होर्ड करते हैं, लोगों का एक्स्लोइटेशन करते हैं उन पर इस प्रकार के टेक्स लगा कर कन्ज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को राहत दें। ओक्ट्राय ड्यूटी को ओब्लीगेटरी टैक्स के रूप में लादने की कोशिश की गई तो इसका नतीजा लाजिमी तौर से यह होगा कि इस प्रकार के टैक्स से, जिन लोगों की आर्थिक हड्डी आज पहले से ही कमजोर है वह निश्चत रूप से टूट जायगी।

प्रोफेशन के ऊपर टैक्स लगाया है, यह बात जरूर है कि आर्टीज़न्स और दस्तकारी का काम करने वालों पर टेक्स नहीं लगाया है पर प्रोफेशन्स पर टैक्स लगाते समय हमें यह सोचना चाहिये कि प्रोफेशन्स के नाम पर जिन लोगों के कमाने खाने का जरिया है उन लोगों पर तो इस टैक्स का भार नहीं आ रहा है। फिर भी मुझे तसल्ली है कि इन टैक्सेज़ को साथ मिला कर थोड़ा सा इस बात का संकेत किया है कि जो लोग आज तक टैक्सेज़ से बचते रहे, उन पर भी यह टैक्स लागू हो जावेगा। जितनी नगरपालिकाएं हैं उनमें मिडिल क्लास के लोगों को हर प्रकार के टैक्स से बचाने की कोशिश की जाती है इसकी वजह यह है कि नगरपालिकाओं में मिडिल क्लास के लोग आते हैं, वे अन्दर जाकर इस बात की कोशिश करते हैं कि छोटों के ऊपर और बड़ों के ऊपर टैक्स लग जाय और वे टैक्स से बच जायं। किसी भी नगर पालिका को देखें मिडल

[श्री भैरूंसिंह]

क्लास के लोगों पर इस प्रकार के टैक्स इम्पोज नहीं हो सके। इस कानून में टैक्सेशन को ओब्लीगेटरी मान कर यह किया है कि मिडिल क्लास के पीपुल भी इसमें आयेंगे। ओब्लीगेटरी टैक्स जैसी चीज हमें राजस्थान में नहीं रखनी चाहिये। खास कर के इस हालत में जब कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और बड़ी से बड़ी और मामूली से मामूली नगरपालिका को ले लीजिये, एक भी नगरपालिका इस स्थिति में नहीं है कि वह बता सके कि अमुक आदमी की आर्थिक स्थिति कैसी है और वह कितने टैक्सेज दे सकता है। ऐसी स्थिति में हमें निश्चित रूप में सोचना पड़ेगा कि जो ओब्लीगेटरी टैक्सेज लगाते हैं, वे उचित हैं कि नहीं। कहीं २ नगरपालिओं में प्रोफेशन्स पर, हाउसेज़ पर टैक्स नहीं हैं और ओक्ट्राय ड्यूटी भी नहीं है फिर भी उनका काम चलता है। अब वे पहले के टैक्सेज़ तो उन पर रहेंगे हा अब फिर ये नये ३ ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ उन पर इम्पोज़ करने होंगे और इसका नतीजा यह होगा कि चौतरफ से टैक्सेज़ की मार भोगने वाली जनता किस प्रकार आज के युग में जीवित रह सकेगी?

इन सब बातों का उल्लेख मैंने सदन में इसलिए किया है कि आज हम इस बिल को सदन में पास कर रहे हैं, अगर इसमें राजस्थान की जनता के लाखों लोगों को नुकसान हो तो उसके लिये मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि सरकार की उस नुकसान से बचाने के लिये। अगर सरकार को हम राय न दे सकें तो हम भी दोष के भागी होंगे, इसलिए मैंने यह विचार धारा रखी है। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस बिल में यह बातें हैं तब तक इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री धर्मपाल पंवार—माननीय उपाध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड के बिल का तृतीय वाचन होने जा रहा है, मुझे इस पर कुछ बोलना है। यह बिल ऐसा बिल है जो हमारे शहरों के नागरिकों से खास तौर से सम्बन्ध रखता हैं। शहरों के अन्दर जितने भी लोग बसते हैं उनकी तन्दुरुस्ती, सेहत, आर्थिक अवस्था और रहन सहन का सब प्रकार से इस बिल से सम्बन्ध है।

इस बिल में कुछ धाराए ऐसी आई हैं जो हरिजन कर्मचारियों से सम्बन्ध रखती हैं। उन धाराओं का खास ध्येय यह हैं कि कोई भी हरिजन कर्मचारी अपनी वेतन-वृद्धि के लिये या और किसी प्रकार से अपने काम को छोड़ने के लिये कदम उठायेगा तो उस पर एक महीने की सजा और ५० रुपये जुर्माने का एक भय दिखाया गया हैं, तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि हम उन गरीबों के भौतिक अधिकारों को छीन रहे हैं। और उनको हम उसी प्रकार से पंगु बनाये रखना चाहते हैं जिस प्रकार कि भूतकाल में सामन्तशाही बनाये रखती थी।

आज जब कि देश आजाद है, हर एक नागरिक इच्छा रखता है कि आजाद देश में आजादी की सांस ले, लेकिन हरिजन कर्मचारियों पर दोहरी गुलामी इस बिल द्वारा लादी जा रही है। मैं समझता हूं कि यह समाज के साथ घोर अन्याय जो असहनीय हैं जहां हमारी सरकार समाज

-[श्री भैरूंसिंह]

वादी व्यवस्था द्वारा समाज का निर्माण करने का दावा रखती है, वहां मैं देखता हूं कि इस वर्ग विशेष के साथ बर्बर अत्याचार हो रहा है। क्या यही समाजवादी व्यवस्था का नमूना है? यह एक ऐसा तबका है, जो सब प्रकार से तबाह हो चुका है। जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए नागरिकों की तंदुरुस्ती के लिये अपने जीवन की कुछ भी परवाह नहीं की और हमेशा आहुति देता रहा है। जिन लोगों ने दूसरों के लिये अपनी तन्दुरुस्ती को कोई परवाह नहीं की और दूसरों की तन्दुरुस्ती का ध्यान रखा है क्या उनको आप आज इस कानून से बांधना चाहते हैं? यदि कोई भूल से या बुद्धि की कमजोरी से काम करेगा तो उसको एक महीने की सजा और ५० रूपये तक जुर्माना किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने ऐसे बहुत से म्युनिसिपेल्टीज में काम देखे हैं और जिनमें इन लोगों के साथ बहुत बुरा वर्ताव होता है। जमादार या सेनेट्री इन्सपेक्टर यदि इनसे थोड़ा सा भी नाराज़ हो जाता है तो वह गिन २ कर अपने बदले इन लोगों से निकालता है। मैं आज आपके सामने एक मिसाल पेश करूंगा जिससे आपको मालूम होगा कि वास्तव में परिस्थिति क्या हैं। बीकानेर डिविजन में नापासर एक कस्बा है। नापासर में जब हरिजनों ने छुआ छूत विरोधी कानून के पास होने की बात सुनी तो उन्होंने यह चाहा कि इस कानून का उपयोग वहां पर भी होना चाहिये। वे यह चाहते थे कि उन्हें भी नागरिक अधिकारों का पूरा फायदा उठाने का हक होना चाहिए। जब उन्होंने इस बात की कोशिश की तो वहां की म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों ने उनके साथ पाशविक अत्याचार करने शुरू किये। उनको किसी न किसी बहाने से नौकरियों से निकालने शुरू किया और छुआ छूत ना मिटाने की धमकी दी। यहां छुआ छूत रहेगी और तुमको यह काम करना पड़ेगा। मैं यह कहूंगा कि यदि मौजूदा जमाने में हमारी दशा नहीं सुधरती है तो यह बात हमारे समाज के हित में उचित नहीं है। यदि आज के युग में भी उसी प्रकार हमारे पर अत्याचार होता रहा जो पहले हुआ करते थे तो आने वाला जमाना हमें अच्छा नहीं कहेगा। वास्तव में उनको करना तो यह चाहिये था कि जिस तरह से आज हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जिस प्रकार गंदी बस्तियों को जा कर देखते हैं और उनके सुधार के लिये कहते हैं, जिसको आज हमने अखबार में पढ़ा है उसी तरह से यहां पर भी होना चाहिये। दिल्ली की म्युनिसिपेल्टी ने उनको धन्यवाद का प्रस्ताव दिया है। यह हमारे महान नेता के आदेश हैं कि हमें गंदी बस्तियोंको सुधारना चाहिये। मगर मैं यहां पर देखता हूं कि गंदी बस्तियों को सुधारने की बात तो दूर रहो हमारे यहां जयपुर में आज बच्चे और स्त्रियें बूंद २ पानी के लिए तरसते हैं। उनको पानी नसीब नहीं होता। आदर्श नगर की एक रिपोर्ट हैं कि वहां पर उनको पानी के लिये घंटों तरसना पड़ता है। यह उनकी हालत है। जो व्यक्ति दूसरों के लिये सब कुछ खो चुके हैं और उनके कार्य से सब नागरिकों को फायदा होता है, उनको म्युनिसिपेल्टी द्वारा इस प्रकार के कानून बना कर दुबारा गुलाम बनाये जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, कोरम नहीं है।

श्री धर्मपाल—उनको सजा देने की बात कही जाती है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, कोरम नहीं है ।

श्री धर्मपाल—अगर कोई किसी के घर का आदमी सफाई करता है, या किसी की मां जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी सफाई करती है उसके साथ इस प्रकार का वर्ताव आप नहीं कर सकते । उनको आप सजा नहीं दे सकते । जब आप उनके साथ जो आपको माताएं हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते तो मैं समझता हूं कि क्या हरिजनों के लिये जो यह पेशा करते हैं और दूसरे की भलाई के लिये अपने जीवन की आहुति देकर अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं उनको सजा का प्रोविजन क्यों रखा जा रहा है और अगर आप यह रखते हैं तो क्या यह कोई बुद्धि मानी की चीज होगी ? मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और यही कहूंगा कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने उदारता तो बताई और कई बार कहा कि उनको महतरों के साथ हमदर्दी है । मगर मैं यह कहूंगा कि यदि आज हम उनके साथ कानून द्वारा हमदर्दी नहीं दिखाएंगे और उनको राहत नहीं दिला सकेंगे तो कौनसा जमाना आएगा कि वे इन लोगों को दुबारा गुलामी से छुटकारा दिला सकेंगे ?

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहते हुए आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसके लिये कोई एमेन्डमेंट लावें या दूसरा कोई सुधार का तरीका अपनावें जिससे इतनी कम तनख्वाह पाने वाले हरिजनों का हित हो । इन लोगों को बहुत कम वेतन मिलता है और इस पर भी आप उन पर ५० रूपये जुर्माना और एक माह कैद की सजा रख रहे हैं।

मैंने कई म्युनिसिपल बोर्ड देखे हैं जिनमें किसी जगह तनख्वाह १५ रू० और कहीं २० और जहां पर म्युनिसिपल बोर्ड को ज्यादा आमदनी हो वहां पर ३० रू. हो सकती है। हां कम आमदनी वालों के लिये तनख्वाह बढ़ाने की कोई बात करते तो ज्यादा उचित होता । इसके अलावा आप इस प्रकार का समय आने ही क्यों देते है कि जिससे दण्ड देने तक की नौबत आये ? आप पहले वेतन वृद्धि करदें, या इस प्रकार का रूल बना दें कि इतनी आमदनी होगी जिस म्युनिसिपेल्टी की वहां के लोगों की इतनी तनख्वाह होगी जब हम उन लोगों इतनी जिम्मेदारी का काम देते हैं जो दूसरे आदमी १०० रूपये माहवार देने पर भी करने को तैयार नहीं होते फिर भी तो हम उनको २० रू० या ३० रूपये देते हैं। और इस पर भी इस प्रकार की सजा रखते हैं तो मैं समझता हूं क यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है। मैं सदन के सदस्यों और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जितने भी जनता के यहां प्रतिनिधि आये हैं उनको इस पर सोचना चाहिये और अगर नहीं सोचते हैं तो कहूंगा कि वे सच्चे अर्थ में हरिजनों के प्रतिनिधि नहीं है ।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष, महोदय, जहां तक इस म्युनिसिपल बिल के थर्ड रीडिंग का संबन्ध है मेरे माननीय मित्रों ने अपने विचार प्रकट किये है । मेरा यह निवेदन है कि वास्तव में यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल को एक्ट के रूप में लाकर जनता की सेवा की जा सकेगी । मगर कुछ मित्रों ने यह अनुभव करते हुए भी कि वास्तव में माननीय मंत्री महोदय ने सदन के प्रति अपनी रिसपोन्सि बिल्टी को महसूस करते हुए केवल इसको सिलेक्ट कमेटी तक ही

[श्री श्रीदास गोयल]

सीमित नहीं रखा मगर जब कभी इसमें किसी भी सदस्य को तरफ से सुझाव आये तो उस क्लॉज़ को तत्काल ही हाउस में पोस्टपोन किया और उसमें दिलचस्पी रखनेवाले संबन्धित सदस्य को बुला कर राय जानी और उसका सुझाव लेकर इसको ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक और अच्छा बनाने की चेष्टा की मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी सूरत में कमियें निकालने के लिये तो हर समय गुंजायश हो सकती है। लेकिन जो कुछ रूप इसको दिया गया है वह एक बहुत ही टीक रूप है और इसमें अब कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की गुंजायश नहीं रह जाती।

लेकिन एक माननीय सदस्य ने अभी फरमाया कि गवर्नमेंट को कन्ट्रोलिंग पोवर चुने हुए माननीय सदस्य को मोअत्तिल या रद्द किये जाने के हैं वे इस प्रकार के हैं जो स्वागत करने योग्य नहीं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, हर एक चीज को हम हर पहलू से देखते हैं और यह भी निहायत जरुरी है कि एक चुना हुआ व्यक्ति चुन कर आने के बाद यदि अपने पद का दुरुपयोग करता है या करने लगे, अपना कर्तव्य पालन नहीं करे तो उसके लिये कोई न कोई ऐसा तरीका होना चाहिये जिससे उसको सज़ा मिल सके। यदि उसके कार्य इस हद तक पहुंच गये हों कि उसका रहना पब्लिक हित के लिये और नगरपालिका के महत्व की दृष्टि से उचित नहीं तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसको हटाया जाए। और हटाया जाना जरूरी है तो मैं निवेदन करूं हटाना पड़ता है। उसके लिये ट्रिब्यूनल का मार्ग अपनाया गया है वह बहुत ही शानदार और सुन्दर है। इस वास्ते इसमें किसी को सन्देह करने की गुंजाइस नहीं रहती। और न किसी को एग्रीव्ड होने की ही आवश्यकता है। ऐसा भी होसकता है कि जो मेम्बर्स म्युनिसिपल बोर्ड में चुनकर आते हैं वे अपने अधिकारों का उपयोग जनता की भलाई के लिये न करते हों समाज के लिये वे अहितकर साबित हो तो ऐसी स्थिति में जो इस प्रकार के सदस्यों के इस प्रकार के अवान्छनीय तत्वों को अलग किये जाने का जो प्रोवीजन इसमें किया गया है वह बहुत ही उचित है, इसमें किसीको किसी प्रकार की कम्प्लेन्ट्स करने की गुंजाइस नहीं रहनी चाहिये जहांतक गवर्नमेंट के कंट्रोल का सवाल है यह तो मानकर चलना है कि सभी गवर्नमेंन्ट बोडीज़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनीसिपेलिटीज़, पंचायत आदि जो कुछ भी हैं उनके लिये अधिक जिम्मेदारी और उनको सुचारू रूप से चलाने का काम भी तो गवर्नमेंन्ट का ही है। अगर इन बोडीज़ में किसी प्रकार गड़-बड़ी होती ज या ये ठीक प्रकार से फक्शन नहीं करतो हैं या तमाम व्यक्ति उससे दुखी है समाज की हानि हो रही है तो ऐसी सूरत में लोग तो यही कहेंगे कि सरकार ने हमारे पर ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड, ऐसी पंचायतें बैठा दी है जो इसप्रकार की गड़बड़ी कर रही है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंन्ट पर भारी जिम्मेदारी आजाती है गवर्नमेंन्ट को जनहित की दृष्टि से देखना है, इसप्रकार के अवान्छनीय तत्व नगर पालिका में बने हुए हैं सामूहिक रूप से अपना बहुमत बनाये हुए हैं और अपने कर्तव्याकर्तव्य से वाकिफ नहीं हैं उनके प्रति जागरुक नहीं है या मनचाहीउद्दंडता पर आरुढ़ है तो ऐसी स्थिति में उन नगरपालिकाओं को भंग करने की आवश्यकता अनुभव होती है और भंग की जानी चाहिये। इस प्रकार के जो प्रोवीजन्स इस बिल में मौजूद हैं जिससे वे मेम्बरों को हटा सकते हैं, बोर्ड को

[श्री श्रीदास गोयल]

भंग कर सकते हैं ये दोनों तरीके आवश्यकीय हैं जिनका इस बिल में समावेश है, जहां किसी मेम्बर्स के चुनाव का सवाल है यह ज्यादा डेमोक्रेटिक है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने अच्छे ढंग से अकमोडेट किया है जिसे बहुत से माननीय मित्रों ने उचित न समझा हो जहां इसमें एक म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन को हटाने का सवाल है वहां इस प्रकार का प्रोवीज़न रखा है, जो परम्परायें चली आ रही हैं कि टू थर्ड मेजोरिटी हो तभी चेयरमेन के खिलाफ नो कोनफीडेन्स मोशन आ सकता है तब तक टू थर्ड से पास न हो तब तक उसे चेयरमेन के पद से हटाया नहीं जा सकेगा। किसी हद्दतक पुरानी परम्परा दुरूस्त थी। एक व्यक्ति चेयरमेन बनता है जिम्मेदारी से अपना काम करता है, कुछ व्यक्ति येन केन प्रकारेण अपनी मेजोरिटी बना लेते हैं। मेजोरिटी किस तरह बनायी जाती है यह अनुभव मैं समझता हूँ सभी को होगा जो आजतक की डेमोक्रेसी का अनुभव है; सारे संसार का अनुभव है, दूसरे प्रान्तों का अनुभव है, उसमें क्या होता है। मेजोरिटी बनाने के लिये अवान्छीय तत्वों को प्रेरणा दे दी जाती है उनको खुश कर दिया जाता है और इस प्रकार से मेजोरिटी बना ली जाती है डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अन्दर, म्युनिसिपलिटीज़ के अन्दर और पंचायतों के अन्दर, अगर इस प्रकार की मेजोरिटी बना करके नगरपालिका को कोई हथिया रखे और उसमें गड़बड़ी पैदा करे तो वैसी हालत में यह आवश्यक है, मेजारिटी का जहां प्रश्न है, मेजोरिटी के आधार पर तो वह हटाया नहीं जा सकता तो ऐसी स्थिति में उन अवान्छनीय तत्वों को खत्म किया जाना आवश्यक है तो उस नाते जनतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए जनतंत्र की नीव मजबूत बनें इसलिये चेयरमेन को हटाने के लिये बहुमत से यदि प्रस्ताव पास होजाये तो उस प्रस्ताव को १५ दिन केअन्दर संभवत: दुबारा रिपीट किया जायगा। अगर फिर भी उतना ही बहुमत हैं तो वह चेयरमेन के पद से हटा दिया जायगा। इसके अलावा किसी भी चेयरमेन को हटाने के लिये जोकुछ भी इसमें प्रोवीज़न रखा है वह उससे और अधिक सुन्दर और स्वस्थ मार्ग क्या हो सकता है। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूं नगरपालिकाओं को एक बहुत बड़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है लेकिन उसका व्यवहारिक ढांचा इस बिल में मौजूद है। अब तक जो म्युनिसिपैल बोर्ड इनसोलवेन्ट थे किसी जमाने में कस्टम ड्यूटी गुड खांड की सबसीडी के रूप में दे करके उनकी सहायता की जाती थी। इस बिल में खास तौर से लैन्ड्स के सेल करने के बारे में इस बिल में प्रोवीजन रखा गया है। जिसके अन्तर्गत म्युनिसिपल हदमें जो भी जमीन होगी उसको बेचने क अधिकार म्युनिसिपेलिटी को दिया गया है। इस प्रकार के राइट का उपयोग करते हुए, नगरपालिका अपनी आवश्यकता को महसूस करते हुए, अधिक से अधिक लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए उस जमीन को बेचेगी और जो उससे आमदनी होगी उसका नगरपालिका उपयोग करेगी, नगरपालिका के निवासियों के लिये उसका उपयोग होगा। मैं निवेदन करूं ऐसी स्थिति में जो कुछ भी गुंजाइश रखी है वह बहुत अच्छी है।

इस बिल में प्रोस्टीच्युट्स ब्रोथल हाउसेज़ आदि के लिए भी जो प्रोवीजन्स रखे हैं जब कि हम हमारे देश में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ४८०० करोड़ रुपया मुल्क की तरक्की के लिए खर्च

[श्री श्रीदास गोयल]

करने जा रहे हैं । तो वैसी स्थिति में हम नगरपालिकाओं को भूल नहीं सकते । आज जो नैतिक ह्रास नगरों में हमें देखना पड़ रहा है, उसको मिटाने के लिए इसने प्रोवीजन्स रखे हैं वे प्रोवीजन्स प्रशंसनीय हैं और उनको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिये । साथ में मैं यह भी निवेदन कर देना अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं की आज हमारा देश इस प्रोस्टीट्यूशन और ब्रोथल को बर्दाश्त नहीं कर सकता । एक माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कोन्स्टीट्यूशन में तो सबको सुविधा है अपना धंधा करने की, उनसे मेरा यह निवेदन है कि हमारा देश बेगिंग नहीं चाहता, प्रोटीट्यूशन नहीं चाहता कोंसटीट्यूशन में हर प्रोफेशन के साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई है हर लॉ मेकिंग बोडिज़ में भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स होती हैं हर जगह कोन्स्टीट्यूशन में हर क्लॉज़ में यह मौजूद है आज देश की पुकार है और हम सब की प्रबल इच्छा है और हम चाहते है कि हम हमारी नगरपालिकाओं को और सेमी गवर्नमेंट बोडीज को इस प्रकार के अधिकार दें जिससे ये संस्थायें बलशाली होकर ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सकें और सम्बन्धित क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हो सकें। इस बिल द्वारा हम इन संस्थाओं को इस प्रकार का बल दे रहे हैं ।

इस पर अधिक न कहते हुए मैं इतना ही निवेदन करूंगा इस प्रकार के अन्य प्रोवीजन्स इस बिल में हैं, इसमें करीब ३१५ क्लॉज़ हैं इसमें सब प्रकार की धारायें है म्युनिसिपल कर्मचारियों की भरती से लेकर उनको हटाने, बोर्ड के इलेक्शन, चेयरमेन का चुनाव, उसको हटाना आदि सब इसमें प्रोविज़न मौजूद है । इस बिल को जिस प्रकार रखा गया है वह आज की परिस्थिति के सर्वथा अनुकूल है । ठीक है, इस प्रकार हम लोगों को इस बिल का स्वागत करते हुए इसको पास कर देना चाहिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो म्युनिसिपल बिल हाउस के सामने हैं उसके लिए हम बहुत अर्से से इस बात की इन्तजारी में थे कि इस प्रकार का एक बिल सदन में आए जिसमें तमाम रियासतों में जो पहले अलग अलग कानून लागू थे, उनको एक करके हाउस उसको पास करे । बहुत दिनों की इन्तजारी के बाद वैसा कानून सदन में आया हम चाहते थे कि जनता को उसमें काफी अधिकार मिलें । किंतु जो बिल आज हाउस के सामने है उसको देख कर हमें बड़ा खेद होता है । इस एक्ट के अन्दर जिस तरह के क्लॉज़ रखे गये जिस तरह की धारायें रखी गई हैं जो सिलेक्ट कमेटी ने पास करके हाउस के सामने रखी हैं, उनको देख कर बड़ा खेद होता है आज इस प्रकार का कानून जनता के ऊपर लादा जा रहा है । इस एक्ट के अन्दर सारे अधिकार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे हैं, हर क्लॉज़ के ऊपर हर जगह सरकार ने अपने हाथ में अधिकार लिये हैं कोई भी अधिकार पूरी तरह से मेम्बरों को नहीं दिया गया, जब कि वे जनता के प्रतिनिधि के रूप में वहां जाते हैं, तो वैसी हालत में जनता के प्रतिनिधियों को पूरे अधिकार देने चाहिये, आज हम दूसरे प्रान्तों के म्युनिसिपल एक्ट को देखें तो हमें पता चलेगा कि वहां पूरे अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को हैं, जनता को पूरे अधिकार दिये हैं, लेकिन राजस्थान के अन्दर जो आज यह एक्ट बन रहा है जिस तरह से हाउस के सामने है उसके अन्दर सारे जितने

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

भी अधिकार है सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं जैसे बजट के अधिकार, इलेक्शन के अधिकार, उसके बाद चेयरमेन को हटाने के अधिकार, बोर्ड को भंग करने के अधिकार, मेम्बरों को हटाने के अधिकार, जितने भी अधिकार है सर्विसेज के मामले में वे सब अधिकार, सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं। तो माननीय उपाध्यक्षजी, इस तरह के इस एक्ट को हाउस में लाकर पास करा देना और जनता को जाकर यह कहना कि आपके प्रतिनिधियों ने इसको पास कराया है तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ। इस बिल को बनाने वालों ने, और सिलेक्ट कमेटी ने यह नहीं सोचा कि राजस्थान आज दूसरे प्रान्तों से बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, आर्थिक मामले में पिछड़ा हुआ है, हम ऐसा कानून कैसे बनावें ? ऐसे अधिकार सरकार के हाथ में कैसे दे दिये गये हैं यह अनुचित है।

इलेक्शन का जो तरीका रक्खा गया है वह भी गलत है, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं सदन को बताऊं कि हर चीज में हम आज जनता का नाम लेते हैं, समाजवाद को कायम करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान में और दूसरे फोरेन कन्ट्रीज़ में जो तरीके हैं थोड़े-घणे उनको मिलजुल कर अपने यहां लाना चाहते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो एक्ट हम अपनी धारा सभा में बनावें उन एक्टों में भी जनता को अधिक अधिकार देने चाहिये और ये अधिकार सरकार अपने पास न रखकर जनता को ज्यादा अधिकार देने चाहिये। परन्तु आज जिस तरह की प्रणाली बताई है इस ऐक्ट में उसको देखते हुए जनता को कुछ भी अधिकार नहीं दिये गये हैं और सरकार ने अपने हाथों में सारे अधिकार ले लिये हैं। इलेक्शन में जैसे मेम्बर खड़े होते हैं। उनके लिये रक्खा गया है कि उनके नाम के आगे निशान लगाया जाकर उनको चुना जावे। तो वह नाम के आगे निशान द्वारा यहां पर राजस्थान में चुनाव नहीं होना चाहिये क्योंकि यहां राजस्थान में अनपढ़ लोग अधिक हैं, शिक्षा की कमी है। यहां पर तो जैसा विधान सभा का और पार्लियामेन्ट का चुनाव होता है वैसे होना चाहिये, निशान वाली पेटी में वोट डालकर। तो इससे आज कोई भी आदमी वोट डाल देगा। तो म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव भी ऐसे ही होना चाहिये जिससे अनपढ़ लोगों को सुविधा हो सके। जबतक ऐसा तरीका चुनाव का नहीं रक्खेंगे तो देहात के अनपढ़ लोग सुधरेंगे कैसे और उनके वोट के अधिकार का पालन कैसे हो सकेगा ? और माननीय उपाध्यक्षजी, आज जो तीन साल की अवधि एक म्यु० के मेम्बर की या चेयरमेन की रखी गई थी पुरानी स्टेटों के वक्त में परन्तु आज राजस्थान बन जाने के बाद उनकी अवधि चार साल की करवा दी गई, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि वह तीन साल की अवधि भी अधिक है दो साल की रखनी चाहिये थी। इसके बावजूद भी मैंने यह देखा है कि जो एक बार म्यु० का मेम्बर बन जाता है वह यह समझ लेता है कि मेरी तो यह तीन साल तक की बपौती हो गई। तो दो साल को रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—आप तो अपने यहां तो पांच साल की रखना चाहते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—हमारी भी तीन साल की कर दो भाई, हमें तो कोई ऐतराज नहीं। अगर यह कहता हूं कि दो साल की अवधि हो तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हर मेम्बर की तीन साल की ही अवधि रहनी चाहिये जैसी कि रशिया में तीन साल की है।

(हंसी एवं करतल-ध्वनि)

अवधि कम रहेगी तो जनता की सेवा करने का ध्यान बना रहेगा। अब इस हाउस में आज म्यु० एक्ट पास हो रहा है, जनता की सेवा करने वालों को इसमें ध्यान देना चाहिये, पर हाउस के बहुत से मेम्बर आज अन्दर (लाबी में) बैठे हैं। तो फिर मेम्बरों को यहां बैठना चाहिये ताकि मिनिस्टर साहब को कहीं सुझाव नहीं मालूम पडे तो वे बता सकें। मैं तो यह मानता हूं कि जो स्वायत्त शासन मन्त्री आज हैं वे ही इसको जल्दी पास करा सकते हैं, नहीं तो दूसरे मिनिस्टर होते तो कम से कम एक महीना इसमें लगता। इसमें कहीं कोई खामी न रह जावे इस इरादे से मिनिस्टर महोदय ने कितने ही मेम्बरों से मिलकर और उनसे बातचीत करके इस एक्ट को पास कराने की कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज जिस प्रकार का प्रोफेशन टैक्स लगाया है उसके तो खिलाफ मैं इस वास्ते हूं कि यह टैक्स जो लगाया है वह समझ में नहीं आया कि इससे सरकार को क्या मिलेगा, कितना रुपया आयगा उसके पास। ज्यादा से ज्यादा सरकार को मिलेगा दस हजार रुपया। यहां की पापुलेशन है पांच लाख की, तो पांच लाख की आबादी में दस हजार आवेगा तो बाहर गांवों में तो और भी कम आवेगा। तो इतनी सी रकम के लिये टैक्स लगाना और लोगों को खामखां में परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मेरे कुछ सदस्य इस मामले में काफी खिलाफ थे परन्तु मैं उनको बता दूं कि वे भी आज के एक साल के बाद जब यहां से हट जावेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि प्रोफेशन टैक्स में कितनी तकलीफ होती है यह उनको तब मालूम हो जावेगा। इसमें जनता से भी अगर राय ले ली जाती तो मालूम हो जाता। आज हर आदमी कहता है कि इससे तुम्हें कितना रुपया मिलेगा और इतने से रुपयों के लिये इतनी तकलीफ क्यों जनता को दी जा रही है ? मैं बताऊं आपको दो रुपया का लाइसेन्स सप्लाई का लेने में तो अकसर इतना परेशान करते थे और मैं बताऊं यहां सेक्रेटरियट में एक सेक्रेटरी है और वह दस बजे से टाइम है आने का, पर आता नहीं। साढ़े दस बजे से ११ बजे तक का टाइम लगा दिया है मिलने का। पर मिलने वालों के साथ बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक से बर्ताव नहीं करते। कई आदमी आते हैं और परेशान हो हुवा कर वापिस चले जाते हैं। एम. एल. एज़. आते हैं, जनता के काम से आते हैं। मन्त्री लोग भी कह देते हैं कि फलां सेक्रेटरी के पास जाओ। सरकार की तरफ से कोई आदमी कोई एम० एल० ए० मिले तो सेक्रेटरी से मिलो।

कभी कोई सेक्रेटरी के पास जायं तो उनको मिलने का कोई टाइम नहीं, साढे दस, ग्यारह बजे तक उनके यहां बाहर बैठे रहो, कह देंगे कि मिलने का टाइम नहीं है यह तो उचित बात नहीं कि सेक्रेटरी को इतना बड़ा और इतना अधिक काम दे दिया जाय कि उसको मिलने के लिये भी

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

फुर्सत न हो और जो जनता के आदमी उनके पास जांय उनको कह दें कि मुझे समय नहीं है। सेक्रेटरी भी जनता का आदमी है, जनता की सेवा करना है तो उन्हें इस तरह ज्यादा विभाग नहीं देने चाहिये। ज्यादा विभाग देने से जनता के आदमीयों से भी नहीं मिल सकें तो उनको ज्यादा विभाग नहीं देने चाहिये। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त एम.एल.ए. सेक्रेटरी से मिलने गये थे तो उनको टाइम नहीं दिया मिलने का, यह तरीका ठीक नहीं है।

दूसरे, प्रोफेशन टैक्स के बारे में मैं कह रहा था कि दो रुपये के लाइसेंस के लिये ओफीसर्स ६ दिन तक परेशान करेंगे और नीचे के आदमी रिश्वत जरूर लेंगे, ऊपर के भले ही मत लो और इस तरह दो रुपयों का टैक्स लगेगा और उसको बेचारे को २० रुपये खर्च पड जायेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। लाख दो लाख रुपये तो प्रोफेशन टैक्स के आने वाले नही हैं, लाख दो लाख रुपये आते तब तो फिर भी कोई बात नही पर मामूली पैसे आयें और जनता को परेशानी हो और इससे सारी म्युनिसिपलिटीज़ की और सरकार की बदनामी हो तो फिर इस प्रोफेशन टैक्स से क्या फायदा ?

दिल्ली जो कि हिन्दुस्तान का सेंटर है वहां प्रोफेशन टैक्स नहीं है तो फिर राजस्थान में प्रोफेशन टैक्स लगाना यह बिलकुल शोभा की बात नहीं। राजस्थान तो इतना गरीब देश है जो पेट का गुजर करता है, बीच की श्रेणी का है।

एक माननीय सदस्य—यह तो आपने ही लगवाया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैंने तो नहीं लगवाया, मैंने तो विरोध किया था।

मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा ..

एक मनानीय सदस्य—आपने...

श्री मुक्ति लाल मोदी—बीच में मत बोलिये, माननीय उपाध्यक्ष, आप इन्हें मना कर दीजिये। प्रोफेशन टैक्स लगाया है यह उचित नहीं है। इसको बिलकुल हटा देना चाहिये। नहीं तो इससे जनता को बडी परेशानी होगी। प्रोफेशन टैक्स लगायेंगे तो यह कानून पास होने पर जयपुर में और बाहर गांवों में यह बात फैलेगी कि क्या क्या टैक्स लगाये जा रहे हैं, क्या क्या बलाएं आ गई हैं, प्रोफेशन टैक्स क्या है ? इससे लोग परेशान हो जायेंगे। इसलिये मैं मन्त्रीजी से फिर भी निवेदन करता हूं कि इस प्रोफेशन टैक्स को आज फिर सोच लें और सोमवार को उचित जाच तो हटा लें।

दूसरी बात यह है माननीय उपाध्यक्ष, कि इन सर्विसेज़ के मामले में जिस तरह म्युनिसिपेलिटीज़ के चैयरमेन और अधिकारियों को जो अधिकार दिये गये हैं और सरकार ने उन-

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

म्युनिसिपलिटियों की सर्विस करने वाले लोगों के अधिकार अपने पास रखे हैं उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि उन लोगों को जैसे जेल में कोई को बन्द कर रख देते हैं उसी तरह बंद कर रख दिया है, क्योंकि न तो वे आज आर. ए. एस. हो सकते हैं, न आर. पी. एस. हो सकते हैं न एकाउन्टेन्ट सर्विस में जा सकते हैं, न सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर बन सकते हैं, हैल्थ का डाक्टर है तो न बडा डाक्टर बन सकता है, तो उनको इस तरह बांध दिया है। इसके लिये भी मैंने मन्त्री महोदय को कहा था। आज हिन्दुस्थान में हर आदमी को बोलने का, चुनाव का अधिकार दिया है, हर आदमी चुनाव में खडा हो सकता है, तो म्युनिसिपेलिटी में सर्विस करने वाले हैं उनको बेचारों को जेल के सींखचो में क्यों बांधते हैं, उनको भी ऊंचा चढने का मौका देना चाहिये। हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिये। पर क्या करें मंत्री महोदय तो शायद मान लेते पर मेरे कुछ लायक दोस्त नहीं माने। मैं उन लायक दोस्तों से निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपेलिटी कानून की धारा १८७ में यह रखा है सर्विसेज़ के बारे में तो अब भी इस चीज को मान लें कि जिस तरह सरकार ने अपने कर्मचारियों को अधिकार दे रखे हैं, सर्विसेज वगैरह के उसी तरह म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को भी अधिकार होंगे, वे अपनी बुद्धि को आगे बढायेंगे तो वे भी उन्नति कर सकेंगे, जिस प्रकार की राजस्थान सरकार की सर्विस करने वाले आगे उन्नति कर सकते हैं। जो अधिकार राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को मिले हुए हैं वे ही अधिकार म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों को भी मिलेंगे। परन्तु उनको तो बांध दिया और अपने आदमियों को खुला रख दिया। म्युनिसिपल बोर्ड के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी हैं उनको बांध देते हैं और अगर सरकार का आदमी बोर्ड में जाता है, सेक्रेटरी बनाते हैं तो उसको सब अधिकार हैं, सरकार के आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं तो उसको सब अधिकार हैं, परन्तु म्युनिसिपेलिटी के जरिये किसी को म्युनिसिपेलिटी में नौकर रखेंगे तो उसको अधिकार नहीं है, यह उचित नहीं है। यह तो उस आदमी की आत्मा को दबा देना है। क्लॉज १८७ में इस तरह का प्रोविजन रखा है उसके लिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सर्विसेज़ के अन्दर इस तरह की बात रखी है वह गलत है। हर आदमी को इस तरह के अधिकार मिलने चाहिये, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ने देना चाहिये।

दूसरा जो किया है कि १०० रुपयों से ऊपर के लोग हैं वे पब्लिक सर्विस कमीशन में जायेंगे, यह बहुत अच्छा किया है। पर यह करने के बाद राजस्थान सरकार की सर्विसेज़ में जो लोग हैं, उनके लिये जो रूल्स हैं उसी तरह के रूल्स, इनके ऊपर भी लागू होने चाहिये थे। सरकार ने और मेरे माननीय मित्रों ने जा कर आज यह चीज की है, यह अच्छा नहीं किया है, और उन लोगों को बहुत नुकसान होगा।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—एक क्लॉज़ पर खास बात नहीं होनी चाहिये, जनरल बात कहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्यों साहब, मैंने गलत बात तो कोई कही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—यह थर्ड रीडिंग है, इस पर खास खास जनरल बातें कहनी चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप चाहें कि आज खत्म हो जाय तो वह तो होने वाला नहीं, आज खत्म करें तब तो मैं बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष—आज खत्म हो जायगा।

श्री मुक्ति लाल मोदी—आज नहीं महाराज, सोमवार को होगा और सरकार ने अपने हाथ में बहुत बड़े अधिकार रखे हैं जिससे कि सारे अधिकार देने से ज्यादा सुविधा का काम कर सकती है, ज्यादा सिटी की उन्नति कर सकते है और नगरपालिका को अधिकार नहीं देने से उन्नति नहीं हो सकती है, टाउन की उन्नति नहीं हो सकती है, सिटी की उन्नति नहीं हो सकती है और नतीजा यह होगा कि काम करने वाले हैं उनमें आपस में भेद पैदा होगा। सरकार को चिट्ठी लिखे और जवाब आये तब चीजें तय करें। इस तरह का जो एक्ट पास हो रहा है वह इस राजस्थान में पास नहीं होना चाहिये था स्वीपर के बारे में इस म्युनिसिपल बिल में १ महीने और ५० रुपया जुर्माने की सजा रखी है यह उचित नहीं है। मीणा जरायम पेशा लोग हैं। उनके लिये कानून है, फिर भी वे चोरी करते हैं, सजा देने का जरूर कानून है, जरायम पेशा कानून को हटा दिया न ? मनुष्य तो हरिजन भी हैं, आप लोगों की टट्टी साफ करने के लिए। एक महीने की सजा और लगाओ। उनको यह करना चाहिये था कि कानून की दृष्टि से सजा नहीं लगाना चाहिये था, उनको सजा क्यों होना चाहिये ? उनके साथ जबरदस्ती न हो, वे हमारी टट्टी साफ कर रहे हैं। हम भी, माननीय उपाध्यक्षजी, मनुष्य हैं, वैसे वे भी मनुष्य हैं, भगवान के घर से वे भी पैदा हुए हैं, हर आदमी को काम करने का अधिकार है। वे क्या पाप करके आये हैं कि उनके ऊपर ऐसा यह कानून रखा जाय कि एक महीने की सजा होगी और ५० रुपया जुर्माना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि वे लोग सफाई करते हैं, दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को वे ठीक करते हैं।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

तो उनके लिये सजा और जुर्माना रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के चपरासी को जो तनख्वाह मिलती है कहा गया कि वह एक स्वीपर को मिलेगी। चपरासी तो भंगी का काम नहीं करता है, भंगी दूसरों की हालत को अच्छा रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के चपरासी से स्वीपर को कम तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर यह आप इसमें लाते तो अच्छा होता। लेकिन ऊपर से यह और कर दिया कि एक महीने की सजा और ५० रुपया जुर्माना। यह कहां का न्याय है ? मनुष्य र सब एक हैं। उसको ऊंचा उठाने की बात करते हैं तो उसको ऊंचा उठाते। समाज कल्याण करना चाहिये, यह करना चाहिये, वह करना चाहिये, हर आदमी के लिए करना चाहते। स्वीपर्स के लिए क्या किया ? करना चाहते तो रखते कि यह होगा, वह

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

होगा। स्वीपर्स के लिये यह जरूर कर देते कि उनको इस तरह की सुविधा मिलेगी, उनके लिये म्युनिसिपेलिटी से मकान भी बनाया जावेगा, उन लोगों को यह सुविधा दी जावेगी। स्वीपर्स के घरों की तरफ मैंने जा कर देखा है कि स्वीपर्स को पानी के नल की बहुत परेशानी है और दो तीन हरिजन मेरे पास आये भी कि पानी का नल दिला दें, सुबह पानी नहीं आता है, सुबह आता है तो रात को थोड़ी देर आता है, बीच में कुछ नहीं। उनके यहां सफाई नहीं रहती है, गन्दगी रहती है। उनके घरों के लिये यह कहते कि तुम्हारे घरों की मेन्टीनेन्सी के लिये, फलां स्वीपर म्युनिसिपैलिटी में काम करता है उसको इतना पैसा दिया जावेगा। वे सारी दुनियां को तो साफ करते हैं लेकिन उनके घरों में इतनी गंदगी है कि वह देखी नहीं जाती। म्युनिसिपल बिल में यह किया जाता कि भाई हम इतने तो उनके लिये घर बनावेंगे, बिजली लगायेंगे, नल लगायेंगे, यह सोचते कि इतनी सुविधा देंगे, इतनी तकलीफ पाते थे तो अच्छा काम करते। आज बम्बई में जाकर देखिये, कितनी सुविधा दी गई है, कितनी तरक्की उनकी की है। जो ज्यादा महनत से काम करते हैं, आप लोगों के घरों को साफ रखते हैं, माननीय चेयरमेन, अपने आदमियों में से कोई हो तो काम नहीं करेगा, स्वीपर्स को तो अच्छा रखा है। अपन खूब अच्छा खायें, डालें, उनको ऐसा रखने से उन्नति थोड़े ही हो सकती है। मनुष्य को ज्यादा उन्नत बनावेंगे तो ज्यादा काम करेगा। उनको सुविधा देंगे तो अपने को भी सुविधा मिलेगी। स्वीपर्स के लिए इस क्लॉज़ में जुर्माना और सजा रखी है। सजा हटा देनी चाहिए, जुर्माना रख देते तो फिर भी कहा जा सकता था। किसी से गलती हो सकती है। इस क्लॉज़ में यह रख देते कि इतने मकान मेन्टेन करेंगे, सफाई के लिए, कपड़ों के लिये और और बातें हो सकती हैं, ज्यादा सुविधा देते तो आप लोगों की भी ज्यादा सफाई होती और तकलीफ मिटती। वे लोग भी आप लोगों की तकलीफ को नहीं मिटाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तनख्वाह ४५) देते हैं महाराज। ४५) में क्या होता है। १॥) हुआ और १॥) का काम तो जैसा होगा वैसा करेंगे। इसलिये ऐसी हालत में मैं माननीय मिनिस्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोफेशन टेक्स तो जरूर हटा दीजिये। इस तरह से जो क्लॉज़ है उन पर सोच विचार करें और म्युनिसिपल बिल में सुधार करें। और मामलों में उदारता दिखायी है तो इसमें भी उदारता दिखा कर इसको अमेंड करें।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन ...

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन ....

श्री सभापति—श्री कंवरलाल जेलिया।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन, राजस्थान म्युनिसिपल बिल के तीसरे वाचन पर सदन में वाद विवाद हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

[श्री कंवरलाल जेलिया]

अब तक राजस्थान बनने के बाद राजस्थान की भूतपूर्व स्टेट्स में, जिलों में अलग २ म्युनिसिपल बिल थे, अलग अलग तरीके से थे, पहली बार राजस्थान विधान सभा में राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए यह बिल सदन में आया है, सदन इस पर पहले विचार कर चुका है और इसका तीसरा वाचन हो रहा है। मैं सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की अन्य प्रान्तीय सरकारों ने भी म्युनिसिपल एक्ट्स बनाये हैं लेकिन यदि अपने यहां के बिल को देखें तो उससे आपको विदित होगा कि राजस्थान की जनता को राजस्थान की विधान सभा द्वारा जिस तरह से स्वायत्त शासन के लिए जनतंत्रीय ढंग से अधिकार दिये जाने चाहिए थे, इसके द्वारा दिए गए हैं। जो माननीय सदस्य यह विचार प्रकट करते हैं कि आज के युग में यह बिल अनडेमोक्रेटिक है, इस बिल के द्वारा सरकार को अधिक अधिकार दिए गये हैं, माननीय चेयरमेन, यदि चेयरमेन, नगरपालिका की ड्यूटीज़ पर ध्यान दिया जाता तो किसी हद तक यह नहीं माना जा सकता कि राज्य सरकार ने अपने हाथ में अधिक अधिकार रखे हों और बोर्ड को न सौंपे हों। राज्य सरकार का जहां प्रश्न आता है, माननीय चेयरमेन, मैं यह बताना चाहूँगा कि सरकार ने वैधानिक ढंग से जो संरक्षण के अधिकार दिए जाने चाहिए थे, दिए हैं। वरना इसमें अंदेशा यह है कि अधिकार दिये और नियंत्रण नहीं रखा म्युनिसिपल बोर्ड पर तो कभी न कभी दुरुपयोग हो सकता है। इसी नाते स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने सदन के कई मेम्बरों को बुलाकर आपस में विचार विनिमय करके सबकी सम्मिलित राय से प्रोविजन रखा है। इसके लिये कई माननीय सदस्यों का कहना है कि कई जगह ऐसा नियंत्रण रखा है जिसे वे जनतंत्रात्मक ढंग से उचित नहीं मानते। मगर चेयरमेन के कार्यों पर यदि सदस्यों को असंतोष हुआ तो उस पर अंकुश रखा है। मैं आपका ध्यान उस धारा की ओर दिलाऊंगा जिसमें असंतोष होने पर २/३ मेजोरिटी से अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है और लगातार दो मीटिंग्ज में बहुमत से भी उसको हटाया जा सकता है। यदि चेयरमेन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो माननीय सदस्यों को अधिकार है कि अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उसको हटा सकते हैं। इतनी छूट इसमें रखी है।

जहां तक म्युनिसिपल सर्विसेज़ के संरक्षण का सवाल है, इस बारे में काफी सुविधा दी है। जो बड़ी सर्विसेज़ हैं उनको पी० एस० सी० द्वारा नियुक्त किया जायगा और नीचे की सर्विसेज़ के लिये बोर्ड की व्यवस्था की गई है। अब यह सवाल आता है कि यदि इस प्रकार से सर्विसेज़ को संरक्षण मिलेगा तो वे किस प्रकार से कार्य करेंगी इसके लिये बोर्ड को अधिकार दिया है और वह चीज आगे चलकर सरकार तक भी जा सकती है इस तरह से सर्विसेज़ पर नियंत्रण रखा जायगा।

करणपुर से आने वाले साथी ने सामाजिक सेवाओं और हरिजनों को म्युनिसिपैलिटीज द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विचार व्यक्त किये हैं। मैं इसके बारे में भी अपने थोड़े से

[श्री कंवरलाल जेलिया]

विचार व्यक्त करूंगा। समाज की आवश्यक सेवाएं हैं उनको देखते हुए इस मसले को जितना जनप्रिय बनाया जा सकता हैं उतना बनाने की कोशिश की गई हैं। हिन्दुस्तान के अन्य म्युनिसिपेलिटीज के एक्ट को देखते हुए और यहां की परिस्थिति को देखते हुए इस पर विचार किया गया है। मैं यह मानता हूं कि जो लोग बिना नोटिस दिये अपना काम छोड़ेंगे उन पर अंकुश रखने के लिये कुछ न कुछ प्रोविजन रखना पड़ेगा। सस्ती नेतागिरी के लिये जो लोग विचार रखते हैं उनकी बात अलग हैं लेकिन जनता की सेवा का जो कार्य हैं उस पर विचार करना चाहिये। कहने मात्र से काम नहीं चलता। स्वायत्त शासन मन्त्री जी इसके बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं उन पर ही छोड़ता हूं।

हाउस टेक्स के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने बहुत उदारता से सबको बुलाकर एक बार नहीं कई बार बुलाकर एक साथ बैठ कर विचार विनिमय करके तय किया। यह महसूस किया गया कि टाउन म्युनिसिपल बोर्ड और सिटी म्युनिसिपल बोर्ड बिजली, पानी, सफाई आदि का कुल खर्चा बर्दाश्त करेगा। इस खर्च को पूरा करने के लिये हाउस टेक्स लगाना जरूरी है। जब तक इस टेक्स को अनिवार्य नहीं कर दिया जायगा तब तक कोई लगाने को तैयार नहीं होगा। इसलिये इस बिल में यह धारा रखी है और उसमें कुछ टेक्सेज को आवश्यक रखा है जिनको आवश्यक तौर से लगाना पड़ेगा। जनतंत्र में जनता के लिये किये जाने वाले काम को मानना पड़ता है। यदि राज्य सरकार बोर्ड को किसी छूट देने के लिये सिफारिश करेगा तो छूट भी दी जा सकती है। म्युनिसिपेलिटी को अपनी आवश्यकता को देखना पड़ेगा। विरोध करने वालों को यदि कोई बात नहीं मिले तो जो बात उनके सामने आती है उसका विरोध कर देते हैं। अन्य जगह म्युनिसिपेलिटीज को जो अधिकार दिये गये हैं उनको देखते हुए हमारे यहां जो अधिकार दिये है वे काफी ठीक हैं।

हरिजनों के लिये जो रिजर्वेशन रखा गया है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा। अब तक म्युनिसिपेलिटीज में हरिजनों के नोमिनेटेड प्रतिनिधि हुआ करते थे। हम जनतन्त्र में विश्वास रखते हैं तो विधान सभाओं और पार्लियामेन्ट में हरिजनों के लिये जिस तरह से रिजर्वेशन रखा गया है उसी तरह से हमारे यहां की म्युनिसिपेलिटीज में हरिजनों की आबादी के अनुपात से हरिजनों का प्रतिनिधित्व होगा और उनके लिये सीट रिजर्व रहेगी। मैं भी हरिजन वर्ग में से हूं। मैं मानता हूं कि हरिजनों के लिये जो प्रोविजन किया गया है वह संतोषजनक है और जनतंत्र के अनुकूल है।

माननीय चेयरमेन, कई म्युनिसिपेलिटीज़ के एरिया में गंदी बस्तियां हैं जिनके कारण आस पास के रहने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गंदी बस्तियों को सुधारने के लिये म्युनिसिपेलिटीज को आवश्यक सुविधा देनी होगी। जब ऐसा प्रतिबन्ध रखा है कि इन इन चीजों पर

[श्री कंवरलाल जेलिया]

टैक्स देना होगा, घरेलू धंधों और दस्तकारी पर टैक्स नहीं रखा है उनको टैक्स से बरी रखा है तो फिर क्यों ध्यान जाता है कि किसान जो अनाज बेचने आते हैं वे टैक्स देते हैं तो सेठ साहूकार जो जायदाद बनाकर बैठे हैं वे टैक्स देने से क्यों इन्कार करते हैं। समाजवादी व्यवस्था अगर लानी है तो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाने देते। हरिजन बस्तियां बसाने का सवाल है वे इसी प्रकार बसेंगी। हमारे कई साथी कहते हैं कि हरिजन बस्तियां बसनी चाहिये। मैं भी दिल से चाहता हूँ कि म्युनिसिपल बोर्ड्स हरिजन बस्तियां बसावें। इनके लिये यदि और कोई नही बोलेगा तो हरिजनों को जो प्रतिनिधित्व दिया है वे तो इसके लिये बोलेंगे ही यदि वे मानते हैं कि गंदी बस्तियें स्वास्थ्य के लिये हितकर नहीं हैं तो वे अपने अधिकारों का उपयोग करें। आज जनतंत्र के जमाने में समाजवादी व्यवस्था को मानते हैं तो इसमें संदेह नहीं कि समाज का जो हीन वर्ग है उनकी दशा गिरी हुई है उनको अच्छी तरह से बसाना चाहिये। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। स्वायत्त शासन मन्त्री जी बाइलाज बनाते समय इसका ध्यान रखेंगे ऐसा मुझे विश्वास है।

कुल मिलाकर जब देखते हैं तो यह बिल मौजूदा राजस्थान की समस्याओं को देखते हुए अधिक से अधिक जनतांत्रिक है और पॉवर के डिकेन्द्रीकरण के लिये काफी कोशिश की गई है। जो पॉवर्स चेयरमेन को दी गई हैं वे बेजा नहीं है। नगरपालिकाओं में अलग अलग काम के लिये अलग अलग सब कमेटीज बनेंगी उनको भी कुछ पॉवर्स दिये गये हैं लेकिन सारे पॉवर्स चेयरमेन या राज्य सरकार को दिये हैं ताकि सब पर अच्छी तरह से नियंत्रण रह सके। मैं उस जगह से आया हूँ जहां म्युनिसिपल बोर्ड को किन्हीं कारणों से भंग किया गया था और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था लेकिन वहां पर समय पर चुनाव करा दिये गये। ऐसे वक्त में, खास समस्याओं के आने पर नियंत्रण रखना जरूरी है। किसी संस्था में बहुमत के डर से, मेम्बर्स के डर से कुछ ऐसे काम न करें जिससे जनता को दिक्कत हो तो राज्य सरकार को नियन्त्रण रखने के लिये अधिकार देना चाहिये। यदि नहीं देंगे तो जनता को फायदा नहीं होगा।

कुल मिलाकर पॉवर का विकेन्द्रीकरण किया गया है और जनता को काफी सुविधाएं दी गई हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमें इस बिल को एक मत होकर स्वीकार करना चाहिये।

श्री द्वारकादास पुरोहित—माननीय चेयरमेन, टाउन म्युनिसिपल बिल का संचालन माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने इस हाउस में बड़ी काबलियत के साथ किया है। इसको दरगुजर नहीं करते हुए मैं सदन को बताना चाहता चाहता हूं कि सदन ने इस बिल को अच्छी तरह से देखा है। इस बिल का जो स्वरूप हमारे सामने पहले पहल आया था उसके बाद में जब बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया और सिलेक्ट कमेटी से दुबारा हाउस में आया तब उसका क्या स्वरूप था यह हमने देखा है। तीसरी दफा जब हाउस में इसका संचालन हुआ कितने ही अमेन्डमेंट्स हर क्लॉज़ पर इस बिल में आये और स्वायत्त शासन मंत्री जी ने हाउस के बाहर सब मेम्बर्स को बुला कर उनकी राय लेकर जहां तक हो सका अमेन्डमेन्ट पेश करने की इजाजत दी। लेकिन आज

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

जब तीसरा रीडिंग हो रहा है उस वक्त हम इसको देखें तो यह मालूम होगा कि इतने ज्यादा अमेन्डमेन्ट्स हो गए हैं कि उस पर कन्सिस्टेन्सीज रही हैं या नहीं उनको जानना आसान नहीं है। सारा काम बहुत जल्दबाजी में हुआ है और इतने अमेन्डमेन्ट्स होने की वजह से यह मुमकिन नहीं है कि इसमें खामियें नहीं रही हों। आप मुलाहिजा कीजिये सेक्शन ४५ को जिसमें मेम्बर्स को रिमूव या सस्पेन्ड करने का प्रोविजन है उसके बाद जब ट्रिब्यूनल मंजूर हो जाता है और हमेशा के लिए अलग कर देते हैं तो मैं नहीं समझता कि स्वायत्त शासन मंत्री जी की मंशा है कि प्रोविजन ४५ लागू नहीं करे। यदि शिकायत हो तो ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाय लेकिन अलग हटाने का हुक्म दे तो वैसा हुकुम दें, यह प्रोविजन इसमें होना चाहिये था, इसके लिए मन्त्री जी को कोई एतराज नहीं हो सकता, पर फिर भी वह प्रोविजन इसमें नहीं है। अगर इसकी और ज्यादा डिटेल्स में जांच करेंगे तो बहुत से प्रोविजन्स मिलेंगे कि अभी जो बनने जा रहे हैं उनमें अब भी बहुत से अमेंडमेंट करने पड़ें। मुझे तसल्ली है कि आज इसे पास भी कर लेंगे तो आगे जाकर इस हाउस के सामने बहुत से सारे अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। क्योंकि इतनी जल्दबाजी में कोई न कोई खामी और बहुत महत्वपूर्ण खामी जरूर रहती है। जिस तरह के अमेंडमेंट इसमें हुए हैं उनको देख कर कोई नहीं कह सकता कि इसमें अब कोई खामी नहीं रही और कोन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट जो इसमें होने चाहिये थे वे सब हो गये हैं। तो इस स्टेज में इसे पास करना, इसे इन खामियों के साथ पास करना है, जिसके लिए फिर अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे और जिनकी वजह से दिक्कतें हमारी गवर्नमेंट को और हमारी म्युनिसिपैलिटीज को बनी रहेंगी। इसके अलावा कुछ प्रोविजन्स तो इसमें ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिये।...

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—Are you opposing the passing of the Bill?

श्री द्वारकादास पुरोहित— I am opposing.

इसके अलावा कुछ प्रोविजन्स तो इसमें ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिये। मसलन कम्पल्सरी टैक्सेशन के प्रोविजन्स। अब सदन के लिए यह सोचने का मसला है कि हाउस टैक्स, ऑक्ट्राय और प्रोफेसन एण्ड ट्रेड्स पर कम्पलसरी टैक्स लगाया है और साथ ही यह प्रोविजन रखा है कि यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड यह चाहे कि वहां यह टैक्स नहीं लगना चाहिये तो वह वजह बता कर गवर्नमेंट को इस बात को सिफारिश करे कि यहां यह टैक्स नहीं लगना चाहिये तो वह नहीं लगेगा, तो फिर यह कम्पल्सरी तो नहीं रहा। फिर भी प्रोविजन्स में कम्पल्सरी रखा है। जब डिस्क्रिशन बोर्ड में वेस्ट होता है तो कम्पल्सरी नहीं रहा। और जब कम्पल्सरी नहीं रहा तो इस तरह के प्रोविजन्स रखने का क्या मकसद। कम्पल्सरी तो तब होता जब कि प्रोविजन्स में कम्पल्सरी रख देते और बोर्ड का डिस्क्रिशन नहीं रहता। मैं मानता हूं, यह प्रोपेगेन्डा का विषय न बने हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी टैक्स माइन्डेड बनते जा रहे हैं और पिछले साल म्युनिसिपैलिटीज में बहुत ज्यादा

Page No 50

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

टैक्सेज लगाये हैं और इनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट्स हुए हैं उनका मुकाबिला भी किया है, तो इससे यह चीज आगई है कि टैक्सेज के प्रोविजन्स तो कम्पल्सरी रख लेने चाहिये। जिस प्रोविजन को वे नहीं रख सकते, जिस प्रोविजन का मुकाबिला उन्हें हर स्टेज पर करना पड़ेगा, वह रख कर कौनसा म्युनिसिपेलिटीज़ का फायदा कर रहे हैं और इस एक्ट को सुशोभित कर रहे हैं। कोई मायने नहीं रखता कि ये कम्पल्सरी प्रोविजन्स इसमें रखे जाय जब कि उनका करेक्टर कम्पल्सरी नहीं है। और जितने तीन चार साल में टैक्सेज हो सकते हैं वे सारे के सारे टैक्सेज एक साथ ही लगा दिए गए। अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर कभी यह गलती नहीं करेगा कि सब के सब टैक्सेज एक साथ ज़ल्दी से जल्दी लागू किये जायं। टैक्सेज बहुत धीरे धीरे लगाने चाहिये, इसका प्रोसीजर स्लो होना चाहिये। इसके साथ ही टैक्स देने वालों की टैक्स देने की केपेसिटी को देखे बगैर टैक्सेज़ पर इतना जोर देना बड़ी भारी भूल है। आज तो सरकार के हर काम की आलोचना करने का हर व्यक्ति को हक है, इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को आलोचना करने का हक है तो कम्पलसरी टैक्स लगाते समय आप उनका औचित्य बतायें। यह औचित्य नहीं कि जैसा आप जवाब दे चुके हैं, और मुख्य मन्त्री भी कह चुके हैं कि पंचायतों में रहने वालों से टैक्स लिये जाते हैं और म्युनिसिपेलिटीज़ में रहने वाले लोग टैक्स नहीं देते हैं, इस लिए टैक्स लगाये गये। वह गलत दलील है, यह ऐसी भ्रमपूर्ण बात है जिसके लिए आप सोचिए कि म्युनिसिपेलिटी में रहने वाली जनता जितना टैक्स पे करती है तो उसका पूरा हिसाब लगाया जाय तो गांव वालों से कई गुना ज्यादा टैक्स म्युनिसिपैलिटीज में रहने वाले देते हैं। इन्कम टैक्स, खरीद फरोख्त, कन्ज्यूम करने की चीजें हैं उन पर डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट टैक्स लगता है उन सब को शामिल करके देखना पड़ेगा कि कितना कितना कौन कौन पे करता है, उस वक्त कम्परेटिव फिगर्स से पूरा मुकाबिला कर सकते हैं। एक टैक्स किसी वस्तु पर लगा हुआ है, वह टैक्स सिटी में टाउन्स में नहीं है इसको लेकर दलील इसके पक्ष में पेश करते हैं वह भ्रमपूर्ण है। इस लिये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि शहरों में रहने वाली जनता टैक्स पे नहीं किया करती है, बाहर गांवों में रहने वाली जनता टैक्स पे करती है।

इस बात को मैं जरूर मानता हूं कि गांवों में जो जनता रहती है उन पर जो टैक्सेज आज लगे हुए हैं वह बहुत ज्यादा हैं, इसके लिए मैं कहता हूँ कि उन टैक्सेज़ का भार उन पर से हटाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिये।

टैक्सेज़ रेंट रेगुलेटिंग बिल आता है, सेटलमेंट होता है तो और टैक्सेज़ सरकार बढ़ा देती है, घटाने की तो जिसकी पहुँच हो वही कर सकता है पर बढ़ाने का तो हर एक प्रयत्न करता है परिमाण के ऊपर राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रांत में जितना होना चाहिए उससे टैक्सेज़ का भार कई गुना ज्यादा है।

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

हमें आज नहीं तो कल इस बात को सोचना पड़ेगा कि वे टैक्सेज़ जो आज ग्रामीण जनता पर लगे हुए हैं उनका लेवल किस तरह कम कर सकें ताकि इसकी बढ़ती हुई प्रगति को रोका जा सके ।

इस लिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पुनः गौर करें और कम्पल्सरी प्रोविजन्स रखे हैं उन पर फिर से सोच विचार कर उनको हटाने का प्रयास करें ।

मैं मानता हूँ कि यह थर्ड रीडिंग का अवसर है और इस पर कोई एमेंडमेंट नहीं आ सकता मगर माननीय चेयरमैन इजाजत दें और एमेंडमेंट रखे जावें तो जो कमियां इसमें रह गई हैं वे दुरुस्त कर सकते हैं । अगर ऐसा नहीं हो सकता और कमियां नहीं निकल सकती हैं तो इस बिल को पास नहीं किया जाना चाहिये और दुबारा किसी तरह से जो गल्तियां रही हैं उनको डिस्कस करके पास करने का मौका होना चाहिये । माननीय चैयरमैन, आपके सामने मैं इस पर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ में जो एक माह कैद की सजा और ५० रुपये जुर्माना का क्लॉज रखा है वह उनके साथ बहुत ज्यादती की गई है । मैं मानता हूं कि आज के युग में इस प्रकार का प्रोविजन रखा गया है वह हरिजनों के लिये वाकई में अच्छा नहीं है और एक महीने की सजा और ५० रुपये रखे गये हैं बहुत ज्यादा हैं । हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम पिछड़े हुए समाज को आगे लावें और इस प्रकार के क्लाजेज को रख कर हम ऐसा नहीं कर सकते । मैं मानता हूं कि हर सरकारी नौकर को जो हरिजन है या कलेक्टर है या कोई कमिश्नर या आई. ए. एस. है, उन सबको अपना फर्ज समझना चाहिये कि वे अपना काम अच्छी तरह से और ईमानदारी से अंजाम दें । लेकिन आज हम देखते हैं कि एक प्रणाली ऐसी पड़ी है हम गरीब को ज्यादा दबाते हैं और उनके लिये ओब्लीगेट्री प्रोविजन बनाते हैं । मगर मैं यह कहूंगा कि जहां ओब्लीगेट्री प्रोविजन आते हैं वहां पर ज्यादा लापरवाही से काम होता है ।

आज आप ब्लोक्स में जो काम होता है उसको लीजिये । आज ब्लोक्स एलोट होने के बाद भी और ओफिसर मुकर्रर होने के बाद भी कोई काम नहीं होते । और बहुत गड़बड़ियें होती है । फिर भी आप उनको सजा नहीं देते लेकिन हरिजन का जब प्रश्न आता है, भंगियों का जब प्रश्न आता है उस समय आप एक महीने की सजा और ५० रुपये जुर्माना की सजा प्रोवाइड करते हैं । यह मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी भूल है ।

आज अगर इस युग में हरिजनों पर जुल्म होता है तो हमें यह सोचना चाहिये कि उन पर जुल्म नहीं हो । आज उन पर एसेन्सियल सर्विसेज के बहाने उन पर यह जुल्म होता है । मैं यह कहूंगा कि आज एसेन्सियल सर्विस पंच वर्षीय योजना में काम करने वालों की है । मगर आज वहां पर इतनी गड़बड़ और घोटाला होजाता है जिसकी कोई हद नहीं । मगर वहां पर उसको रोकने के लिये हम कोई प्रोविजन नहीं रख सकते । और हरिजनों के लिये एसेन्शियल सर्विसेज़ की बात कह कर

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

इस प्रकार का प्रोविजन रख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हैल्थ के लिहाज से यह एसेन्सियल सर्विस हैं। मगर इनसे काम लेने के लिये दूसरा तरीका अपनाना चाहिये। यदि इस प्रकार की सजा रखी जावे तो यह बहुत बुरी चीज होगी। अगर आप इसके प्रेक्टीकल एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि इस प्रकार का प्रोवीजन पुरानो स्टेटों के बने हुए एक्टों में था मगर वहां पर किस को इस प्रकार को सजा दी गई। मैं समझता हूं कि किसी को इस प्रकार की सजा नहीं दी गई क्योंकि उनके पीछे डर लगा रहता था कि यूनियन नोटिस देकर कहीं हड़ताल नहीं कर दे। इसलिये किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इस प्रकार की कार्यवाही करते। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो यह प्रोविजन रखा गया है वह बहुत सख्त है। इसलिये इसको भी रिलेक्स करना चाहिये और ऐसे ढंग से रखना चाहिये जिससे हम अपनी ड्यूटी कर सकें और (घंटी) इस तरह का वातावरण बनाना चाहिये जिससे अपना काम दिलचस्पी से कर सकें और जो जिम्मेदारी उन पर हैं वे उसे अच्छी तरह से निभा सकें। इसलिये इसको री कन्सीडर किया जाना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात मैं आपके सामने वार्डस के बारे में रखूंगा। वार्डस के सम्बन्ध में गवर्नमेंट को काफी वाइड पॉवर रखे गये हैं। इस प्रकार के वाइड पॉवर होने का मतलब क्या होगा उसका मतलब हम पंचायतों के चुनावों में वार्ड बने उस समय देख चुके हैं। जिस तरह से एलोकेशन ऑफ सीट रखी गई उसको देखते हुए कोन्स्टीटुएन्सीज को मिलाने को कोशिश की गई। यह सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। अगर उसी प्रकार का प्रोवीजन रहता है और रूल्स में किसी प्रकार रद्दोबदल करने का आश्वासन माननीय मंत्री नहीं देते हैं तो मैं यह कहूंगा कि इसमें बहुत बड़ी कमी रह जाती है और जो स्वायत्त शासन के लिये एक प्रकार के कलंक के रूप में रहती है और हमेशा के लिये बहुत बुरी चीज रह जाती है। इसलिये इस पर भी रीकन्सीडरेशन करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति—(अश्रव्य)

श्री द्वारकादास पुरोहित—मेरा मतलब यही है कि अब रीकन्सीडर नहीं किया जा सकता लेकिन माननीय मंत्री चाहें और आप इजाजत दें तो एमेंडमेंट ला सकते हैं यह दूसरी बात है वरना मैं इसको ओपोज़ कर रहा हूं और इसी सिलसिले में कह रहा हूं। रीकंसीडर करने का मतलब यह है कि इसको पास नहीं किया जावे जिस हालत में यह मौजूद है। इसके अन्दर जो कमियां हैं उनको पूरा करके पास किया जावे।

इसलिये मैं आपके इस आदेश से इत्तफाक करता हूं कि यह स्टेज एमेंडमेंट और रिकन्सीडरेशन का नहीं है। यह तो माननीय मन्त्री महोदय के सोचने और आपके इजाजत देने की बात है मैं तो आपके जरिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत सी कमियां हैं। कई तरह की कमियाँ होने के कारण रिट हो सकते है। इसलिये हमें इसको देख कर सब प्रोविजनों को

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

एग्ज़ामिन करके पास करना चाहिये। मेरे कई माननीय मित्रों ने यह कहा कि यह पूर्ण रूप से अच्छा एक्ट बन गया है। क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय ने सब बातों को एडजस्ट करने में तत्परता दिखाई। माननीय मन्त्री महोदय ने तत्परता दिखाई इसका मतलब यह नहीं कि यह सारा एक्ट ठीक बन गया। बहुत से ऐसे कोन्सीक्वेन्टल एमेंडमेंट पूरे नहीं हुए। और बहुत से एमेंडमेंट ऐसे हैं जिनको समय देकर पूरा करना बहुत जरूरी है जिनके लिये मौका नहीं मिला।

माननीय चेयरमेन, वाकई में इस बिल को इतनी जल्दबाजी से और जल्दी से पास किया गया कि इतने लम्बे एक्ट को देखने में बहुत सी बातें रह गई। इसलिये मैं यह कहूंगा कि उनको एग्जामिन करना माननीय मन्त्री महोदय और गवर्नमेंट के हित में होगा। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि इस बिल को पास होने में समय लगे। सब यही चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी फोर्स में आए। लेकिन इस समय जो समय लगा है और इस धाराओं में कुछ कमियां रह गई हैं उसको अगर अभी ठीक कर लिया जाऐ तो ज्यादा समय नहीं लगेगा और अगर अभी दुरुस्त नहीं की गई तो इनके ओपरेशन में दिक्कतें आवेगी और उस समय बहुत ज्यादा समय लगेगा। फिर से आपको उनको ठीक करने के लिये एमेंडमेंट लाने होंगे और उस समय काफी समय नहीं रहेगा। हाउस का समय थोड़ा रह गया है। इसलिये अभी वक्त है। आप इस पर फिर से दुबारा सोचकर रायज करें तो अच्छा रहेगा।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय चेयरमेन, मुझे भी इसके तीसरे प्रवचन में कुछ कहना है। उदयपुर में कोरपोरेशन टूट रहा है। दिसम्बर में कार्य टूट रहा है। मैं यह नहीं चाहता कि कोरपोरेशन आप उसका नाम रखें। आप उसका चाहे कुछ नाम रखें लेकिन जो कोरपोरेशन को पोवर थे वे जरूर रखें।

जो टैक्स इस बिल में रखे हैं कम्पलसरी; वे कोरपोरेशन में नहीं थे। आज इस बिल के द्वारा जहां पहले कोरपोरेशन थे वे नहीं रहेंगे।

श्री सभापति (श्रीजगन्नसिंह)—माननीय सदस्य को ध्यान होना चाहिये, उनका जो इस प्रकार का संशोधन था वह मूव नहीं हुआ इस स्टेज पर उसे प्रेस नहीं कर सकते।

श्री जगतसिंह झाला—(जारी रखते हुए) मैं तो वैसे ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री वेदपाल त्यागी—बिल को एज ए होल अपोज़ कर रहे हैं?

श्री जगतसिंह झाला—कोरपोरेशन का नाम नहीं रखा जाना, जहां पहले कारपोरेशन था उसके लिये अर्ज कर रहा हूं।

श्री सभापति—अब तो रखने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—चाहे माननीय मंत्री मानें या न मानें, हमारा तो निवेदन करने का फर्ज है।

श्री सभापति—आप केवल इस वक्त बिल के विरोध में या पक्ष में ही बोल सकते हैं।

श्री जगतसिंह झाला—चेयरमेन महोदय, मैं बिल का विरोध करता हूं। आज के युग में जब कि हम सोशिलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं वैसी हालत में हमें स्वायत्त शासन संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिये। इस युग के अन्दर जब कि साशिलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बातें कर रहे हैं उस हालत में हमें जनता को अधिकार देने चाहिये। जहां पहले कोरपोरेशन थे राजाओं के समय में वहां उस समय भी ज्यादा अधिकार राजाओं की ओर से उनको दिये गये थे लेकिन इस बिल के जरिये उन अधिकारों को हम लेना चाहते हैं इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

जहां तक टैक्सेज़ का सवाल है हमने इस बिल में कुछ टैक्सेज कम्पलसरी रखे हैं जिसका विरोध किया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि ये जो कम्पलसरी टैक्सेज रखे हैं उनको हटा दिया जाना चाहिये।

हरिजनों के लिये निवेदन करूंगा कि हरिजनों के ऊपर जो आपने एक महीने की सजा और पचास रुपया जुर्माना रखा है वह बहुत ज्यादा होता है आज के युग में। आज के युग में होना तो यह चाहिये था कि हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्रदान की जातीं और कम से कम जुर्माने की सजा दी जाती। लेकिन आपने जो सजा और जुर्माना रखा है वह बहुत ज्यादा है और वास्तव में अन्यायपूर्ण है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी धारायें इस बिल में से हटा दी जायें ये धारायें आज के युग के प्रतिकूल हैं स्वायत्त शासन के विपरीत मालूम होती हैं इसलिये इसको हटा दिया जाय। इतना ही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—चेयरमेन महोदय, राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल के तृतीय वाचन के सिलसिले में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस बात को पहले ही बता देना उचित समझता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथसाथ मैं यह भी निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि जिस अकोमोडेटिंग स्पिरिट का माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल में परिचय दिया वह वास्तव में स्वागत योग्य है उसकी सराहना किये बगैर कोई नहीं रह सकता जिस किस्म के सुधार इस बिल में हुए हैं और जिस रूप में माननीय मंत्री ने इसे सदन में पेश किया उसके बारे में हम माननीय मंत्री जी के बहुत आभारी हैं।

[श्री अवनी कुमार मुकर्जी]

इस बिल की धाराओं के संबन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने विरोध क्यों किया यह ठीक तरह से मेरी समझ में नहीं आया। हमको यह देखना है कि मौजूदा परिस्थितियां क्या है और उन परिस्थितियों पर काबू पाने के लिये हम अच्छी से अच्छी क्या व्यवस्था कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस दृष्टीकोण से यदि इस बिल के ऊपर विचार किया जाय तो हम एक ही नतीजे पर पहुचेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों के अन्दर इससे अच्छा बिल नहीं बन सकता। अब मैं म्युनिसिपेलिटीज़ बिल में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

पहली बात जो इस बिल के अन्दर स्वागत योग्य है वह यह है कि मेम्बर्स को म्युनिसिपल बोर्ड से हटाने के लिये जो व्यवस्था की है वह व्यवस्था बहुत ही न्यायसंगत है। पहले जो सिलेक्ट कमेटी ने व्यवस्था की थी वह अन्यायपूर्ण थी। उसको माननीय मंत्री महोदय ने महसूस किया और उसके बाद जो व्यवस्था इस बिल के अन्दर की गई कि अगर किसी मेम्बर के खिलाफ किसी प्रकार का इल्जाम लगाया जाता है तो उसको fair ट्रायल दी जायगी। वही बात म्युनिसिपलिटी के चेयरमेन और वाइस चेयरमेन के लिये भी लागू होगा। यह बहुत बड़ा सुधार है और प्रान्तों के अन्दर जो म्युनिसिपल कानून बने हुए हैं उनके अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं है। उन प्रान्तों के मुकाबले हमने इस ओर प्रगति की है। अगर आप लोग इस पर रचनात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। छोटीमोटी कमियां रह सकती हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जायंगी उनमें भी सुधार होता जायगा जो सुधार आज की परिस्थितियों के अनुकूल हैं वह सब कर दिया गया है। अगर हम इसी दृष्टिकोण से इस पर विचार करेंगे तो हमें इसमें कोई कमियां नजर नहीं आयेंगी।

दूसरी बात है टैक्सेशन के सिलसिले में। इस बिल में जो धारा ८७ है धारा के अन्दर तीन टैक्सेज़ ओबलिगेटरी कर दिये गये है एक तो हाउस टैक्स दूसरा आक्ट्राय टेक्स और तीसरा है tax on proiession. मैं समझता हूं प्लानिंग कमीशन ने जो सुझाव रखे हैं डाइरेक्ट टैक्सेशन के बारे में उसी सिद्धान्त की इस बिल के अन्दर बहुत हद तक व्यवस्था की है। हाउस टैक्स tax on profession ये सब डाइरेक्ट टेक्सेज हैं, धारा ८७ में जो व्यवस्था की है वह अधिक मात्रा में डाईरेक्ट टैक्सेज़ के इम्पोज़ करने की।

ओक्ट्रॉय का जहां तक सवाल है मैं समझता हूं मौजूदा परिस्थिति के अन्दर म्युनिसिपैलिटीज़ की आर्थिक हालत को देखते हुए उस आर्थिक हालत को सुधारने के लिये इसके अलावा और कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। इस दृष्टिकोण को सामने रख कर हम विचार करें तो जो कुछ व्यवस्था इसमें की गई है उसे हम ठीक तरह से समझ पायेंगे।

[श्री अवनीकुमार मुकर्जी]

एक आवश्यक बात मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा वह यह है कि धारा ८७ में जो एक्जेम्प्शन्स दिये गये हैं उन एक्जेम्प्शन्स को न्याय संगत तो नहीं कह सकते लेकिन वे जो एक्जेम्प्शन्स दिये गये हैं वे विशेष परिस्थितियों की वजह से दिये गये हैं। आगे चलकर जब कभी इस कानून में सुधार होगा उन एक्जेम्प्शन्स को धीरे धीरे रिमूव कर दिया जायगा। जहां तक राजा महाराजाओं के हाउसेस बिल्डिंगस और उनके ऊपर हाउस टैक्स लगाने का सवाल है मैं समझता हूं इस बारे में राजस्थान सरकार को कदम उठाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार के सामने यह बात लानी चाहिये कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के पास बहुत लिमिटेड funds हैं इसलिये उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि जो एक्जेम्प्शन जो रूलिंग प्रीन्सेज़ को और उनके मेम्बर्स ओफ दी फेमिली को हैं वह खत्म कर दिये जांय। मैं समझता हूं अगर सरकार ने इसमें दिलचस्पी ली तो केन्द्रीय सरकार जरूर इससे सहमत हो जायगी। आज के जमाने में जब कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं वहां परिस्थितियों के साथ साथ समझौते भी बदलते रहते हैं अगर राजस्थान सरकार कोशिश करेगी तो मैं समझता हूं इस के अन्दर कामयाब होगी। जो एक्जेम्प्शन रूलिंग प्रीन्सेज़ और उनकी फेमिली को दिया गया वह एक्जेम्प्शन खत्म हो जायगा और उनके ऊपर हाउस टैक्स लागू होने से नगर पालिकाओं की आमदनी बढ़ जायगी।

जहांतक सरकारी इमारतों का सवाल है मैं समझता हूं कि सरकारी इमारतों पर भी हाउस टैक्स लगाना जरूरी है वह इसलिये कि सरकारी इमारतों को भी वही सहूलियतें मिलती है जो कि एक आर्डिनरी सिटीजन की ईमारत को मिलती है। वैसी स्थिति में सरकारी ईमारतों पर हाउस टैक्स न लेना उचित नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन दोनों बातों पर विचार करें। एक दिन ऐसा समय भी आयेगा जब कि इस कानून में हमें इस प्रकार का संशोधन करना होगा कि जिससे सरकारी इमारतें भी हाउस टैक्स से मुक्त न रह सके।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह सुपरसेसन के संबन्ध में है। इस बारे में जो व्यवस्था इस बिल में कर रखी है वह न्याय संगत है। सुपरसेसन करने के अधिकार सरकार के पास रहना जरूरी है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि दूसरे रास्ते काफी नहीं हो सकते वैसी स्थिति में सुपरसीड करने की व्यवथा का अवलम्ब करना चाहिये। यदि इस प्रकार का प्रोवीजन नहीं रहता तो कई प्रकार अड़चने आगे चल कर आती। उन पर विजय पाने के लिये यह व्यवस्था की है लेकिन इसके साथ २ यह भी पाबन्दी लगा दी है कि अगर कोई बोर्ड सुपरसीड होता है तो ६ महीने के अन्दर २ चुनाव करना इस कानून के अन्तर्गत अत्यावश्यक है। सुपरसेशन के ऊपर जो यह पाबन्दी लगादी है उसे हम न्यायसंगत व्यवस्था कह सकते हैं।

जहां तक Dissolution का सवाल है, जो तरीका इस बिल में अपनाया गया है वह न्यायसंगत है। जब किसी नगरपालिका पर किसी प्रकार का इल्जाम लगाया जाता है तो उसको

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

कहने सुनने का मौका दिया जायगा। एक ट्रिब्यूनल के सामने उस पर जो इल्जामात लगाये गये हैं उसकी सूची पेश की जायगी, उसका जवाब वो खुद दे सकते हैं या वकील के जरिये या स्पोक्स-मेन के जरिये जवाब दे सकता है जो ट्रिब्यूल द्वारा न्याय होगा वह सच्चे मायने में न्याय होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक हम एक एक्सपेरिमेन्टल स्टेज से गुजर रहे हैं तो कई बातों में हमें प्रायोगिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जो कुछ हम बना पाये हैं उसका नगरपालिका पर क्या असर पड़ने वाला है यह भी एक देखने की चीज है इस मामले में ज्यों ज्यों हमारा अनुभव बढ़ता जायगा वैसे इसमें सुधार होते रहेंगे। हमारे लिए इस दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। अगर हम इस दृष्टिकोण से विचार करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और प्रान्तों के अन्दर जो म्युनिसिपल कानून बने हुए हैं उनके मुकाबले में हमारा कानून एक model कानून कहा जा सकता है।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह म्युनिसिपल सर्विसेज़ के बारे में मैं समझता हूं। म्यु० सर्विसेज़ को प्रोटेक्शन देने के लिये जो व्यवस्था इसमें की है उससे अच्छी व्यवस्था मौजूदा हालतों में नहीं हो सकती थी। और मैं समझता हूं कि इसके अमल में आने के बाद जो भी नगरपालिका में नौकर हैं, चाहे छोटे हों, चाहे एग्जीक्यूटिव अफसर हों, चाहे टैक्नीकल अफसर हों, चाहे वे सुपरिन्टेन्डेन्ट हों, चाहे मिनिस्टरियल स्टाफ के हों उनको प्रोटेक्शन मिल जावेगी और आज जिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं, जो उनकी लिमिटेशन्स हैं वे भी खतम हो जावेगी और उनका कार्यक्षेत्र सीमित नहीं रह कर काफी बढ़ जावेगा। मैं समझता हूं कि इससे उनकी आज जो काम करने की efficiency है वह भी कई गुना ज्यादा बढ़ जावेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस कानून के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

इसमें छोटी मोटी खामियां अगर कोई रह गई हैं तो वे आगे जाकर खतम हो जावेंगी। जब काम करने लगेंगे तो वे खामियां हमारे सामने आवेंगी और उनको आसानी से दूर किया जा सकेगा। इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिये निवेदन करता हूं कि इस के ऊपर रचनात्मक दृष्टिकोण से आप सोचिये और इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को पनपाने के लिये जो भी सुधार आगे करना आवश्यक होंगे वे किये जावेंगे। मिनिस्टर महोदय का माइन्ड closed नहीं है, open है। वे सारी बातों पर dispessionately विचार करते हैं और मौजूदा परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो भी व्यवस्था करने की बात वे सोचते हैं वह करते हैं और इसलिये मैं उनको इस मामले में सही समझता हूं।

जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनका मैं जिक्र कर चुका हूं और अब, माननीय चेयरमेन, इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीमानसिंह—Mr. Chairman, Sir, I must make it clear at the outset that I rise to support this Bill, that this Bill be passed immediately. But, Sir, some Hon'ble Members have objected that this Bill ought not to be passed on seven or eight grounds. The first argument is in regard to centralisation, democracy and de-centralisation. Secondly against functions that are distributed as primary and secondary among municipal boards. Thirdly, from the taxation point of view, making it obligatory. Fourth, Sir, comes one clause that makes the services, specially that of the Harijans and scheduled castes, making it a penal provision. This minor point of importance I can easily dispose of by saying that if the 'scheduled castes take the responsibility of scavenging and cleaning the streets it is their bounden duty; if they accept the assets of the services they must accept the liability also. There is a danger that the penal provisions of this section will be invoked frequently against them. But, Sir, I may remind them that in a very few cases such provisions have been invoked against them. Those occasions have been strikes. and those frequent strikes have been just only for a demand for higher salaries, On the one hand you like to have higher salaries. and on the other hand, if they are asked to contribute to the finances of the local boards they will oppose. Thus they cannot just blow hot and cold together. At the same time they cannot have both things. Today there is no need for strikes. Today, all the services, whether scavenging or the higher services have all dignity of labour. We expect from them, and if I may repeat, the nation expects that every individual will do his duty. This they are to follow and not just be afraid of penal clauses.

The sixth argument has been against distinction between city and town municipalities, and the seventh against exemptions. I may dispose of this exemption clause, Sir, by saying that today in the socialistic society moving towards a egalitarain life, there is certainly no justification for these exemptions, especially for those who can easily bear the durden of higher incidence of taxation. We tax the poorest men, but we leave those Hon'ble Highnesses who are drawing five and a half lacs of rupees without any service to the state and nation, without any contribution, either intellectual, moral or cultural. Perhaps the only support that can be found for these exemptions is in some remote article of our constitution. That is no JUSTIFICATION today and this House should be unanimous on this point that such an article must be amended as soon as possible, so that relief may be given to the poorest man in the country.

The eighth is the power of supersession. This power of supersession has been and may have been advocated by some Hon'ble Members by saying that during the dissolution period and the next election, the members continue to be members of

[श्री श्रीमानसिंह]

the municipal board till the next election and hence the necessity of keeping this power of supersession. Sir, I do not agree. If that was the difficulty this could have been easily surmounted by adding a clause or sentence that as soon as a Municipal Board is dissolved the members go home and remain no longer members of the Board. This we could have easily done away with if that is an undemocratic feature of undemocratic power that has been kept by the State Government.

Now, Sir, I come to the problem of centralisation. Odjections have been raised by certain Hon'ble members that the powers which the Government has retained is undemocratic. An Hon'ble Member has said that this will make this Bill undemocratic and that these powers will hinder the smooth and efficient working of the Municipal Boards and they seek to justify this power in that right of self-determination which was raised by Nations against imperialistic suppression. But, Sir, this right of self-determination dose not apply to the local institutions or to the Municipal Boards and this third objection to it is baseless.

(घंटी)

श्री सभापति—No quorum.

(गणपूरक घन्टी के पश्चात्)

Yes, continue please.

श्री श्रीमानसिंह (जारी)—Sir, this right of self-determination which they give instances of in the American Revolution or the Revolution in France or in other countries that made themselves independent does not apply to our local institutions. If this right was carried to its logical conclusion it would mean that we would have in this country rather small republics as municipal boards, district boards and panchayats. This is not possible. Not only this, Sir, this centralisation is inevitable. In the present days, in all the countries, if I may talk of the mother of democracies, England, there, Sir, today every department, Health, Education Transport, all are controlled by the respective Minister. They are all under them. Not only this, Sir, our great example, the U. S. S. R., there the local institutions are just similar instruments of the Soviet Union and are calls of the proletariat apparatus. Similarly, Sir, in the continental countries, we find excessive centralisation. There the word 'tutale' is known as in France as Guardianship of the local institutions. Not only this, Sir, if we look at the history of

[श्री श्रीमानसिंह]

local self-Government in this countrty, I will not be far wrong when I say that we have made a great advance towards de-centralisation and the able piloting, accommodatoin and imagination of the Hon'ble Minister has accommodated the greatest maxims that led to the formation of the Communist Party in Russia which today directs the activities in Russia. That was Lenin's maxims-centralisation of control and decentralisation of activity. He has todav. combined these two in this Bill, for which he deserves our praise.

Sir, the crux of the problem of local self-Government is that local initiative, knowledge, talent and enterprise. These should not be cripped, cabined and confined. It must have a free play and from this angle, centralisation has been criticized. Sir, I need not refer to the clauses of this Bill. But, Sir, there is a great and free scope for the local initiative, talent and knowledge, not only in the field of taxation but also in the field of managnig, their own affairs.

Coming, Sir, to the functions of the municipal boards, I have to say regretfully that we have not gone very far. We have merely divided the functions of the local bodies into two parts. We have divided them into primary and obligatory functions and secondary functions. We have placed certain functions as obligatory and certain functions as voluntary. Sir, I need not travers the ground which I had when speaking on this chapter. But it is suffice to remind that in these days the vital and important functions of the municipal boards are social services and for this we tax the poorest and the richest man. But these social services have been kept as voluntary and denied to the society, that is criminal, because in these days municipal boards have to play their vital role, not in matters which are national, not in matters which are of State importance, but in matters which are of local importance, and Sir, social services like health, like care of the infants, like maintenance of ambulance, like looking after the beggars, leppers; these are important functions. Not only this, Sir, today in the country we need cultural activities and that has been kept as voluntary function. Then, Sir, may I ask as to how and on what ground these municipal boards justify their existence ? Not by mere scavenging and cleaning of the streets, not by mere lighting. These functions have to be taken up. This is obvious. But in a modern State or a local institution in modern times, the true need of the times is to embody cave the principles of "from the cradle to the grave." This principle can very well be put into practice, by local institutions, especially the municipal boards. Sir, the funds of the local institutions should be invested more and more into cultural activities. We may not get the return of such investment today. But it is a healty investmen

[श्री श्री मानसिंह]

which every local institution or corporation in a modern city must undertake, and therefore here there is an essential need of re-distribution of functions.

Thirdly, Sir, objection has been laid against obligatory taxation. We have seen, Sir, that not only outside, but here also people criticized every fresh levy of taxation. I agree Sir, and can concede the ground that the taxable capacity of our people is very low and the exemptions granted in taxes have made it lower. Yet, Sir, we have to undertake development plans. We have to come to the standard of other Western nations. How are we, on the one hand, going to undertake all these development plans and how is the municipal board going to cope with the increasing demand in their services, on the other hand, with this denial of "no-taxation". Sir, finance has to be sought. A local politician, if he comes like us to catch votes, may deny that he will plan for no taxation, no increase, no fresh taxation. But, Sir, to secure votes he will have to promise them, he stands for increasing cultura activities, and social activities. How that budding politician is going to combine these two-the shyness of the local bodies with unwillingness to tax, we have to combat so that every courageous representative may not have to incur this that taxation will not be obligatory. But, Sir, while I say this, we have not gone very far in our taxation. We have seen in the papers that in order to finance the national development programmes in the Second Five Year Plan the rate of taxation has been doubled. While we have, like the politician, felt very shy and have kept only three taxes as compulsory, while there are preventive taxes on keeping of animals and dogs, which is a preventive tax against rabbies, this tax could have been made compulsory. We could similarly have included taxes like entertainment tax in obligatory taxes. We are not prepared to take from the Municipal Boards their right to tax themselves but we have brought about a situation that meets the demand that the Board should undertake increasing social services and activities, yet we would not like to be taxed. This, Sir, is the criticism against obligatory taxation, No doubt, it can be cited as militating against some finer principles of 'no taxation with representation' but, Sir, as the right of self-determination does not apply to local institutions, so this right does not apply here also.

Coming to the services, Sir, I must congratulate the Hon'ble Minister for his bold experiment regarding the municipal services. He has given them security and has made them free from political victimisation which would have resulted in their inefficient working. Looking to the provisions that have been incorporated in this Bill, I will not be far wrong when I say that the other Provinces will copy us. This is a necessary provision in democracy and needs to be commended.

[श्री श्रीमानसिंह]

Lastly, Sir, the distinction between the city and town municipalities. Some people have criticized this by bringing in corporations. But, Sir, this distinction is fallacious. This is a provision in this Bill. There is no need to keep such a provision. There should have been either some functional or other difference. Then such a difference would have been jnstified.

In the end, Sir, I wish again to compliment the Hon'ble Minister for making this Bill so democratic, and for accommodating every progressive point of view. I can with emphasis say that the local Self-Government institutions are now under this Bill better off than they were previously and hope, Sir, that the Bill will go towards their smooth and efficient working and will make them take up services that will justify their existence in the life of national re-construction.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मैं इस बिल पर ज्यादा बोलना तो नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे माननीय मित्र मिनिस्टर महोदय की सहत कुछ खराब है, उनको इस बिल के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है और काफी समय यहां और हाऊस के बाहर भी लगाना पड़ा है लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि मैं कहना आवश्यक समझता हूं।

सबसे पहले तो इस थर्ड रीडिंग के वक्त मुझे एक बात का बड़ा दुःख है और मैं यह समझता हूं कि हम लोगों को किसी पुरानी लकीर के फकीर बनने की आवश्यकता नहीं। आपका हाऊस एक सोवरिन हाऊस है, प्रोसिजर और रूल्स आपके बनाये होते हैं, कन्वेन्शन आप नया डालते हैं। ऐसे, सब में आप देखेंगे कि दो हाउस होते हैं, एक तो लोअर हाउस और दूसरा अपर हाउस। अपर हाउस का खर्चा क्यों किया जाता है? इसलिए कि जल्दी में कुछ धारायें पास हो गई हों, कुछ गल्तियां रह गई हों, तब्दिलियों की जरूरत हो तो उस हालत में अपर हाऊस में जाय और वहां ठीक हो जाय और लोअर हाऊस वापिस कर देता है तो ठीक है। लेकिन जहां अपर हाऊस नहीं है, लोअर हाऊस ही है, वहां अगर कोई गलती हो जाय तो उसके सुधार के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ता है, मुसीबत पैदा हो जाती है, संशोधन लाओ, करो, इसलिए माननीय चेयरमेन मैं समझता हूं कि इस हाऊस में ही ऐसा कन्वेन्शन हो जाय कि थर्ड रीडिंग के समय अमेन्डमेन्ट्स आ सकें और वे ही जो कि मूवर ऑफ दी बिल स्वीकार कर लें और स्पीकर महोदय या चेयरमेन महोदय यह समझते हैं कि ये आवश्यक हैं। इस प्रकार की परम्परा इस हाऊस में कायम कर लें तो गवर्नमेंट का बड़ा खर्चा बच जायगा, इससे काफी फायदा भी होगा। आपको मैं यह नहीं कहता कि आज ही यह कन्वेन्शन बना सकते हैं, यह एक सुझाव है, आप इस पर सोच लें। एक दो रात तक इसको सोच लें, फिर १४ तारीख को जो जरूरी चीजें हैं उनको स्वीकार कर लें। उन बातों के लिए फिर अमेन्डिंग बिल लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

[श्री गोपीलाल यादव]

इसके बाद दूसरी चीज़ यह है कि जितना डेमोक्रेटिक यह बिल मन्त्री महोदय बनाना चाहते थे इसको बना दिया और सब लोगों के कहने से जितनी चीज़ों को डेमोक्रेटिक बनाया जाय उतना ही अच्छा है। माननीय चेयरमेन मेरी विचारधारा दूसरी है। मैं डिक्टेटरशिप में विश्वास करता हूं।

श्री कंवरलाल जेलिया—डिक्टेटरशिप में क्या करते हैं ?

श्री गोपीलाल यादव—विश्वास करता हूं।

मैं यह मानता हूं कि जितना अच्छा काम वह आदमी कर सकता है जिसको रोज इस बात की जरूरत न हो कि तुम मेरा साथ देना, मेरे साथ वोट देना, ९ मेम्बर नहीं होंगे तो अविश्वास का प्रस्ताव आ जायगा, फैल होगा या पास होगा, १५ दिन का मौका है, १५ दिन में खुशामदें करते फिरेंगे, हाथ जोडेंगे, रिश्वत देंगे, दबाव डालेंगे और इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। लेकिन डिक्टेटरशिप से मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी राजा को लाकर बिठा दिया जाय किन्तु मेरा मतलब यह है कि जैसा तरीका अमेरिका में है वैसा कर लिया जाय। कम से कम म्युनिसिपेलिटीज़ में तो कर ही लिया जाय। म्युनिसिपेलिटी में एक चेयरमेन का इलेक्शन होगा, दूसरे मेम्बरों की आवश्यकता नहीं। इसमें निहायत अच्छा आदमी चुना जावेगा। उसको तीन साल तक अनब्रिडल्ड पावर्स दे दी जाय।

श्री कंवरलाल जेलिया—भारत के संविधान का खयाल रखें।

श्री सभापति— बिल का विरोध कर रहे हैं या समर्थन ?

श्री गोपीलाल यादव—इस वक्त तो मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं, बाद में तो मुझे इसका समर्थन ही करना पड़ेगा।

श्री सभापति—You can only either support the Bill or oppose it.

श्री गोपीलाल यादव—इस वक्त तो मैं समर्थन कर रहा हूँ।

माननीय चेयरमेन, इसमें कोई शंका नहीं कि डेमोक्रेसी का सिद्धान्त काफी विस्तृत किया गया है लेकिन उसके साथ ही यह चीज़ भी ध्यान में रखी गई है, जो मैं बता रहा हूं, कि चेयरमेन को जितना भी हो सके सुरक्षित किया जाय और सुरक्षित किया भी गया। अधिकार दिये भी गये हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इतने अधिकार ले लिये हैं कि वास्तव में डिक्टेटरशिप अच्छी तरह से चल सकती है। कोई चेयरमेन या म्युनिसिपल बोर्ड गड़बड़ी करे तो उसको हटाया भी जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है।

[श्री गोपीलाल यादव]

माननीय चेयरमेन, इसमें सबसे बड़ी चीज़ बताऊं वह यह है कि जिसके सम्बन्ध में मैं पहले भी निवेदन कर रहा था। हमें इस प्रकार की परम्परायें बनानी चाहिये जिससे सुधार कर सकें। चेयरमेन को अपोइन्टमेंट के पावर्स दे दी हैं, दूसरी भी चीजें जरूरत की दे दी हैं, नतीजा यह होगा कि इसमें गड़बड़ी पड़ेगी, इस चीज़ को दूर कर देना चाहिए इससे पहले कि थर्ड रीडिंग खत्म हो यह निहायत अच्छी चीज़ होगी।

माननीय चेयरमेन, ओक्यूपायर की डेफीनेशन दी गई है :

"Occupier' includes an owner in actual occupation of his own land or building."

दुनियां में कहीं ऐसा नहीं है। ओक्यूपायर ओनर कब से हो गया! यह तो हो सकता है कि ओनर कोई हो, ओक्यूपायर कोई हो ..

(घंटी)

श्री सभापति—आपका समर्थन यही है ?

श्री गोपीलाल यादव—जी साहब।

श्री सभापति—आप एक नई चीज़ बता रहे हैं जो इस बिल में नहीं है और वह बतायी नहीं जा सकती।

श्री गोपीलाल यादव—समर्थन करते वक्त यदि कमियां हैं तो बता सकते हैं। सबसे पहला निवेदन किया है वह यह किया है कि कन्वेन्शन कायम की जाय।

श्री सभापति—यह कन्वेन्शन कायम नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव—आज सुनने के बाद रात तक तैयार हो जाय और जब १४ तारीख को मिलें जब ऐसी चीज़ आय तो कन्वेन्शन कायम हो जायगी। मुझे इसको डेवलप करने की इजाजत दीजिये।

(विराम)

माननीय चेयरमेन, एक डेफिनेशन सीटी के बारे में दी है।

"City' means a municipality having a population of not less then one lac in habitants..." मान लीजिये कि नगरपालिका नहीं थी, तो सिटी की डेफिनेशन भी नहीं थी, कोई शहर नहीं हो सकता है। शहर के माने

Page No 65

[श्री गोपीलाल यादव]

तो यह है कि ज्यादा आदमी वहां रहते हों, म्युनिसिपेलिटी की डेफिनिशन अलग है, बोर्ड की डेफिनिशन अलग है कौंसिल की नई डेफिनिशन एड कर दी है। समर्थन तो मैं कर रहा हूं लेकिन इसमें इन चेन्जेज को आवश्यकता है जिनके लिये प्रयत्न करना पड़ेगा।

माननीय चेयरमेन, अब मैं दो तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज़ हरिजनों के सम्बन्ध में है। हरिजनों के सम्बन्ध में जो धारा रखी है उसमें संशोधन होना निहायत जरूरी है। उनको जेल भेजने की जो चीज़ है वह तो वास्तव में ऐसी है जो किसी दुकियानूसी जमाने की हो सकती है, आज कल के एडवान्स जमाने की नहीं है। हां, एक चीज़ कही जा सकती है कि किसी न किसी प्रकार से काम खराब न हो तो जैसा मेरे मित्र धर्मपालजी ने कहा मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंनेकहा कि यदि मां घर में सफाई नहीं करेगी तो क्या उसको जेल भेजेंगे तो उसी तरह से हरिजनों का काम मां की तरह से हो गया तो उनको भी जेल नहीं भेज सकते अब कैसे किया जाय? उनका सुझाव है कि हरेक हरिजन के लिए घर बना दीजिये जैसे एम. एल. एज़. के लिये क्वार्टर बनाये हैं ७५ रु. माहवार किराये के ऐसे ही हरिजनों के लिये बना दीजिये फ्री ओफ रेन्ट, तनख्वाह चाहे उनको कुछ भी दे दीजिये २० या ३० रु० दे दीजिये। कोई छोड़ कर चला जाय तो . . .

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—I can't allow.

श्री गोपीलाल यादव—जहां मकान बनाने नहीं देते . . .

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—आपको जो निवेदन करना है वह आप ने शुरू में पहले ही बता दिया है। आप विरोध करना चाहते हैं तो समर्थन नहीं करें और समर्थन करते हुए विरोध नहीं करें।

गोपीलाल यादव—क्या यह भी कहीं कायदा हो सकता है कि समर्थन करने वाला विरोध नहीं करे और विरोध करने वाला समर्थन नहीं करे?

श्री सभापति—I will refer to the article 147 of the Rules of Business.

श्री गोपीलाल यादव—वह किताब इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री सभापति—Then you should abide by the order.

श्री गोपीलाल यादव—इस हाउस की यह परम्परा रही है कि हरेक बिल और रिजोल्यूशन का समर्थक भी इसको क्रिटिसाइज़ करता रहता है और यह स्वस्थ परम्परा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर श्रीमान को कायम रहना चाहिये।

श्री सभापति—No.

श्री गोपीलाल यादव—अब मैं समर्थन में ही बोलूंगा क्योंकि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। टेक्सेज़ के सम्बन्ध में कई मित्रों ने कहा कि टेक्सेज़ ज्यादा लगा दिए, कंपलसरी टेक्सेज नहीं लगाने चाहिये। मैं विरोध करने जा रहा था लेकिन अब उनका समर्थन ही करूंगा। वह समर्थन यह है कि मैं एक चीज़ को मानता हूं। जिस तरह से तमाम समुद्र, नदी, तालाब के पानी को सूरज खींच लेता है, जिसकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार पानी खेंचा जाता है, कोई उसकी कंपलेन्ट नहीं करता। तालाब, कुए, नदी, आदि कोई शिकायत नहीं करते हैं और सब बर्दाश्त करते हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि महीने दो तीन महीनों में वह पानी वापिस हमारे पास आयेगा और नदी, तालाब सभी भर जायेंगे। इसलिये यह जो टेक्सेशन लगाया गया है इससे किसी को नाराज़ होने की जरूरत नहीं है। चाहे टेक्स म्युनिसिपल कमेटी ले या सेन्ट्रल गवर्नमेंट ले या राजस्थान गवर्नमेन्ट ले क्योंकि उसी तरह से पानी के बद्दल बन कर जिस तरह से सब पर वर्षा करेगा, समुद्र में से ज्यादा लिया ही जायगा लेकिन जब वर्षा होगी तो सब की जमीन हरी हो जायगी और सब को खाने को मिलेगा और सब सुखी होंगे और मौसम बदलजायगा। इसलिये जिनसे जितना लिया जायगा उससे दस बीस गुना अधिक फायदा पहुंचेगा, नुक्सान पहुंचाने वाली बात नहीं होगी।

माननीय चेयरमेन, जहां तक म्युनिसिपल सेवाओं का सवाल है, उसमें बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं। एक म्युनिसिपल बोर्ड एक आदमी को रखता है दूसरे को निकाल देता है, जिसको पसन्द किया उसको रख लिया। एक आदमी हरेक मेम्बर की खुशामद करता है। लेकिन अब इस बिल में क्या हो गया कि जिस तरह से आपके गवर्नमेंट की सेवाएं सुरक्षित हैं उसी तरह से म्युनिसिपल बोर्ड की सेवाएं भी सुरक्षित होंगी। अच्छे ढंग से एक आदमी नियुक्त किया जायगा, ठीक ढंग से उसको रहने का मौका मिलेगा। एक म्युनिसिपल कमीशन द्वारा रखी जायगा, या हटाया जायगा, उसको अपील का अधिकार दिया जायगा। मतलब यह है कि सेवाओं का केडर अच्छा बन जायगा। उनका ट्रान्सफर वगैरा भी हो सकता है। उनके लिए सीक्योरिटी ऑफ सर्विस होगी यह इस बिल की खूबी है। इसके लिए मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय चेयरमेन, इसके अलावा इस बिल के अन्दर कई और ऐसी चीज़ों का प्रोविज़न किया गया है जिनके अनुसार शहर के लोगों को काफी सुविधाएं मिले और उनको आराम मिले इस वक्त जो म्युनिसिपल एक्ट है उसमें बहुत सी खामियां हैं। इसमें चुनाव, इलेक्शन पिटीशन वगैरा चीज़ें इतनी डिफेक्टिव हैं कि नोमिनेशन दाखिल करने के वक्त बहुत गडबडियें होती हैं। अब इसमें यह किया गया है कि पीपल्स रिप्रजेन्टेशन एक्ट के अन्तर्गत गत जो रूल्स हैं वे सारे के सारे ले लिए गए हैं। इसलिए चुनाव की व्यवस्था अच्छे ढंग से बनाई गई है इससे काफी फायदा होने वाला है। इसको जितना जल्दी लागू किया जायगा उतना ही अधिक फायदा इससे होगा। नोमिनेशन भरने में जो गलतियां आती हैं वे भी खत्म करदी गई हैं। हरिजनों के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया है ताकि उनको भी फायदा हो। जितनी सीट्स होंगी उन पर गवर्नमेंट किसी खास आदमी को नहीं ला सकेगी हरिजनों के कितने ही आदमी

[श्री गोपीलाल यादव]

खड़े हो सकते हैं, उनमें से जो कामयाब होंगे और जिनमें जनता का विश्वास होगा वही आयेगा इसलिए इसको अच्छा बनाया गया है। सफाई वगैरा की जितनी अच्छी बातें हो सकती है वे इसमें रखी गई हैं। हिन्दुस्तान में जितने राज्य हैं, उनमें जो म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनमें जो अच्छी बातें हैं वे तो इसमें हैं ही बल्कि जो बुराइयां हैं उनको छोड़ कर अच्छी बातें ली गई हैं। इसलिये यह बिल बहुत सुन्दर है। यह जल्दी ही पास करके लागू करने लायक है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर—चेयरमेन महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बिल रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। उसको बनाते समय हमने राजस्थान की स्थानीय परिस्थितियों को देखा है और उसके साथ ही हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों में जो स्वायत्तशासन संबंधी मूलभूत सिद्धान्त हैं और जो प्रगतिशील सिद्धान्त हैं उन सब को हमने इस में इनकोर्पोरेट करने की कोशिश की है। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि इस बिल को किस अच्छी तरह से उन्होंने पायलेट किया है और अच्छी अच्छी चीज़ों का समावेश इसमें किया है।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि सिटी म्युनिसिपेलिटी की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है और ५०,००० की आबादी को ले लिया गया है। जैसा मैंने प्रथम वाचन के समय कहा था, कमिश्नर्स हेड क्वार्टर ५ कस्बों में हैं। वहां सिटी म्युनिसिपैलिटीज कायम होंगी और उनका चेयरमेन प्रेसिडेन्ट कहलायेगा और वाइस चेयरमेन वाइस प्रेसिडेन्ट कहलायेगा और वहां पर एग्जीक्युटिव ओफिसर की जगह कमिश्नर होगा। कई सदस्य यह कह सकते हैं कि उनके पॉवर्स में तो परिवर्तन नहीं किया लेकिन नोमेनक्लचर मे परिवर्तन किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि इन बड़े बड़े कस्बों में राजस्थान के निर्माण से पहले अलग अलग तरह के कानून जारी थे और उनके नाम के पीछे विशेष भावना थी। सगाड़ा से आनेवाले सदस्य ने कहा कि उदयपुर की जनता कहेगी कि हमारे यहां प्रगतिशील कानून था उसको समाप्त करके नया अप्रगतिशील कानून बनाया गया है। उसके उत्तर में मैं कहूंगा कि उनकी भावना को और और लोगों की भावना को इस में रखा गया है। उसको म्युनिसिपल बोर्ड न कह कर म्युनिसिपल कौंसिल कहा जायगा और 'कमिश्नर' वहां पर रहेगा।

दूसरी बात नोमिनेशन के बारे में है। माननीय सदस्यों ने कहा और जनता की भावना थी कि सरकार अपनी पार्टी के लोगों को नोमिनेट करती है जो अनडेमोक्रेटिक है। इसको समाप्त करके शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये रिप्रजेन्टेशन ओफ पीपल्स एक्ट के अनुसार असेम्बली के आम चुनाव होते हैं उसी तरह से यहां भी उनके लिये सीट्स रिजर्व करदी गई है।

(श्री उपाध्यक्ष, पदासीन)

कई माननीय सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की थी कि वार्ड्स अलग अलग नहीं होने के कारण चुनाव में असुविधा होती है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि यदि वार्ड्स में नहीं

[श्री मोहनलाल भटनागर]

विभक्त होता है और एक ही वार्ड रहता है तो असुविधा होती है और मेम्बर्स की जिम्मेदारी नहीं के बराबर होती है इसलिये वार्ड्स में विभक्त करने का समावेश इस बिल में कर दिया गया है। अब सरकार के हाथ में यह पॉवर नहीं है कि मर्जी आवे जितने वार्ड्स में विभक्त कर दे।

चौथा रिमूवल ऑफ मेम्बर्स के बारे में था। जब कि दूसरा वाचन हो रहा था कई विचार धाराएं पेश की गई थीं, उनका समावेश करने के लिये यह अच्छी धारा मन्त्रीजी ने रखी है, उसका चार्ज होगा, ट्रब्यूनल को रेफर कर के चार्ज सुनाया जायगा और जिस मेम्बर को रिमूव करने का होगा उसको मौका होगा कि वह अपना डिफेन्स पेश कर सके। यह भी बहुत विस्फोटक पावर को रोकने के लिये यह क्लॉज़ रखी है वह भी बहुत सराहनीय है। गवर्नमेंट की लैंड के बारे में क्लॉज़ थी वह यह थी कि म्युनिसिपलिटी के अन्दर में जो लैंड है उसको गवर्नमेंट चाहे तो म्युनिसिपैलिटी को अलॉट कर सकती है। पर अब जो उसके स्थान पर यहां क्लॉज़ रखी है उसमें साफ यह अधिकार दिया गया है कि म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा में जितनी जमीन है वह उसकी होगी। इस तरह के अधिकार से म्युनिसिपलिटीज़ अपनी सीमा में जितनी जमीन है उसको ठीक तरह से डेवलप, मेन्टेन और लुकआउट कर सकेंगी।

इसके बाद एक नई विचार धारा ओब्लीगेटरी टेक्सेज़ के बारे में रखी है। हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में यह काम आगे होने वाला है, उसको हमने प्राथमिकता दी है। इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने विचारधारा रखी कि कई टेक्स ओब्लीगेटरी बना दिये गये हैं इनसे लोगों पर वजन पड़ेगा। इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ तीन टैक्सेज ओब्लीगेटरी बनाये हैं। एक तो ऑक्ट्राय का जिसके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह कई प्रान्तों में लागू है।

दूसरा हाउस टेक्स है जिसको हमने ओब्लीगेटरी बनाया है। पर इसको हमने बहुत लिबरल किया है, कच्चे मकानों को इससे मुक्त रखा गया है और जिन लोगों के मकानों की रेंटल वेल्यू बाहर टाउन्स में ५ और सिटीज में १० रुपया है, उनको इससे मुक्त किया गया है। यह एक प्रशंसनीय कदम है, छोटे आदमियों पर यह टैक्स लगने वाला नहीं है। टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ में ५ रुपये की रेंटल वेल्यू वाले और सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ में १० रुपया रेंटल वेल्यू वाले मकानों पर यह टैक्स नहीं लगेगा।

तीसरा ओब्लीगेटरी टैक्स प्रोफेशन का रखा है। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इसे भी बहुत लिबरल करने की कोशिश की गई है। आर्टीजन्स को इससे मुक्त रखा गया है। यह तीसरा टैक्स नहीं लगता तो ठीक था पर कई माननीय सदस्यों की राय थी कि यह लगना चाहिये। फिर भी म्युनिसिपेलिटीज़ को अधिकार दिया गया है कि म्युनिसिपेलिटी चाहे तो दो टैक्सों को मुल्तवी

[श्री सोहनलाल भटनागर]

करने के लिये राज्य सरकार को लिख सकती है। ऐसा पावर देने से जिस जिस म्युनिसिपल बोर्ड की जैसी जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार वह इस पावर का उपभोग कर सकेगी।

बेगिंग और इम्मरेलिटि के खिलाफ कई प्रोविजन्स थे उनको सिरीयस बना दिया है। कई माननीय सदस्यों की राय थी कि इनकी वजह से समाज में दूषित वातावरण पैदा होता है उसको रोकने के लिये इन्हें और कड़ा बनाना चाहिये।

सुपरसेशन का क्लॉज़ था उसको काफी लिबरल बनाया गया है और काफी डेमोक्रेटिक बनाया गया है। इसके लिये चार्ज बना कर ट्रिब्यूनल को रेफर करने की बात रखी है, इसके बाद राज्य सरकार उसकी राय को मिला देती है तो सुपरसेशन कर सकती है, पर ६ महीने से ज्यादा मयाद नहीं चलेगी।

म्युनिसिपेलिटियों का कार्य ठीक तरह से हो, किसी तरह की गड़बड़ियां न हों इसलिये आवश्यक है कि राज्य सरकार का नियन्त्रण म्युनिसिपेलिटीज़ पर हो। कई माननीय सदस्यों ने यह राय दी कि यह पावर तो राज्य सरकार के पास रहना आवश्यक है परन्तु इस पावर का एब्यूज होता है, इसमें हमने एक नई तौर की ऑथेरिटी को रखा है वह उनकी नीति सम्बन्धी चार्ज सम्बन्धी गड़बड़ियों सम्बन्धी चार्जेज की जांच करेगी और सरकार को राय देगी। यह नया कदम है। दूसरे प्रदेशों में यह नहीं है, इसमें हमने यह नई चीज़ रखी है।

इसके साथ ही म्युनिसिपल सर्विसेज़ के लिये इसमें कमीशन का समावेश किया है वह सुन्दर और नया है। म्युनिसिपल सर्विसेज के लोग हमेशा शिकार होते थे और उनको आशंका रहती थी कि कभी भी उनका सेवाकाल खत्म हो सकता है। इसके लिये हमने कमीशन का प्रोविज़न रखा है, वह एक अच्छी चीज़ है और म्युनिसिपल शासन को सुदृढ़ बनाने के लिये सुदृढ़ कदम उठाया गया है। इससे राजस्थान की म्युनिसपैलिटीज़ है उनमें काफी प्रगति होगी और काफी ठीक ढंग से कार्य हो सकेगा।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें कोई सन्देह नहीं कि नगरपालिकाओं का जो बिल हमारे सामने पेश हुआ है वह बहुत सुन्दर है और जिसकी उत्तमता के बारे में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये। चांद बहुत सुन्दर है पर उसमें यदि कालिमा का निशान है तो वह निष्कलंक चन्द्र नहीं कहा जा सकता। इसी तरह इस बिल में कई धाराएं ऐसी हैं जो कि इस बिल के लिये शोभा जनक नहीं है। मुझे वे धाराएं अखरती हैं और इस बारे में मैं अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जो १९९वां क्लॉज़ है उसमें हरिजनों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि अगर भंगियों में से कोई बिना नोटिस दिये सर्विस छोड़ देता है तो उस अवस्था में उन्हें एक महीने की सजा दी जा सकती है। इसको पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह क्या पुराने जमाने का राजतन्त्र वापिस लौट आया, क्या बेगार अगर माननीय अब भी चल सकती है? क्या हमारा अधिकार है कि हम किसी से जबरदस्ती नौकरी लें? अगर हम इस प्रजातन्त्र के युग में जबरदस्ती नौकरी ले सकते हैं तो बेगार को राजतन्त्र में बुरा क्यों बताया जाता था? खाने को तो वे भी देते थे। बुरा इसलिये बताते थे कि मनमाना दाम नहीं देते थे, सुबह पकड़ लेते, खूब काम कराते और पूरे पैसे नहीं देते थे। इसीलिये हम कहते थे कि बेगार की प्रथा नहीं रहनी चाहिये। पर यदि कोई मनुष्य नौकरी नहीं करना चाहता हैं और आप उससे जबरदस्ती नौकरी कराना चाहते हैं तो इसके माने यह हैं कि आप बेगार प्रथा अब भी चलाना चाहते हैं। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि यह उसकी इच्छा के ऊपर है, पर उसने नोटिस नहीं दिया है इसलिये हम उसे जेल भेज देंगे। यह उचित नहीं क्योंकि आपकी और सर्विस करने वाले हैं उनके लिये क्या ऐसा नियम है कि बगैर नोटिस दिये नौकरी छोड़ दें तो उनको सजा दी जा सकती है, उनको जेल भेजा जा सकता है? उनको भेजा जा सकता हो तो इनको भी भेजा जाय। औरों के लिये नहीं तो हरिजनों के लिये जिनकी प्रगति के लिये तरह तरह के उपाय करते हैं और जिनको संरक्षण देना चाहते हैं उनके साथ हम इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं इसलिये कि वे हरिजन हैं, इस लिये कि वे भंगी हैं। उनके लिये यह नियम लागू किया जा रहा है और दूसरे लोगों के लिये इस प्रकार का नियम लागू नहीं है। हरिजन भी और लोगों की तरह मानवता में आते हैं इसलिये उनको भी मानवता की तरह से ही देखना चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि हरिजन हमारे भाई हैं और उनके अधिकार हमारे अधिकारों के समान हैं। जिस चीज़ के अधिकारी हम हैं उनके वे भी अधिकारी हैं। जो लोग हमारी सेवा करते हैं उनको हम महतर कहते हैं। पहले महतर शब्द से बहुत बड़ा अर्थ लिया जाता था और उसका अर्थ था बहुत महान था और जो महान से महान काम करता था उसको महत्तर कहते थे। जो काम हमारी माताएं करती हैं उस काम को करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हमारा यह फ़र्ज़ हो जाता है कि उनको इस प्रकार पुरस्कार देने के बजाय उनको इस तरह से परेशान करें कि यदि वह एक दिन बीमार हो जाए या रोगग्रस्त हो जाए या कानून की जानकारी न होने के कारण नौकरी छोड़ कर चला जावे तो उसको एक माह की सजा दी जाए और ५० रुपये तक जुर्माना किया जाए। इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यह मालूम होता है कि नगरपालिका जिसकी हमने बहुत तारीफ़ की है और अब भी जिसके संबंध में चर्चा हो रही है अगर उसके एक्ट में इस प्रकार की धारा रहेगी या कानून रहेगा तो मैं यह कहूंगा कि सरकार जिस प्रकार की असमानता को दूर करने जा रही है वह दूर नहीं होगी बल्कि असमानता इससे ज्यादा बढ़ेगी। इसलिये मैं इस क्लॉज़ का घोर विरोध करता हूं।

Page No 71

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

दूसरी बात यह है, मैं यह मानता हूं, कि कोई भी काम बिना पैसा के चल नहीं सकता । चाहे वह म्युनिसिपेलिटी का काम हो चाहे राज्य सरकार का हो चाहे साधारण गृहस्थी का काम हो । बिना पैसे के वह चल नहीं सकता । इसलिये अगर म्युनिसिपेलिटी के पास पैसा नहीं हो तो कैसे काम चलेगा और इसके लिए म्युनिसिपेलिटी तरह तरह के कर लगा सकती है । पैसे के चाह की तो कोई सीमा नहीं होती । आप अपनी चाह- और आवश्यकताओं को चाहे जिस हद तक बढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी आवश्यकताओं को जितनी कम करना चाहें कर सकते हैं । नगर पालिका बड़े बड़े अधिकारियों को अच्छी अच्छी तनख्वाह दे सकती है । १५०० रु० एडमिनिस्ट्रेटर को और कमिश्नर को दे सकती है और दूसरे लोगों को भी अच्छी २ तनख्वाह दे सकती है । पैसे की चाह की कोई सीमा नहीं होती इसको चाह को जितना बढ़ाओ बढ़ा सकते हैं । पर वह सीमा पूरी करने के लिए शोषण किस का किया जावेगा ? शोषण तो गरीब का ही किया जाएगा ।

श्री गोपीलाल यादव—आप समर्थन कर रहे हैं ?

श्री रूपनारायण शास्त्री—जी नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं । इसका विरोध कर रहा हूँ । मैंने तो पहले ही कह दिया था कि चांद निष्कलंक चांद नहीं कहा जा सकता । इसमें कोई ऐसी क्लॉज़ेज़ हैं जो उचित नहीं कही जा सकतीं । इससे स्पष्ट है कि मेरा विरोध है ।

तो पैसा वसूल करने की कोशिश की जाती है । किससे ? गृह कर से, ऑक्ट्राय ड्यूटी से, व्यवसाय कर से ।

मैं यह कहता हूँ कि किसी राज्य के उत्तम होने का प्रमाण यह है कि उस राज्य में कर का भार ज्यादा हो, यदि यही स्वराज्य का माप-दंड है तो मैं यह कहूँगा कि दो चार कर और बढ़ा दिये जाने चाहिये । और यदि उसका माप-दंड इससे हो कि गरीबों से कम से कम कर वसूल किया जावे और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जावे तो वह स्वराज्य का उत्तम माप-दंड है ।

तीसरी बात यह है कि ये जो कर लगाये जावेंगे इसका असर किस पर होगा ? इसका असर सीधा गरीबों पर होगा । गृह कर का असर किन पर पड़ेगा ? वह गरीबों पर पड़ेगा । क्यों कि गरीबों के मकान तो घर के होते नहीं । वे किराये के मकानों में रहते हैं । मकानदार के मकान में जाते हैं वह कहता है कि २५ रुपया किराया लगेगा और जब उससे कहा जाता है कि पहले तो १५ रुपये माहवार में ही एक कमरा मिलता था तो उत्तर मिलता है कि पहले मिलता था मगर गवर्नमेंट ने गृह-कर लगा दिया है हम यह कर घर से कहां से ला कर देंगे । यह तो किरायेदारों से ही वसूल

Page No 72

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

करेंगे। आप ही बतावें कि जिनके लाखों की आमदनी है उनकी आमदनी इससे ज्यादा होगी क्योंकि उनको हाउस टैक्स तो कम देना पड़ेगा और वे लोगों से ज्यादा लेंगे। इससे इसका असर मालदार पर नहीं पड़ेगा और गरीब पर ही पड़ेगा और ज्यादातर उन लोगों पर जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जिनका ट्रान्सफर आफिस लोग मनमाने ढंग से जहां चाहें कर देते हैं वे लोग मकानों के लिए तरसते हैं और मकान मालिक यह कहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड गृह-कर ज्यादा लगा रहा है इसलिए हम किराया ज्यादा लेते हैं। इसलिए उनको मकान मिलना दुर्लभ हो गया है। इससे मकान मिलने की कठिनाई ज्यादा होगई है। और पहले से दुखी व्यक्ति ज्यादा दुखी हो गया है। इसलिए यदि आप दुखी को सुखी बनाना चाहते हैं तो इन करों में किसी भी कर को कम करें। इसलिए गृह-कर से स्पष्ट यह साबित होता है कि यह गरीबों पर असर करता है और इससे गरीब दुखी होते हैं। इसके लिए मैं बार बार कह चुका हूं कि गृह-कर म्युनिसिपेलिटी में नहीं होना चाहिए।

अब ओक्ट्रॉय ड्यूटी को लीजिए, इसका भी असर खरीदनेवाले पर पड़ता है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि यह भी बुरा है और इसका भार भी गरीब पर ही पड़ता है और इसके लिए गरीबों को राहत देना है तो ठीक है वरना यह बोझ ऐसा है जैसे किसी मरते हुए मनुष्य को जिसके पैर बोझ से लड़खड़ा रहे हैं उस पर अधिक बोझ डाल कर उसको जमीन पर पटक देना। अगर आपकी यही नीति है तो कोई बात नहीं यह कर भी कम है। लेकिन अगर आप वास्तव में यह चाहते हैं कि लोगों का भला हो और आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह कर भी नहीं रहना चाहिए।

व्यवसाय-कर के बारे में लोगों को जो कठिनाई हो रही है उसके लिये हर एक व्यक्ति शिकायत करता है। इससे लोगों को कठिनाई महसूस होती है। इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि इस कर से म्युनिसिपल बोर्ड मुक्त होता तो अवश्य धन्यवाद के पात्र होते और मैं कहता कि माननीय मन्त्री ने यह बहुत ही सुंदर बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे की पब्लिक को आराम मिलेगा' परन्तु इसमें ऐसी बात नहीं है।

अब इसके उत्तर में एक ही बात कही जा सकती है कि हम कर तो बिल्कुल नहीं लगावेंगे मगर यह बताया जाए कि खर्चा कैसे चलेगा, इसका क्या उपाय होगा? म्युनिसिपेलिटी का खर्च कैसे चले, उसका उपाय यह हो सकता है कि जो इसकी आमदनी के साधन हैं इसको दिये जांए जैसे बिजली घर। बिजली घर की आमदनी से खर्चा चलाया जा सकता है, उसी तरह से वाटर वर्क की आमदनी से खर्च चलाया जा सकता है। और इस पर आप कर ज्यादा लगा सकते हैं। क्योंकि बिजली वही लोग जलाएंगे जो धनवान होंगे उनके घरों में पंखे चलेंगे, रेडियो बजेंगे। गरीब आदमी पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। क्योंकि गरीब आदमी ५ रुपये माहवार के मकान में किराये रहता है।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

अगर इस पर टैक्स ज्यादा बढ़े तो कोई बात नहीं थी। अगर इस तरह से आप म्युनिसिपेलिटी के खर्चे को पूरा करते तो कोई बात नहीं थी। अब वाटर वर्क्स का सम्बन्ध है इस पर भी आप टैक्स बढ़ा सकते हैं। मालदार के मकान में ही नल मिलेगा। इसका असर गरीब पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वह तो बाहर लगे हुए नलों से पानी लाता है। इसलिये बिजली पर और वाटर पर टैक्स बढ़ा दिया जावे तो कोई एतराज नहीं और न कोई बुराई है।

आज एक व्यक्ति जो रोज के दो चार आना या माहवार बीस और पचास रुपया कमाता है उस पर टैक्स जो बढ़ाया गया है वह न्यायोचित नहीं है। आप यह कहते हैं पांच रुपये से कम आमदनी वाले मकान पर हाउस टैक्स नहीं किन्तु मकान मालिक यह कब कहेगा वह तो मकान लेने वाले से हाउस टैक्स लेगा ही वह तो कहेगा कि सरकार हमारे से हाउस टैक्स लेती है इसलिये किराया ज्यादा लगेगा। यह जो हाउस टैक्स बढ़ाया गया है उससे तो गरीबों पर भार बढ़ा है। आज गवनमेंट यदि बिजली घर या वाटर वर्क्स आज जो टैक्स है उससे ज्यादा बढ़ा देती तो गरीबों को किसी प्रकार हानि होने वाली नहीं। आप उस पर टैक्स बढ़ाकर नगरपालिका पर खर्च कर सकते हैं इससे नगरपालिका उत्तम रीतिं से चल सकती है। तो इससे यह होगा कि प्रजा भी कर भार से मुक्त हो जायगी और जनता भी यह कहेगी कि नगरपालिका कैसा सुन्दर कार्य कर रही है, अच्छी सफाई, अच्छा इन्तजाम। विलक्षणता तो इसी में है कि जनता कर भार से मुक्त हो। हम आशा तो यह करते थे कि इस बिल में इस प्रकार का सुधार होगा इससे उज्ज्वल और निष्कलंक और चमकता हुआ चांद हमें मिलेगा।

तीसरी बात यह है कि आप मोटर वेहिकल पर कर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मोटर उन्हीं आदमियों के रहती है जो धनवान् हैं गरीबों के पास मोटर नहीं रह सकती। मोटर के ऊपर टैक्स बढ़ाने से भी हमारी नगरपालिका की आय बढ़ सकती है। यदि इस पर किसी प्रकार का टैक्स बढ़ता है तो आम जनता को किसी प्रकार भी आपत्ति होने वाली नहीं। जैसे एक आदमी बीमार है उसको डाक्टर खून देना चाहते हैं अगर किसी ऐसे व्यक्ति का खून दिया जाता है जिसमें खून की मात्रा बहुत कम है तो ऐसा करने से उस कम खून वाले आदमी को मृत्यु होना सम्भव है उसी प्रकार यदि जिस व्यक्ति में खून की मात्रा अधिक हो अगर उसका खून दिया जाता है तो उस बीमार की हालत भी ठीक हो सकती है और उस व्यक्ति का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरह से आप उन लोगों से टैक्स लीजिये जो देने की स्थिति में हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कोई खास बात कहें कि इस बिल को क्यों पास न किया जाय।

श्री रूपनारायण शास्त्री—खास खास बातें ही तो कह रहा हूं, किस प्रकार से टैक्स वसूल करना चाहिये और किनसे करना चाहिये ताकि म्युनिसिपेलिटी की आमदनी बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष—तृतीय वाचन पर जो बहस हो रही है उसका मतलब यह होता है कि उसमें क्लॉज़ेज़ से बाहर की बातें होती हैं। क्लॉज़ पर नहीं कह सकते।

श्री गोपीलाल यादव—कुछ शास्त्रों की ही बातें बताइये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—शास्त्रों में नहीं जा रहा हूँ। शास्त्रों में जो भी बातें कही जाती हैं वह सब के हित की बातें होती है 'आत्मना सर्व भूतेषु' वाला सिद्धान्त उसमें रहता है। गरीबों की क्या स्थिति है आज के जमाने में यह मैं जानता हूं, जिनको हजार या ८०० रुपये मिलते हैं वे गरीबों को क्या पहचानने लगे ? इसलिए मैं तो यह कहता हूं गरीबों के ऊपर टैक्स का भार नहीं होना चाहिये, भागवान पर टैक्स लगाये जांय तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति होने वाली नहीं। म्युनिसिपल टैक्स बिजली घर या वाटर वर्क्स की जो आमदनी है उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाय और उस आमदनी से नगरपालिकाओं का काम सुचारु रूप से चल सकता है और जो हाउस टैक्स ओक्ट्रोय और व्यवसाय पर टैक्स लगाया गया है उसको हटा दिया जाय, अगर इस रूप में यह बिल पेश होता है तो वह जनता को मान्य हो। मैं ऐसे बिल को जिसमें जनता पर बहुत टैक्स लगाये गये हैं उसके प्रति अपना विरोधात्म रुख रखता हूं।

श्री घीसीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य यह चाहते हैं कि मैं मजाक करूं, लेकिन यह हमारे मान और प्रतिष्ठा का सवाल है यह हमारे लिए शोभाजनक नहीं होगा। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल का इस रूप में समर्थन करता हूं कि जिस तरह से माननीय सदस्यों ने चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हुए हों सबने इसका समर्थन किया है। चाहे उन्होंने आलोचना की लेकिन वे किसी न किसी रूप में इस बिल के समर्थक रहे हैं। जिस तरह से हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने सबके सहयोग के साथ में इस बिल के लिए अच्छी तरह से समझबूझ कर जो जनतन्त्रात्मक भावना से इसमें कार्यान्वित की है, माननीय सदस्य चाहें इधर या उधर बैठे हुए हैं सबका सहयोग इसमें सम्मिलित हैं। न मालूम कुछ माननीय सदस्यों ने किस प्रकार से इसमें कुछ भावनाओं को अच्छा नही बताया, इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल बहुत अच्छा है, इसकी बहुत जरूरत है और इसको जनहित के लिए बहुत जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिये। लेकिन जो उनकी भावना एतराज की थी उससे तो यह सिद्ध नहीं होता कि वे जल्दी इसको लागू करवाना चाहते हैं। वे वाकई इससे पीछे हटने वाली भावना ऐतराज का प्रदर्शन कर रहे थे। अगर वे वास्तव में यही चाहते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाय तो इस प्रकार से पीछे हटने की बातें वे न कहते। जहां तक इस बिल की धाराओं को लेकर टैक्सेज़ के मुताल्लिक जो कुछ बातें कही हैं वे सब सदस्यों के परामर्श से तैयार हुई, फिर भी इसको आगे पीछे टालना सदन के लिए शोभा की बात नहीं और न जनता के हित की ही बात है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा यह जो महत्वपूर्ण बिल है जो सब सदस्यों के परामर्श से तैयार किया गया है मैं भी कभी २ इसकी मिटिंग में शामिल होता था,

[श्री घीसीसिंह]

देखता था किस प्रकार से शाम के छः बजे से लगाकर रात के ६ बजे तक सब लोग बड़ी मेहनत से, बहस मुबाहसा करके क्लॉज़ को पास करते थे, आज उन्हीं सदस्यों द्वारा विरोध करना कोई माननीय सदस्यों के लिए शोभनीय चीज नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करने में सहयोग दें।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पूरा एक घंटा लूंगा।

(सदस्यों द्वारा आवज, साढ़े बाहर बज गये हैं समय हो गया है)

श्री उपाध्यक्ष—आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सोमवार को सांयकाल ४॥ बजे फिर सभा की कार्यवाही आरम्भ होगी।

(तत्पश्चात् १२ बज कर ३० मिनिट पर सदन की बैठक, सोमवार दिनांक १४ मई, १६५६ को सांय ४.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक ११ मई, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजथान विधान सभा, जयपुर